स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-7

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

Practical Manual

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)

नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित

Bachelor of Social Work (First Year)

With Specialization in Community Leadership

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :– **द्वितीय संस्करण 2016**

श्री बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

श्री जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

श्रीमती अलका उपाध्याय, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :–

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. अरुण गोपाल

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

डॉ. वीणा घाणेकर, आई.ए.एस., वरिष्ठ सलाहकार

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

संकलन एवं लेखनः–

श्री सचिन जैन, विकास संवाद

डॉ. अरुण गोपाल, परामर्शदाता, एम.पी. टास्ट

डॉ. मनोज भारद्वाज, सहायक संचालक, आई.सी.डी.एस. गुना म.प्र.

श्री शशिकांत त्रिपाठी, म.प्र. जन अभियान परिषद्

श्रीमति हेमलता सिंह, निदेशक परियोजना, म.प्र. जन अभियान परिषद

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

रेखांकनः–

कु. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी एवं श्री लिंगेश

मुद्रक एवं प्रकाशकः–

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्कः–

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, फोन नं.– 07670265622

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

ई–मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल– 9425301058

कॉपीराइटः –महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति आभार।

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अनुक्रमणिका

पुस्तिका की रूपरेखा

प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – खेल का अधिकार और बच्चों का विकास

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

(मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का क़ानून – 2010)

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – स्वस्थ जीवन के लिए कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – जलवायु परिवर्तन क्या, क्यों और कैसे?

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – जैव विविधता और समुदाय

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – सुरक्षित मातृत्व और समुदाय की भूमिका

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

क.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	05
2	विद्यार्थी–परिचय	08
3	प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का परिचय	09
4	प्रायोगिक(प्रेक्टिकल) कार्य के उद्देश्य	10
5	प्रायोगिक(प्रेक्टिकल) कार्य के अंग	10
6	प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट)	11
7	प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य संपादित करने हेतु सहायक गतिविधियां	11
8	ग्राम का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र तैयार करना	12
9	ग्राम की प्रोफाईल तैयार करना	13
10	ग्राम के परिवारों की फील्ड वर्क हेतु निर्धारित विषयों के संदर्भ में प्रोफाईल तैयार करना	18
11	जानकारी का विश्लेषण एवं कार्य करने की योजना बनाना	22
12	समुदाय से संबंध एवं विश्वास स्थापित करना	23
13	समुदाय के साथ सतत सपंर्क एवं संवाद/बैठक	24
14	क्षेत्रीय कार्य(फील्ड वर्क)हेतु सुझावात्मक गतिविधियां	25
15	सतत् विकास का लक्ष्य 2030 के लिये प्रायोगिक कार्य	25
16	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–1 खेल का अधिकार और बच्चों का विकास	29
17	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–2 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति	33
18	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–3 कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबन्धन	45
19	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–4 प्रायोगिक/मैदानी कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिन्दु	57
20	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–5 जलवायु परिवर्तन क्या, क्यों और कैसे?	59
21	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–6 जैव विविधता और समुदाय	70
22	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–7 बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	82
23	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–8 सुरक्षित मातृत्व और समुदाय की भूमिका	98
24	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–9 नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल	106
25	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–10 एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक पहल	114
26	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–11 स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व	127
27	प्रायोगिक/मैदानी कार्य–12 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधि. 2015	143

प्रस्तावना

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नही हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे।

परिषद् के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मान. मुख्यमंत्री जी के अनुसार ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। गांवों में लोगों को आवश्यकता की चीजें उपलब्ध हों साथ ही उनके पास रोजगार हो, इसके लिये अनेक योजनाएं गांवों में क्रियान्वित हो रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसा करना सिर्फ सरकार के द्वारा संभव नही है। सरकार के साथ स्वयंसेवी संगठन और जनता की सक्रिय भागीदारी हो यह भी जरूरी है, तभी गांवों के सम्पूर्ण विकास का सपना पूरा हो सकेगा। म.प्र. षासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का उद्देष्य यही है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाएं और लोगों की भागीदारी हो।

ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विषेषज्ञता सहित) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विषेषज्ञता सहित) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य स्नातक सामुदायिक नेतृत्व में विषेषज्ञता सहित डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत–प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

म.प्र जन अभियान परिषद योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. शासन के अंतर्गत गठित एवं पोषित संस्था है, जो कि प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के उद्भव, विकास एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रही है। शासन एवं समुदाय के बीच सेतु के रूप में कार्य करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सशक्त इकाई के रूप में विकसित करना परिषद का मुख्य उद्देश्य है। म.प्र. जन अभियान परिषद एक उच्च

स्तरीय निकाय द्वारा संचालित संस्था है जिसके अध्यक्ष म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री हैं। मंत्री वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा दो प्रतिष्ठित समाजसेवी इसके उपाध्यक्ष एवं स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं वित्त विभागों के मंत्री व मुख्य सचिव म.प्र. शासन इसके सदस्य हैं। परिषद के संचालन हेतु गठित कार्यकारिणी सभा के सभापति म.प्र. शासन के मुख्य सचिव हैं। शासी निकाय में सम्मिलित सातों विभागों तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव तथा आयुक्त, आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय के अतिरिक्त प्रदेश के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों के पांच प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

परिषद का मूल उद्देश्य शासन तथा समुदाय के मध्य सशक्त एवं प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को क्षमता सम्पन्न बनाना है साथ ही समाज में स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के भाव को सुदृढ़ करने के लिये सशक्त सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तैयार करना भी है परिषद का एक उद्देश्य है। अतः परिषद की कार्यकारिणी सभा की बैठक में प्रदेश के गैर अनुसूचित जन जाति विकासखण्डों में परिषद द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन एवं क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

इस पाठ्यक्रम के चयन से आपने यह तो प्रदर्शित कर ही दिया है कि सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में बदलाव लाने की आपकी गम्भीर रुचि है। किन्तु केवल रुचि ही पर्याप्त नहीं। आपको समस्याओं की समझ और संसाधनों की पहचान के लिए न केवल सैद्धान्तिक अपितु व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी ज्ञान और अनुभव अर्जित करना आवश्यक होगा। पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से आपको पूर्व आवंटित ग्राम में जाना होगा और वहाँ परामर्शदाता के निर्देशानुसार चयनित गतिविधि या निर्देशित गतिविधि का संचालन आंकड़ों का संकलन एवं प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सम्पादित करना होगा। इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आपको दिये जाने वाले आवश्यक निर्देशों और प्रपत्रों को संकलित कर इस क्षेत्रीय कार्य अभ्यास पुस्तिका में दिया जा रहा है। यह अभ्यास पुस्तिका ग्राम प्रवास के समय आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इसकी कुछ चयनित गतिविधियों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर आप अन्य मानकों और आयामों पर सूचनाओं और तथ्यों का संकलन करने में और उसे सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे। फील्ड वर्क (क्षेत्रीय कार्य) के समय यह अभ्यास पुस्तिका आपकी सच्ची मार्गदर्शिका साबित होगी। हमें यह विश्वास है कि फील्डवर्क के दौरान किये गये कार्यों से प्राप्त जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगी।

लोगों के पास जाओ
उनके साथ रहो
उनसे सीखो
उनके साथ मिलकर योजना बनाओ
वे जो भी जानते हैं उससे प्रारंभ करो
जो उनके पास है उससे निर्माण करो
दिखा कर सिखाओ, करके सीखो
सिर्फ दिखावा नहीं एक पद्धति विकसित करो
कार्य ऐसा हो जो
बेतरतीब नहीं व्यवस्थित हो
टुकड़ों में नहीं समग्रता के साथ हो
जिसमें अंधानुकरण नहीं परिवर्तन हो
जिसमें सिर्फ राहत नहीं छुटकारा हो

— लाओत्से

विद्यार्थी–परिचय

नामांकन क्र. : .....

नाम : .....

पिता का नाम : .....

माता का नाम : .....

पत्राचार का पता : .....

.....

संपर्क नं. : .....

ई–मेल : .....

प्रस्फुटन समिति का पदाधिकारी (हॉ या नही) :.....

यदि हॉ तो समिति का नाम व गठन वर्ष : .....

अध्ययन केन्द्र का नाम : .....

परामर्शदाता(मेन्टर) का नाम : .....

प्रायोगिक कार्य हेतु आवंटित ग्राम (प्रयोगशाला) का विवरण : गांव .....

तहसील .....**विकासखण्ड**..... **जिला**.....

छात्र के हस्ताक्षरः

आपका प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपको चाहिये कि आप जब भी अपने क्षेत्र/प्रयोगशाला में कार्य करने जाये तो सदैव इसे पूर्ण सुरक्षा के साथ अपने साथ रखें। प्रदत्त कार्य (Assignment) एवं क्षेत्रीय कार्य (Field Work) को अध्ययन केंद्र में जमा करने से पूर्व इसकी एक छायाप्रति आप अपने पास रखें। याद रखें कि कोई भी गतिविधि पूर्ण करने के पश्चात अपने परामर्शदाता/क्षेत्रीय कार्य सुपरवाईजर (मेंटर) से इसे प्रमाणित करा लेवें। यह कार्य पुस्तिका आपके प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जायेगी जो कि इस पाठ्यक्रम का अति महत्वपूर्ण भाग है।

7.1 प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का परिचयः–

संभवतयाः आपने स्कूल या कॉलेज में अनेक विषयों की सैद्धान्तिक जानकारी हासिल की होगी परन्तु विषय से संबंधित प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का प्रायः स्कूली पाठ्यक्रमों में अभाव रहता है। आपको याद रखना चाहिये कि प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान, क्षमता एवं मूल्यों को समुदाय के साथ साझा करने का अवसर मिलता है। प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य में बिताये गये समय से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा भविष्य में सामाजिक कार्य करने में मदद मिलेगी।

पाठ्यकम के अंतर्गत 50 प्रतिषत वेटेज सहित समस्त सैद्धान्तिक प्रष्न–पत्रों को दिया गया है, जबकि 50 प्रतिशत अंकों का वेटेज प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य हेतु निर्धारित किया गया है; जिसमें से 30 प्रतिशत अंक का वेटेज क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) तथा 20 प्रतिशत अंकों का वेटेज प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट) के लिये निर्धारित है।

क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) एवं प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट) हेतु आपको अपने परामर्शदाता (मेन्टर) के मार्गदर्शन में एक ग्राम का चुनाव पाठ्यक्रम के प्रारंभ में ही करना है। यह ग्राम आपकी प्रयोगशाला रहेगी जिसमें आपके द्वारा पाठ्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय कार्य एवं प्रदत्त कार्य संपादित किये जायेंगे। सप्ताह में एक दिन अध्ययन केन्द्र में आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा तथा शेष 6 दिन आपको प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य करना होगा। जो विद्यार्थी प्रस्फुटन समिति के अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारी हैं, वे प्रायोगिक (प्रक्टिकल) कार्य हेतु अपने ही ग्राम का चयन करें। शेष 10 विद्यार्थी भी प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य हेतु अपने ग्राम/कस्बे को प्राथमिकता से चयनित करें।

यदि मैं सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ ,

यदि मैं देखता हूँ तो स्मरण रहता है,

यदि मैं करता हूँ तो मैं जान जाता हूँ।

– चीनी कहावत

प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य के उद्देश्य :

प्रायोगिक(प्रेक्टिकल) कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

- चुने गये ग्राम/क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिदृश्य को समझने में मदद करना एवं स्वास्थ्य, पोषण एवं बाल विकास, बाल संरक्षण, समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई से संबंधित मुद्दों को जानने, उनका विश्लेषण करने एवं उन पर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करना।
- सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर व्यावहारिक परिस्थितियों में स्वास्थ्य, पोषण, बाल विकास तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई से संबंधित समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करना।
- स्वास्थ्य, पोषण, बाल विकास, बाल संरक्षण तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई के मुद्दों पर कार्य करने की योजना एवं उनसे संबंधित हस्तक्षेपों को लागू करने की क्षमता विकसित करना तथा किये गये कार्य का महिलाओं एवं बच्चों की बेहतरी हेतु प्रभाव का आंकलन करना।
- समुदाय विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई के लिए सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका को समझना।
- प्रभावशाली समुदायिक नेतृत्व हेतु व्यक्तित्व विकास एवं क्षमताओं में वृद्धि करना।
- चुनौतियों को स्वीकार कर उनको हल करने का अवसर प्रदान करना।
- स्थानीय स्तर पर सामाजिक/राजनैतिक/प्रशासनिक विषयों की समझ रखने वाला एवं प्रतिकूल परिस्थितियों एवं व्यवस्था से संघर्ष कर सकने वाला सशक्त, जागरूक एवं क्षमतावान सामाजिक नेतृत्वकर्ता तैयार करना।
- स्थानीय स्तर पर समुदाय को नेतृत्व प्रदान करने हेतु विकास पुरूष तैयार कर उनका क्षमतावर्द्धन करना।

प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य के अंग :

संपर्क कक्षा के दिन परामर्शदाता आपसे प्रायोगिक कार्य संबंधी विभिन्न विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। आपको यह प्रायोगिक कार्य निदेर्शिका (Field Work Manual) दी जायेगी। प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) एवं प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट) के दौरान आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराया जायेगा। **प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य के अंग निम्नानुसार हैं :– असाईनमेंट**

1. **प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट)– 20 प्रतिशत अंकों का वेटेज**
2. **ग्राम आधारित कार्य (फील्ड वर्क)– 30 प्रतिशत अंकों का वेटेज**

आप प्रायोगिक कार्य हेतु एक ग्राम का चयन करेंगे अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग। इस हेतु विद्यार्थी अपने ही ग्राम का चयन करें। यदि आप शहरी क्षेत्र में निवासरत हैं तो अपने वार्ड अथवा आस–पास के किसी ग्राम का चयन करने का प्रयास करें। यह ग्राम आपके प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य

हेतु एक तरह से प्रयोगशाला होगी, जहाँ आप प्रेक्टिकल हेतु निर्धारित विषयों से संबंधित मुद्दे/समस्या पर विभिन्न गतिविधियाँ करेंगे।

7.1. प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट):–

यह पाठ्यक्रम वास्तविक परिस्थितियों में अपने शैक्षणिक ज्ञान का अभ्यास करने का अवसर है जिसमें प्रदत्त कार्य के अंतर्गत आपको शैक्षणिक वर्ष में 02–02 अंक के कुल 10 असाईनमेंट प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक माह एक या दो असाईनमेंट दिया जायेगा जिस पर आपको चयनित/आवंटित ग्राम/वार्ड (प्रयोगशाला) में अपने परामर्शदाता (मेंटर) के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। इससे आपको 20 प्रतिशत अंक अर्जित होंगे।

7.2 प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य संपादित करने हेतु सहायक गतिविधियां :–

कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी करना एवं योजना बनाना बहुत आवश्यक है। यदि हम पहले से तैयारी न करें तो हो सकता है कि वह काम न हो पाये, या आधा अधूरा ही छूट जाये, या बिगड़ जाये, या उसमें ज्यादा समय लग जाये, या ज्यादा साधन लग जाये। पहले से तैयारी कर लेने से नुकसान से बचा जा सकता है। भविष्य में कार्य को करने की योजना बनाने के पहले आपको अपने ग्राम/प्रयोगशाला की आज की स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है। बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ सफाई विषय से संबंधित ग्राम में कार्य करने के पूर्व आप को ग्राम की इस सम्बंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी सही सही होना चाहिए इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि विषय से सम्बंधित ग्राम में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, समाधान के लिए कौन कौन से संसाधन ग्राम में उपलब्ध हैं, कितने और संसाधनों की आवश्यकता है, आपके कार्य में कहॉ कहॉ अड़चन आ सकती है आदि। इस आधार पर आप कार्य करने हेतु प्रभावी योजना बनाकर उसका कियान्वयन कर सकेंगे। इसीलिए आपको अपना क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) एवं प्रदत्त कार्य (असाईनमेंट) करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे अथवा कुछ मूल बातों का ध्यान रखना होगा जैसे:–

- समुदाय की स्थिति का अवलोकन एवं विश्लेषण।
- उनकी आवश्यकता एवं समस्याओं की पहचान।
- समस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों की पहचान।
- उन समस्याओं के बारे में लोगों से संपर्क कर उनके विचार जानना।
- समस्याओं को हल करने के लिए संसाधनों की पहचान।
- समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं/जागरूक व्यक्तियों से संपर्क करना।

ग्राम की स्थिति एवं संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ग्राम का भ्रमण करना चाहिये एवं ग्राम की कुछ मूलभूत जानकारी एकत्रित करनी होगी जिसके बारे में नीचे वर्णन किया गया है–

ग्राम का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र तैयार करना–

सामाजिक मानचित्र स्वयं ग्रामीणों से तैयार करवाया जाता है। इससे ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ती है एवं विश्वास पैदा होता है। साथ ही गांव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। सामाजिक मानचित्र की प्रक्रिया के दौरान अपने कार्य में सहयोग करने हेतु संबंधित गाँव के स्वैच्छिक कार्यकर्ता भी चिन्हित किए जा सकते हैं। किसी बड़ी ड्राइंग शीट पर अथवा समतल जमीन पर अलग–अलग तरह की रंगोली चॉक आदि का उपयोग करते हुये नक्शा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार संसाधन मानचित्र से ग्राम में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। गांव में जाते ही एकदम से मानचित्र बनाने की बात नहीं करना चाहिए। पहले लोगों के साथ सामान्य बातचीत से मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के साथ अपनत्व बढ़ाना चाहिए। हमें ''उन'' पर और उन्हें ''हम'' पर विश्वास हो ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में हमें अपनी मनोवृत्ति एवं व्यवहार सकारात्मक रखना चाहिये एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पहले गॉव के लोग मानचित्र बनाने में झिझकते हैं और कहते हैं, ''अरे साहब हम मानचित्र कैसे बना सकते हैं ? हम तो अनपढ़ है, फलां लड़का पढ़ा लिखा है वह बना सकता है या गॉव का मुखिया/पटवारी बना सकेगा या फिर मास्टर जी बना सकते हैं'' हम नहीं बना पायेंगे आदि। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हम जहां बैठे हैं या खड़े हैं वहां एक लकड़ी या पत्थर का टुकडा हाथ में ले तथा जमीन को साफ करके कोई कुछ चिन्ह बना सकते हैं फिर इससे जुडा दूसरा घर बना सकते हैं और फिर इसके साथ पत्थर या लकड़ी को गॉव वालों के हाथ में थमा दें ताकि अब वे बताएँ इसके आगे किसका घर है। या फिर हम जहां है वही एक रास्ता बना दें और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिये लकड़ी या पत्थर किसी ग्रामीण के हाथ में दें। जब वे यह कार्य हाथ में लेते हैं तो एक साथ कई लोग बीच–बीच में हस्तक्षेप करने लगते है कि वह ऐसे नहीं है, यहां नहीं वहां है इत्यादि और गहन चर्चा एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

मानचित्र कई बार बनता और बिगड़ता है। लोग बदलते रहते हैं और प्रक्रिया चल पड़ती है और हम धीरे–धीरे पीछे हटते जाते हैं और गॉव वाले आगे आते हैं। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण हो जाता है। इस तरह गॉव के अंदर स्थित सभी वस्तुओं को वे दर्शाते हैं। जमीन पर बने मानचित्र में विभिन्न प्रकार के बीजों या पत्थरों, लकड़ियों, पत्तियों से विभिन्न जानकारी दर्शायी जाती है। कहीं–कहीं यह प्रक्रिया सीधे कागज पर शुरू हो जाती है किन्तु वह तभी संभव है जब गांव वाले हमारी बात को समझ जायें या उनकी झिझक मिट जाये। अक्सर गांव के पढ़े–लिखें लड़कों को गॉव के प्रौढ़ मार्गदर्शन देते हैं और ये लड़के मानचित्र बनाते जाते हैं।

मानचित्र बनाने में स्थानीय सामग्री जैसे मिट्टी, पत्थर, रेत का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रंग की रंगोली का भी प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में हम विषय के अनुसार हितग्राही/घरों को संकेतों द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे– निरक्षर

व्यक्तियों के घर, कुपोषित बच्चों के घर, किशोरी बालिकायें, गर्भवती महिलायें, शौचालय युक्त घर, शौचालय रहित घर, सामुदायिक/सार्वजनिक, स्कूल इत्यादि। जमीन पर मानचित्र बन जाने के पश्चात उसे एक बड़े कागज या ड्राइंग शीट पर उतार लिया जाता है।

7.3 ग्राम की प्रोफाईल तैयार करना

ग्राम की समस्याओं से परिचित होने के लिए ग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। इस जानकारी को एक विलेज प्रोफाईल के रूप में संकलित कर लिया जाता है। इस वर्ष हेतु फील्ड वर्क के लिए निर्धारित विषयों जैसे– बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ सफाई के सन्दर्भ में ग्राम की प्रोफाइल तैयार करने हेतु नमूना निम्नानुसार है–

ग्राम की जानकारी (Village Profile)

1. जनसंख्या संबंधी जानकारी–

01– गांव का नाम .....

02– विकासखंड .....

03– कुल जनसंख्या.....पुरूष.....स्त्री.....

04– अजा की जनसंख्या .....

05– कुल परिवार.....

06– आर्थिक स्थिति के आधार पर परिवार संख्या–

गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल).....

गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल).....

अंत्योदय (पीले कार्डधारी).....

07– ग्राम की मुख्य जातियां.....

2. ग्राम में सुविधायें–

सुविधायें	ग्राम में उपलब्ध हॉ या नहीं	यदि नहीं तो निकटतम सुविधा की गाँव से दूरी
01– उप–स्वास्थ्य केन्द्र	.....	.....
02– प्राथमिक स्कूल	.....	.....
03– माध्यमिक स्कूल	.....	.....
04– आंगनवाड़ी केन्द्र	.....	.....
05– राशन की दुकान	.....	.....
06– पुलिस चौकी	.....	.....
07– सामुदायिक भवन	.....	.....
08– साप्ताहिक हाट/बाजार	.....	.....
09– धार्मिक स्थल	.....	.....
10– अन्य(विवरण दें)	.....	.....

3. ग्राम में पेयजल एवं सिंचाई के साधन (संख्या दें.....)–

1– 01– कुँआ– 02– हैंडपंप–

03– ट्यूबवेल– 04– तालाब–

05– नदी– 06– बावड़ी–

07– नहर– 08– अन्य .....

2– पेयजल को घरों में स्वच्छ रखने हेतु ग्रामवासियों द्वारा क्या उपाय किये जाते हैं? विवरण दें.....

3– ग्राम में व्यक्तिगत साफ–सफाई के प्रति जागरूकता की स्थिति.....

4. ग्राम में सड़क, परिवहन एवं बिजली के साधन –

01– क्या गांव पक्की सड़क से जुड़ा है? हॉ या नहीं .....

– यदि नही तो गांव से पक्की सड़क की दूरी कितनी है.....

02– क्या गांव के अंदर पक्की सड़कें हैं? हॉ या नही.....

03– क्या ग्राम में विद्युत का सुविधा है ? हॉ या नही.....

– यदि हॉ तो दिन में कितने घंटे बिजली उपलब्ध रहती है?.....

04– क्या गांव, ब्लॉक/जिला मुख्यालय से सार्वजनिक यातायात से जुड़ा हुआ है? हॉ या नहीं .....

– यदि नही तो यातायात के लिये किन साधनों का उपयोग किया जाता है.....

5. ग्राम में स्वच्छता एवं साफ–सफाई की स्थिति–

01– क्या ग्राम में स्वच्छता हेतु जल एवं स्वच्छता समिति कार्यरत है? हां या नही.....

– यदि हॉ तो समिति में कितने सदस्य हैं..... एवं मुख्य कार्यकर्ताओं के नाम व संपर्क नं. .....

02– ग्राम में घरों एवं खेतों के कचरे को एकत्र करने की कोई व्यवस्था है? हां या नही.....

– यदि हॉ तो क्या कचरे से खाद बनाने की इकाई अथवा गोबर गैस प्लांट स्थापित किया गया है. हां या नहीं .....

03– क्या लोग ग्राम में स्थित सार्वजनिक स्थानों/भवनों/सड़कों आदि की साफ–सफाई में सहभागिता करते हैं? हां या नहीं .....

04– क्या ग्राम के विद्यायलयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है?. हां या नहीं .....

05– ग्राम में गन्दगी के कारण–

क्र.	गंदगी के कारण	जो लागू हो उसे टिक (□) करें
1	खुले में शौच	
2	सोख्ता गड्ढों का अभाव	
3	खुले में कचरा फेंकना	
4	खुले में पशुओं का गोबर फेंकना/घूरा	
5	खुले में मृत पशुओं को फेंकना	
6	गाजर घास	
7	पॉलीथीन/प्लास्टिक/ई–वेस्ट को खुले में फेंकना	
8	फसलों के अपशिष्ट	
9	सार्वजनिक स्थलों पर पूजा सामग्री खुले में फेंकना	
10	औद्योगिक अपशिष्ट	
11	दैनिक उपयोग में आने वाले घर के पानी का बहाव	
12	तम्बाकू के पाऊच फेंकना एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना	
13	गांव में जलाशयों में पशुओं को नहलाना तथा वाहनों का धुलना	
14	गांव के जलाशयों में नहाते एवं धोते समय साबुन एवं डिटर्जेंट का उपयोग।	
15	अन्य (विवरण दें.....)	

6. ग्राम में शौचालयों की स्थिति–

1. व्यक्तिगत शौचालय–

1. शौचालययुक्त परिवार संख्या.....
2. शौचालययुक्त परंतु उपयोग न करने वाले परिवारों की संख्या.....
3. शौचालय विहीन परिवार संख्या.....

2. सार्वजनिक शौचालय–

1. सार्वजनिक शौचालयों की संख्या.....

2. सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने वाले शौचालय विहीन परिवार संख्या.....

3. सार्वजनिक भवन/स्कूल स्थित शौचालय–

1. ग्राम के विद्यालयों में शौचालय हैं? हां या नही.....
2. यदि हॉ तो –
   - क्या छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक–पृथक हैं?.....
   - क्या उपयोग करने लायक हैं?.....
   - उनकी साफ–सफाई कैसी है?.....
3. क्या ग्राम के सामुदायिक भवनों में शौचालय हैं? हां या नही.....

7. ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय–(जो लागू हो टिक(□) का निशान लगायें)

01– कृषि 02– कृषि मजदूरी

03– कारीगर 04– दैनिक मजदूर

05– अन्य कोई (विवरण दें) .....

8. ग्राम में निम्न से संबंधित मुख्य समस्यायें –

01– स्वास्थ्य .....

02– शिक्षा .....

03– स्वच्छता.....

04– पेयजल.....

05– सिंचाई.....

06– बिजली.....

07– यातायात.....

08– बेरोजगारी(पलायन).....

09– नशाखोरी.....

10– अन्य कोई.....

9. ग्रामसभा संबंधी जानकारी–

1. ग्रामसभा की बैठक कैसे होती है?.....
2. ग्रामसभा की बैठक में निर्णय कैसे लिये जाते हैं?.....

10. ग्राम में महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी–

क्र.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	कुल पात्र हितग्राहियों की संख्या	लाभ ले रहे हितग्राहियों की संख्या	योजनान्तर्गत सेवाओं के प्रदाय हेतु ग्राम में केन्द्र
01					
02					
03					
04					

❋ उपरोक्त जानकारी ग्राम पंचायत से अथवा समुदाय के प्रभावशील नेता, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र से ली जा सकती है।

11. ग्राम में स्वैच्छिकता के भाव/स्वैच्छिक संगठनों की स्थिति–

1. क्या गांव के लोग सामूहिकता एवं स्वैच्छिकता के भाव से सार्वजनिक कार्य करते हैं? हां या नही .....यदि हां तो पिछले एक वर्ष में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें.....
.....
2. क्या गांव में कोई स्वैच्छिक संगठन/समूह/समिति/दल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? हां या नही .....यदि हां तो उक्त स्वैच्छिक संगठन/समूह/समिति/दल का निम्नानुसार विवरण दें–

क्र.	संगठन का नाम	सदस्य संख्या	कार्य (विषय) क्षेत्र	किन्हीं दो सक्रिय सदस्यों का नाम व संपर्क नं.

12. ग्राम में ऐसे लोगों की जानकारी जो स्वैच्छिकता के आधार पर ग्राम विकास हेतु सहयोग देने के उत्सुक हों–

क्र.	नाम	लिंग	आयु	शैक्षणिक स्तर	आजीविका का स्त्रोत	संपर्क नं.

ग्राम के बारे में अन्य कोई टिप्पणी (Remark)–

.....

.....

.....

नोटः– चूँकि इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) के लिये समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई, बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विषयों का चयन किया गया है अतः ग्राम का प्रोफाइल भी इन्हीं विषयों पर केन्द्रित रहेगा।

7.4 ग्राम के परिवारों की फील्ड वर्क हेतु निर्धारित विषयों के संदर्भ में प्रोफाईल तैयार करना

ग्राम का प्रोफाइल तैयार करने के बाद ग्राम में निवासरत परिवारों का प्रोफाइल भी तैयार करना आवश्यक होता है। इससे आप कार्य प्रारंभ करने से लेकर कार्य पूर्ण करने तक लोगों के व्यवहार में आये परिवर्तनों को जान सकेंगे। अतः ग्राम का फील्ड वर्क हेतु निर्धारित विषयों के संदर्भ में प्रोफाईल तैयार करने के पश्चात आप ग्राम में निवासरत समस्त परिवारों की प्रोफाईल बाल विकास, सुरक्षा एवं शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई, के संदर्भ में तैयार करें। इससे आपके कार्य प्रारंभ करने से लेकर पूर्ण करने के मध्य परिवारों की स्थिति में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए यह पता लग सकेगा। इस सर्वे हेतु सुझावात्मक प्रपत्र निम्नानुसार हैं–

परिवार की जानकारी (Family Profile)

(3.3.1) सामान्य जानकारीः–

01– परिवार के मुखिया का नाम .....

02– उत्तरदाता का नाम .....

03– धर्म .....

04– जाति एवं वर्ग सामान्य/एस.सी./एस.टी./अ.पि.वर्ग.....

05– एपीएल/बीपीएल/अंत्योदय (पीले कार्डधारी).....

06– परिवार में कुल सदस्यों की संख्या – पुरूष.....स्त्री.....

07– परिवार का प्रकार – 01.एकल ..... 02.संयुक्त ..... 03.वृहद ..... 04.अन्य .....

08– क्या गांव के स्थाई निवासी हैं ? हॉ/नहीं .....

09– कुल आवासीय भूमि (वर्गफीट में).....

10– मकान का प्रकार– कच्चा/पक्का/कच्चा–पक्का .....

11– कुल भूमि– कृषि योग्य..... पड़त भूमि (बीघा में).....

12– परिवार का मुख्य व्यवसाय (टिक (□) का निशान लगायें)

1. कृषि 2. कृषि मजदूरी 3. मनरेगा मजदूरी 4. दैनिक मजदूरी 5. अन्य कोई।

13– परिवार की वार्षिक आय रू.में–

(01) 25000/– रूपये से कम।

(02) 25000/– से 50000/– तक

(03) 50000/– से 75000/– तक

(04) 75000/– से 100000/– तक

(05) 100000/– रू0 से अधिक

14– **परिवार का विवरण–**

क्र.	सदस्य का नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	जन्म तिथि	आयु	वैवाहिक स्थिति	शिक्षा का स्तर	अन्य विवरण (निःशक्तता/ड्रापआऊट/आजीविका हेतु काम आदि)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

15– **14 वर्ष से छोटे बच्चों की जानकारी –**

क्र.	नाम	आयु वर्ष एवं माह में	जन्म तिथि	लिंग	शिक्षा	पूरक पोषण आहार*	पोषण स्तर	निशक्तता यदि हों।**
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कॉलम नं.6 में निम्नानुसार कोड दर्ज करें–

यदि आयु 36 माह से 72 माह के बीच है और आंगनवाडी में जाता है तो AAW, *यदि आंगनवाडी में नहीं जाता है तो* NAAW, *यदि आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है और स्कूल जाता है तो* AS *यदि नहीं जाता है तो* NAS)

*पूरक पोषण आहार प्राप्त करता है? हाँ/नही(यदि बच्चे की आयु 3 वर्ष से कम हो)

**शारीरिक–1, मानसिक–2, दृष्टि–3, श्रवण–4, बोलने से–5

(3.3.2) बाल विकास सुरक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल

01– परिवार में यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसका विवरण –

.....

02– क्या परिवार में पिछले दस वर्ष में किसी की मृत्यु हुई है ? हॉ / नहीं

यदि हॉ तो मृत्यु का कारण .....

03– बच्चों में होने वाली मुख्य बीमारियां (सही का निशान लगायें) –

1. दस्त ..... 2. सर्दी–खांसी और निमोनिया .....3. बुखार एवं मलेरिया .....

04– बच्चों की माताओं से निम्न प्रश्न पूछें –

01– बच्चे को आप कितनी बार खाना खिलाती है –

1.) 0 से 6 माह का बच्चा (खाने की संख्या लिखें) .....

2.) 6माह से 3 वर्ष का बच्चा (खाने की संख्या लिखें).....

3.) 3वर्ष से 6वर्ष का बच्चा (खाने की संख्या लिखें).....

02– आप अपने बच्चे को किस प्रकार का खाना खिलाती है ?

1.) सुबह .....

2.) दोपहर .....

3.) शाम .....

03– क्या आपने अपने बच्चे को टीके लगवाये है ? हॉ / नहीं

जो टीका लगवाया हो उसके आगे सही का निशान लगाये –

01– बी.सी.जी. ..... 02– डी.पी.टी. .....

03– पोलियो ..... 04– खसरा .....

05– अन्य कोई (विवरण दें).....

04– क्या आपके बच्चे आंगनवाडी / प्राथमिक शाला में जाते है ? हॉ / नहीं

– यदि हॉ तो बच्चों की संख्या आंगनवाडी में.....स्कूल में.....

– यदि नहीं तो आंगनवाडी / स्कूल नहीं जाने का कारण

.....

05– आपकी बस्ती में बच्चों, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं की मुख्य समस्या क्या है ?

01– स्वास्थ्य संबंधी

02– शिक्षा संबंधी

03– पोषण संबंधी

04– मनोरंजन संबंधी

05– अन्य कोई .....

(3.3.3) समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाईः–

1. परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत स्वच्छताः–

1. क्या प्रत्येक सदस्य खाने के पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोता है? हां या नही .....
2. क्या प्रत्येक सदस्य स्वयं की साफ–सफाई (प्रतिदिन नहाना, धुले कपड़े पहनना आदि) के लिये आवश्यक कदम उठाते हैं? हॉ या नही .....
3. क्या किशोरी बालिकायें/महिलायें माहवारी के दिनों में साफ–सफाई के लिये आवश्यक कदम उठाती हैं? हॉ या नही .....

2. घरेलू स्वच्छताः–

1. क्या सदस्य घर की नियमित साफ–सफाई करते हैं? हॉ या नही .....हॉ तो कैसे.....
   .....
2. क्या घर में शौचालय है? हॉ या नही .....
   - यदि नही तो सदस्य शौच के लिये कहां जाते हैं?.....
   - यदि हॉ तो क्या शौचालय की नियमित साफ–सफाई करते हैं? हॉ या नही .....यदि हॉ तो कैसे.....
3. पशुओं को रखने का स्थान कहॉ है? घर के भीतर या बाहर.....क्या उस स्थान की प्रतिदिन साफ–सफाई होती है? हॉ या नही .....
4. पशुओं के अपशिष्ट जैसे– गोबर एवं मूत्र के निपटान की क्या व्यवस्था है?.....
5. घर के गंदे पानी के निस्तार हेतु क्या व्यवस्था है?.....
6. भोजन किस पर पकाया जाता है(गैस/चूल्हा/अन्य).....
7. घर में पेयजल का स्त्रोत क्या है?.....
8. घर पर पेयजल को स्वच्छ रखने हेतु क्या उपाय करते हैं?.....

(3.3.4) स्वैच्छिकता का भावः–

- क्या घर का कोई सदस्य किसी स्वैच्छिक संगठन/समिति/समूह/दल का सदस्य है? हॉ या नही.....यदि हॉ तो निम्न तालिकानुसार विवरण दें–

क्र.	घर के सदस्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/समिति/समूह/दल का नाम	पद	दायित्व

- क्या घर के व्यस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से ग्राम के विकास के लिये कार्य करने हेतु उत्सुक है? हॉ या नही.....यदि हॉ तो सदस्य का नाम.....तथा वह किस क्षेत्र (विषय) में कार्य करने को उत्सुक है.....
- परिवार के सदस्य/सदस्यों ने पूर्व में ग्राम विकास के किसी सार्वजनिक कार्य में स्वैच्छिकता के आधार पर सहभागिता की हैं? हॉ या नही..... हॉ तो सदस्य का नाम..... .....कार्य (विषय) क्षेत्र.....

7.5 जानकारी का विश्लेषण एवं कार्य करने की योजना बनाना

सर्वेक्षण करने बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना। जानकारी का विश्लेषण अपने परामर्शदाता (मेन्टर) के मार्गदर्शन में करें। इसी के आधार पर आप फील्ड वर्क एवं प्रदत्त कार्य करने हेतु कार्य की योजना बना सकेंगे एवं वर्ष भर कार्य कर सकेंगे। विश्लेषण के दौरान उन क्षेत्रों का पता लगाये जहॉ समुदाय के ज्ञान एवं जानकारी में कमी है तथा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इन कमियों को ग्रामवासियों के माध्यम से ही समाप्त करने हेतु योजना बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार ग्रामवासियों के साथ अलग–अलग सत्रों (मीटिंग) का आयोजन करें। कार्ययोजना बनाने में ये पॉच सवालों के जवाब बहुत मदद करते हैं–

1. ग्राम की जरूरतें क्या है? निर्धारित विषय से संबंधित ग्राम के खास जरूरतें क्या हैं– जैसे ग्राम में गंदगी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, कितने घरों में शौचालय हैं, शौचालय युक्त कितने परिवार ऐसे हैं जो शौचालय का उपयोग नही कर रहे हैं आदि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जरूरत को सबसे ऊपर तथा सबसे कम आवश्यक जरूरत को नीचे के क्रम में रखना चाहिए इससे आपको यह पता लग सकेगा कि आपको ग्राम में क्या क्या करना है।
2. इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? गॉव की खास जरूरतें पता लगाने के बाद यह तय करना होगा कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना हैं? इन्हें पूरा करने में कितने साधन लगेंगे? इनमें से कितने साधन उपलब्ध हैं जैसे– कुछ जरूरतें सरकारी कार्यक्रम/योजनाओं से भी पूरी की जा सकती है, कौनसी ऐसी जरूरतें बच गई हैं जिनके लिए साधन जुटाने पड़ेगें, ऐसे साधन कहॉ से आयेगें आदि। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि काम करने के लिए कितने संसाधन गॉव में उपलब्ध हैं, कितने संसाधन सरकार से प्राप्त हो सकते हैं तथा कितने संसाधन ग्रामवासियों के सहयोग एवं अन्य स्रोतों से जुटाने होंगे।
3. कब क्या करने की जरूरत है? जरूरतें पूरी करने के लिए क्या करना है। यह बात तय होने के बाद किस काम के लिए कब पहल करना है। यह तैयारी करना चाहिए।
4. कैसे करना है? कब क्या करना है। यह निर्धारित करने के बाद किस काम को कैसे करना है, इसकी तैयारी करना चाहिए।
5. कौन क्या करेगा? उपरोक्तानुसार जानकारी एकत्र हो जाने के बाद काम का बंटवारा और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। आप क्षेत्रीय कार्य(फील्ड वर्क) से संबंधित कार्य करने हेतु योजना बनाने, कियान्वित करने तथा उसके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में ग्रावासियों की सहभागिता एवं जिम्मेदारी तय करें। जरूरत पड़ने पर ग्राम में पूर्व से कार्यरत समितियों/समूहों/संस्थाओं की मदद भी ली जा सकती है तथा कुछ सक्रिय एवं उर्जावान लोगों को सम्मिलित करते हुए छोटी समिति भी बनाई जा सकती है।

अतः ग्रामवासियों की मदद से इन सवालों के जवाब तलाश कर उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए ग्राम में कार्य करने की योजना बनाएं।

7.6 समुदाय से संबंध एवं विश्वास स्थापित करना

जैसे ही आप अपने प्रेक्टिकल कार्य हेतु निर्धारित विषयों पर कार्य करने की योजना बना लेते हैं, आपको ग्राम के समस्त परिवारों के साथ निकट संपर्क में रहकर कार्य करना होगा। विशेषकर फील्ड वर्क के लिए आपको इन परिवारों की समस्याओं को अच्छी तरह जानने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपसे निम्नानुसार अपेक्षा है–

01– प्रत्येक परिवार से भेंट करें एवं अपना परिचय दें। अपने आने का उद्देश्य बतायें और उन्हें बतायें कि आप ग्राम में उनके पोषण एवं स्वास्थय के स्तर में सुधार तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई के स्तर में सुधार करने हेतु मदद करना चाहते हैं। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत डिप्लोमा/सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क(नेतृत्व विकास) कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत कुछ सीखने भी आये हैं।

02– उन्हें स्पष्ट करें कि आप जो भी चर्चा उनसे करेंगे वह गोपनीय रखी जायेगी और किसी अन्य को नहीं बताई जायेगी। परिवार से स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों के विकास, बच्चों के आहार संबंधी आदतें, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य, माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ–सफाई से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें तथा इस संबंध में उनकी जानकारी के स्तर एवं उनकी आदतों का पता लगायें।

03– आपको ग्राम के विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकर्ताओं, ग्राम में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/समितियों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा स्वप्रेरणा से कार्यरत व्यक्तियों से मिलना चाहिए। जैसे स्कूल टीचर, सरपंच, जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, ए.एन.एम, आशा, एल.एच.व्ही. आदि। उनसे इस प्रकार संबंध स्थापित करना चाहिए कि वे आपको अपने क्षेत्रीय कार्य में सहयोग प्रदान कर सकें।

04– ग्राम में कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिये आपको एक छोटे समूह का चयन/गठन करना चाहिए जिसमें स्वैच्छिक रूप से कार्य करने हेतु इच्छुक ग्राम के जागरूक एवं उर्जावान 05–06 लोग हों। प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी समिति का भी सहयोग ले सकते हैं।

05– चर्चा किये गये बिन्दुओं को आपकी क्षेत्रीय कार्य पुस्तिका के खाली स्थान में तिथि वार लिखे।

06– आपको आंगनवाडी कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए क्योंकि अधिकांश गतिविधि जैसे शाला पूर्व शिक्षा, वृद्धि निगरानी, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, माताओं की मीटिंग, समुदाय जागरूकता गतिविधि, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण आदि आंगनवाडी केन्द्र में करनी होंगी।

7.7 समुदाय के साथ सतत संपर्क एवं संवाद/बैठक

प्रैक्टिकल वर्क विशेषकर फील्ड वर्क हेतु चयनित विषय से संबंधित कार्य करने हेतु बनाई गई योजना तभी सफल हो सकती है जब उसके नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में ग्रामवासियों की जिम्मेदारी तय हो, ग्रामवासियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह जरूरी है कि आप ग्रामवासियों के साथ सतत सपंर्क एवं संवाद की स्थिति में रहें। ग्राम में गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व आप समुदाय के साथ बातचीत कर पूर्व तैयारी कर लें और ग्रामवासियों के साथ कई बार बैठक करें। इसके लिये आपको ग्रामवासियों/समुदाय की मीटिंग कैसे आयोजित करें यह सीखना जरूरी है।

समुदाय की मीटिंग –

ग्रामवासियों को एक नियत स्थान पर इकठ्टा होने के लिए आमंत्रित करें। ऐसा स्थान चुनना उचित होगा जहां सभी ग्रामवासी आसानी से पहुॅच सकें एवं बैठ सकें। मीटिंग के समय एवं स्थान के बारे में पहले से सूचित करना चाहिए। ग्राम स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/स्थानीय सामुदायिक नेताओं को भी आवश्यकतानुसार इस मीटिंग में शामिल करें। मीटिंग में चर्चा किये जाने वाले विषय, विषय–वस्तु एवं संचार के साधन को भी पहले से तय कर लें। यदि आप कुछ चार्ट, फ्लिप बुक, प्रचार सामग्री आदि का उपयोग करते हैं तो संदेश पृष्ठ और प्रभावी हो जाता है। एक सफल मीटिंग के आयोजन के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें –

– आपको चर्चा के विषय पर आत्मविष्वास होना चाहिए।

– चर्चा के प्रारंभ में कुछ बुनियादी नियम बना लेना चाहिए जैसे–एक बार में एक ही व्यक्ति बोले।

– प्रतिभागियों के साथ पूर्ण रूचि एवं ऑखों से संपर्क बनाते हुये बातचीत करें। सभी की तरफ देखकर बात करें।

– प्रतिभागियों को चर्चा हेतु प्रोत्साहित करें। उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। कुछ प्रतिभागी बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं। बातचीत के दौरान किसी को कुछ कहने से न रोके और न ही किसी का उपहास करें। चर्चा को प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ायें। लोगों को समस्या का समाधान बताने दें।

– अस्पष्ट एवं कठिन मुद्दों को न उठायें। संदेश स्पष्ट और अमल में लाने योग्य होना चाहिए।

– जरूरी नहीं है कि किसी विषय पर एक मीटिंग में ही चर्चा पूरी हो जाये। समय का ध्यान रखते हुये इसे उचित अवसर पर अथवा अगली मीटिंग में आगे ले जाया जा सकता है।

– संचार तभी प्रभावशाली होगा जब हम दी गई शिक्षा का स्वयं अनुसरण करें। लोग आसपास के वास्तविक उदाहरणों से अच्छी तरह सीखते हैं। बातचीत, चित्र, नारे या गीत के बजाय वे खुद करके ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं यद्यपि उक्त माध्यम संदेश पहुॅचाने में सहायक होते हैं।

– समस्या की जटिलता पर ज्यादा चर्चा न करें। उसके तथ्यों को समझते हुये उसको हल करने में सहभागी बनें।

– मीटिंग के अंत में चर्चा किये गये बिन्दुओं का सारांश प्रस्तुत करें और यदि आवश्यक हो तो आगे की मीटिंग एवं कार्य की तारीख तय करें।

– परिवारों से चर्चा करके मीटिंग का समय तय करें। आत्मविष्वास के साथ मीटिंग का आयोजन करें। मीटिंग की कार्यवाही लिखें एवं इसे मेन्टर को दिखायें।

– अपने कार्य को दर्ज करें–

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी:–

7.8 क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) हेतु सुझावात्मक गतिविधियां –

आपको ग्राम आधारित कार्य (फील्ड वर्क) हेतु चयनित ग्राम में चिन्हांकित किये गये विषय पर कार्य करने हेतु कई प्रकार की गतिविधियां करनी होगी। इस भाग में आपको इस हेतु अनेक गतिविधियां बताई गई हैं। क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) हेतु चयनित किये गये विषय के आधार पर आपको इनमें से गतिविधि चुननी होगी। मेन्टर के परामर्श से गतिविधि चुने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु समयबद्व कार्य योजना बनायें। कार्य योजना का अनुसरण करें एवं साप्ताहिक रूप से क्षेत्रीय कार्य पुस्तिका के साथ मेन्टर को रिपोर्ट करें। ये गतिविधियां सुझावात्मक हैं, ग्राम की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार आपके परामर्षदाता (मेन्टर) के मार्गदर्शन में अन्य गतिविधियां का संचालन भी करना होगा।

गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में नियमित अंतराल में ग्रामवासियों के साथ मीटिंग करें और उसका फालोअप करें और देखे कि क्या समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है किंतु यदि ग्रामवासियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नही हो रहा तो अपने परामर्शदाता (मेन्टर) से इस विषय से चर्चा कर उनके मार्गदर्शन में कार्य विधि में परिवर्तन करें।

वर्ष भर सतत् रूप से कार्य करने के पश्चात पुनः उन्हीं बिंदुओं के आधार पर ग्राम का सर्वेक्षण (End Line Survey) करें। सर्वे से ग्राम में कितना परिवर्तन आया है यह ज्ञात हो सकेगा, जो कि आपके क्षेत्रीय कार्य के मूल्यांकन के कार्य का आधार होगा।

7.9 सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लिए प्रायोगिक कार्य

सतत् विकास लक्ष्य 2030 को हासिल क्यों किया जाना जरूरी है?

ऐसा इसलिए, ताकि विश्व में गरीबी, भुखमरी और असमानता को खत्म किया जा सके। ये लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किये जा सकते हैं, जब तक कि हमारे गांव और इलाके में इन लक्ष्यों को हासिल करने की जुनूनी पहल न हो। ये लक्ष्य केवल सरकारी कार्यक्रमों के बन जाने से हासिल नहीं होने वाले हैं। इन्हें हासिल करने के लिए समुदाय को बदलाव की कमान अपने हाथ में लेनी होगी।

हमने यह जान लिया है कि इन लक्ष्यों की सूची में विकास कौन–कौन से पहलू शामिल हैं। हमने उनके अर्थ को भी समझा है और अपनी भूमिका को भी पहचानने की कोशिश की है।

अब हम इस विषय (टिकाऊ विकास लक्ष्य 2030 और समुदाय की भूमिका) के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यह हिस्सा है प्रायोगिक कार्य का। जितने भी लक्ष्यों को हमने यहाँ चुना है, उन्हें हासिल करने के लिए हमें अपनी पंचायत/समुदाय में एक साझा पहल करना है।

मकसद

इसका मकसद यह है कि हम एक बेहतर समाज, जिसमें कोई भूखा न सोये, गरीबी में न रहे और हर कोई असमानता के जख्म से मुक्त हो, इस लक्ष्य को हम अपने सीमित दायरे में हासिल कर सकें। यह काम कैसे किया जाएगा, इसके कुछ प्रयोग हमें करने होंगे। बात केवल किताबी न रहे और उसे हम जमीन पर उतार सकेंगे या नहीं, यह जांचना इन प्रायोगिक कामों का मकसद है।

एस.डी.जी. लक्ष्य के लिए प्रायोगिक/जमीनी कार्य का तरीका

1. प्रायोगिक कार्य की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ समय इस बात पर विचार करने के लिए लगाना चाहिए कि हम जब अपने समुदाय, गांव या समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तब हमारे सामने कैसे समाज और गांव का चित्र उभरता है? हम अपने परिवेश को किस रूप में देखना चाहते हैं?

2. हम जिस गांव, बस्ती, समुदाय में काम कर रहे हैं, वहाँ सबसे वंचित, शोषित और सबसे उपेक्षित कौन है और क्यों है?

3. जरा उन जानकारियों को इकठ्ठा करें, जिसने यह पता चले कि वहां किन–किन लोगों के लिए, किस–किस तरह की योजनाएं, कार्यक्रम और क़ानून मौजूद हैं?

4. अपने से यह सवाल पूछिए कि क्या मुझे जानकारी है –

   - समुदाय में सबसे वंचित लोगों के बारे में?
   - उनके वंचितपन के कारणों के बारे में?
   - इसके बारे में कि पंचायत में किन–किन लोगों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं?
   - लोगों को कौन–कौन से हक कानूनों के जरिये मिले हुए हैं?
   - सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति क्या है?

5. हमने यह तय कर लिया है कि सामुदायिक नेतृत्व की प्रक्रिया से जुड़ने का मतलब है लोगों के, खास तौर पर सबसे वंचित तबके की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाना।

6. इसके लिए हमें एक तरफ तो जानकारियों को इकठ्ठा करना होगा, दूसरी तरफ लोगों को एकजुट करते हुए योजनाओं–कार्यक्रमों–क़ानून का सही रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

7. प्रायोगिक कार्य की शुरुआत में हम अपने विषय (जो भी कार्यक्रम या लक्ष्य तय किया है) से सम्बंधित जानकारी (जैसे मनरेगा में रोज़गार, सामाजिक अंकेक्षण, काम के मांग, बेरोज़गारी भत्ते, मजदूरी के भुगतान आदि) इकठ्ठा करनी होगी और उसका थोड़ा विश्लेषण करना होगा, ताकि

हमें यह पता चल सके कि कितने लोगों को रोज़गार की जरूरत है, कितनों को मिलता है, पलायन की स्थिति और इसका उनकी जिंदगी पर असर क्या पड़ रहे हैं? इसी तरह वन अधिकार क़ानून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, स्वच्छता, खेल के मैदान, स्कूल, पीने के पानी की स्थिति, महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि–आदि विषयों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके विश्लेषण किया जा सकता है।

8. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जानकारियों को समूह चर्चा के माध्यम से समाज के लोगों के बीच में बाँटें और वहीँ उसका विश्लेषण करें। कोशिश करें कि अपनी जानकारी, ज्ञान और पूर्वाग्रहों से यह विश्लेषण प्रभावित न हो।

9. प्रायोगिक कार्य के लिए हमने जो विषय या मुद्दा तय किया है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और हम उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपनी प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, यह एक कागज़ पर लिख लें।

10. प्रायोगिक कार्य के अंत में आपको यह जांचना है कि जब हमने शुरुआत की थी, तब क्या स्थिति थी और हमारी पहल के बाद हमने स्थितियों को कैसे और कितना बदला?

11. अपने काम, अनुभवों, समाज से बातचीत के दौरान उभर कर आ रहे बिंदुओं को लगातार लिखते जाना।

12. यह जांचें कि हम जिस विषय/मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उसका टिकाऊ विकास लक्ष्यों से क्या जुड़ाव है?

कुछ तरीके, जिनका उपयोग किया जाए –

1. समुदाय के साथ समूह चर्चा और उसका दस्तावेजीकरण करना
2. योजना/क़ानून से सम्बंधित लोगों/परिवारों से सघन बातचीत
3. योजना/कार्यक्रम से सम्बंधित स्थानों/दफ्तरों का भ्रमण और अवलोकन
4. तथ्यों और जानकारियों को इकठ्ठा करने के लिए प्रश्नावली
5. उपलब्ध हो रही जानकारियों/तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखना
6. उपलब्ध जानकारियों की पुनःजाँच
7. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या सम्बंधित विभाग से अपने विषय/गांव से सम्बंधित जानकारियां हासिल करना
8. सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना
9. समुदाय से आवेदन बनवाना, लगवाना और फालोअप में उनकी मदद करना

प्रायोगिक/जमीनी कार्य की रिपोर्ट

आपको अपने प्रायोगिक कार्य के तहत अंत में एक लिखित रूप में एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसमें आपको निम्न बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देना होगी?

बिंदु	अपेक्षा	आपका उत्तर और विश्लेषण
उद्देश्य	हमने जिस विषय/मुद्दे पर प्रायोगिक/जमीनी काम किया, वह विषय हमने क्यों और कैसे चुना?	
परिस्थिति का आंकलन	जिस विषय/मुद्दे पर हमने प्रायोगिक/जमीनी काम किया, उस विषय की स्थिति काम की शुरूआत में क्या थी यानी परिस्थिति क्या थी? हमने परिस्थिति का आंकलन कैसे किया?	
समुदाय की भूमिका और नेतृत्व	हमने जो काम किया उसमें समुदाय/उस विषय से प्रभावित लोगों की क्या भूमिका थी? क्या आपको लगता है कि समुदाय इस विषय से जुड़ पाया और इसमें नेतृत्व लिया?	
प्रक्रिया	हमने जो प्रायोगिक/मैदानी काम किया, उसकी प्रक्रिया क्या थी? पंचायत से चर्चा, आवेदन, बैठक, संवाद, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से मिलना, समुदाय के साथ बैठकें, लिखा–पढ़ी आदि काम कब, क्यों और किस तरह से किये गए? और इन्हें करने की जरूरत क्यों पड़ी?	
तैयारियां इस	प्रायोगिक/मैदानी कार्य को करने के लिए हमने क्या–क्या तैयारियां की थीं? मसलन जानकारियां इकठ्ठा करना, समूह बनाने के लिए लोग की पहचान करना, सहयोगियों की पहचान करना अदि	
साझेदारी	इस काम में हमें किन्होनें – किस तरह का सहयोग किया?	
चुनौतियां	इस काम में हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां आयीं और हमने उनका सामना कैसे किया?	
बदलाव/प्रभाव	इस काम को करने से क्या बदलाव आया, क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ? यह जरूरी है कि आपकी व्याख्या में आपकी भूमिका और क्या बदलाव हुआ, वह स्पष्ट रूप से नज़र आये।	
सीखें	इस काम के करने से हमें हमने क्या सीखा?	
संख्यात्मक स्थिति	हमने जो प्रायोगिक/मैदानी कार्य किया, उससे कितने लोगों/परिवारों को लाभ हुआ और किस तरह का लाभ हुआ? जैसे 100 लोगों ने रोज़गार के लिए आवेदन दिया, काम पाया और समय पर मजदूरी हासिल की।	
कोई और बात, जो आप साझा करना		

7.10 – प्रथम वर्ष के प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 1

खेल का अधिकार और बच्चों का विकास

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता–युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवनपर्यंत सीखने के अवसर सुलभ करना।

पृष्ठभूमि

सतत् विकास लक्ष्य के मुताबिक हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी है, जिसके जरिये सबको, बिना भेदभाव के न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा का मतलब यह भी है कि जीवन भर सीखने का अवसर मिलता रहे। हम सोचते हैं कि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में खेलों का कितना महत्व है? क्या शिक्षा और सीखने की बात करते समय खेलों की व्यवस्था की बात नहीं होना चाहिए? चाहार दीवारी के भीतर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था बच्चों को रचनात्मक नहीं बना सकती है। इसके लिए उन्हें मैदानों, पहाड़ों, नदियों, पगडंडियों, संस्कृति के केन्द्रों, जंगलों के बीच भी जाना होगा। अपने परिवेश के मेल–मुलाकात शिक्षा और विकास का अभिन्न अंग है।

बचपन विकास की उम्र होती है। इस उम्र में शरीर, दिमाग और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए अक्सर बात की है, पर क्या उनके खेल के अधिकार के लिए बात नहीं की जाना चाहिए। क्या खेल मानसिक और शारीरिक विकास की सबसे बुनियादी जरूरत नहीं हैं? क्या खेलों से भी बच्चों का समाजीकरण नहीं होता है। वास्तव में खेलों से बच्चों के विकास और जाति–लिंग आधारित भेदभाव को खतम करने की गुंजाइश बनती है।

बच्चों के खेल का अधिकार एक उपेक्षित विषय है। जब तक यह उपेक्षित है, तब तक बच्चों के विकास के अधिकार का हनन होना जारी रहेगा। जब हमने समाजों में परंपरा से चले आ रहे खेलों, जैसे खो–खो, कबड्डी, रस्सी कूदनी, पेड़ पर चढ़ना, लकड़ी की मचान को आधार बना कर ऊँचाई पर चलना, कुश्ती, दौड़, चौसर, अष्टा–चंगा, पीठ–कुटाई, छुपन–छुपाई आदि की उपेक्षा की तो खेलों में भी एकाधिकार स्थापित हो गया। आज जब हम खेलों की व्यवस्था की बात करते हैं तो क्रिकेट जैसे खेलों का ज्यादा जिक्र आता है। हमें सोचना चाहिए कि अपने समुदाय की विशेषताओं की पहचान करें और देखें कि हमारे यहाँ बच्चों–युवाओं के कौन से खेल उल्लेखनीय हैं? और उन्हें बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाएँ।

बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनके शरीर के अंगों को सही विकास, चुनौतियों से निपटने और सामंजस्य का कौशल विकसित करने के लिए खेल अनिवार्य हैं।

इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य का मकसद है कि हम अपने गांव/परिवेश और समुदाय में बच्चों के खेल के अधिकार पर बात करें और सुनिश्चित करें कि खेलों के लिए बुनियादी और सुरक्षित ढांचा गांव में उपलब्ध हो। जहाँ खेल के मैदान नहीं हैं, वहां खेल के मैदान बनें, जहाँ रखरखाव

या सुधार की जरूरत हैं, वहां सुधार हो और खेल का अधिकार बच्चों के जीवन का बुनियादी अंग बने।

सन्दर्भ

भारत ने संयुक्त राष्ट संघ द्वारा प्रतिपादित "बाल अधिकार समझौतों" को स्वीकार किया है और उन्हें लागू करने का वायदा किया है। इस समझौते के अनुच्छेद 31 के मुताबिक बच्चों को आराम करने, खेलने, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार है। उन्हें अधिकार है कि वे वृहद सांस्कृतिक, कलात्मक और रचनात्मक कामों में शामिल हो सकें।

अब शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है। इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भारत में शिक्षा का अधिकार क़ानून–2009 बना है। यह कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।

यह क़ानून भी कहता है कि –

1) हर स्कूल में खेल का मैदान होगा।

2) हर कक्षा की जरूरत के मुताबिक खेलों की सामग्री, खिलौने–खेल और खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जायेंगे।

स्पष्ट प्रावधान

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने 26 अक्टूबर 2012 को और मध्यप्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 सितम्बर 2013 को निर्देश जारी करके स्पष्ट किया है कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 में वर्णित अनुसूची के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए स्कूल संचालन के मान एवं मानक तय किये गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रत्येक स्कूल के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था होना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र में इस सम्बन्ध में यह लेख किया गया है कि प्रत्येक स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान उपलब्ध हो। यह स्कूल से लगा हुआ खेल मैदान/नगरीय क्षेत्र में पार्क आदि हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि स्कूल परिसर में ही खेल मैदान हो।"

व्यवस्थाएं

स्कूलों में खेल के मैदान और खेल सामग्री – {शिक्षा का अधिकार क़ानून, शाला प्रबंधन समिति, शाला विकास योजना}

इसका मतलब यह है कि सभी स्कूलों में खेल के मैदान का नीतिगत और कानूनी प्रावधान उपलब्ध है। अब यह साफ़ करना है कि जहाँ मैदान नहीं हैं, वहाँ मैदान कैसे बन सकते हैं?

जहाँ तक स्कूलों में खेल के मैदान होने का प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत हर स्कूल में "शाला प्रबंधन समिति" का गठन किया जाना है। स्कूलों और शिक्षा के विकास के लिए इन समितियों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेदारियां दी हैं। इनमें से एक है– शिक्षा का

अधिकार क़ानून द्वारा स्कूलों के लिए तय किये गए मान और मानकों को सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना।

शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है कि वह तीन साल के लिए शाला विकास योजना बनाए। शाला विकास योजना को लागू करने के लिए आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समुदाय से कौन सा सहयोग/संसाधन मिल सकते हैं? इस योजना में खेल के मैदान का विकास और खेल के सामान की उपलब्धता के लिए प्रावधान किये जा सकते हैं।

हमें यह देखना है कि बच्चों के हित में इन कानूनी प्रावधानों का उपयोग जरूर हो।

गांव/बस्ती में खेल के मैदान का विकास – मनरेगा ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना

स्कूली व्यवस्था से इतर भी यह व्यवस्था है कि गांव/बस्ती में बच्चों के लिए खेल का मैदान हो। मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत एक उपयोजना बनायी गयी है। इस उपयोजना का नाम है – मनरेगा ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना।

आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून/योजना का मकसद है सभी ग्रामीण परिवारों को रोज़गार का हक उपलब्ध करवाना। इस सोच को लागू करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र चुने गए हैं, जिनसे उपयोगी और स्थायी जरूरी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इन में बच्चों के लिए खेल के मैदान को भी शामिल किया गया है। जितनी खेती महत्वपूर्ण है, जितना पर्यावरण और पानी महत्वपूर्ण है, उतना ही खेल का मैदान भी जरूरी है।

मनरेगा ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना का मकसद लोगों को रोज़गार का अधिकार दिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इससे खेल के मैदान विकसित किये जाने हैं। सोच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में खेलों के प्रति उत्साह बना रहे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

महत्वपूर्ण बातें

जब हम खेल के मैदान और खेल के अधिकार की बात करने हैं, तब हमें ध्यान रखना होगा कि

1- लड़कियों को खेलों में समान स्थान मिले, उनकी अभिरुचियों को महत्व मिले।

2- जो बच्चे या युवा किसी किस्म की विकलांगता से प्रभावित हैं, उनके लिए भी खेलों की व्यवस्था हो। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विकलांगता से प्रभावित लोगों के लिए कोई नए खेल लाये जाएँ, बल्कि जरूरी यह है कि ढांचागत व्यवस्थाएं उनके अनुरूप हों और उन्हें भी बराबरी से भागीदारी का स्थान दिया जाये।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य का मकसद बच्चों के खेल के अधिकार को सुनिश्चित करना है। इसके लिए जरूरी है कि समुदाय को एकजुट करते हुए सहभागी प्रक्रिया से हम इस लक्ष्य को हासिल करें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	**क्या कार्यवाही करें?**
हम समुदाय के साथ बार–बार संवाद करके यह जानें कि अपने समुदाय में कौन–कौन से खेल खेले जाते हैं हैं? और अभी उनकी क्या स्थिति है?	इसके लिए हम गांव/समुदाय के बुजुर्गों से आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ समूह चर्चा कर सकते हैं। इसमें भी हमें देखना होगा कि महिलाओं से भी चर्चा हो।
अभी की स्थिति में बच्चे और युवा कौन से खेल खेलते हैं? क्या वास्तव में इस मामले में पर्याप्त अवसर और मौके उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या इससे बच्चों और युवाओं पर कोई असर पड़ता दीखता है?	इसके लिए हमें बच्चों और युवाओं के साथ समूह में चर्चा करना होगी। कुछ मामलों में समुदाय के बड़े–बुजुर्गों से भी बात करना होगी ताकि यह पता चल सके कि खेलों के अवसर का अभाव कहीं बच्चों, किशोरावस्था के बच्चों और योवाओं को बुरी आदतों की तरफ नहीं धकेलता है? इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी बात की जा सकती है।
खेल के मैदानों–सुविधाओं की मौजूदा स्थिति क्या है?	यह आंकलन करना कि वर्तमान में गांव/बस्ती में खेलों की कौन–कौन सी सुविधाएँ/मैदान उपलब्ध हैं? इसमें हमें लड़कियों और विकलांगता से प्रभावित समूह को खास नज़रिए से देखना चाहिए। इस पर गांव में ग्राम सभा में भी व्यवस्थित रूप से चर्चा हो।
शाला प्रबंधन समिति के साथ प्रक्रिया चलाना	गांव के स्कूल/स्कूलों में खेल के मैदान के विकास/निर्माण के लिए शाला विकास समिति के साथ जुड़ कर प्रक्रिया चलाना। साथ ही यह भी देखें शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक हर कक्षा के लिए खेल का सामान लिया गया या नहीं? किस तरह का समान लिया गया? उस सामान तक बच्चों की पंहुच है या नहीं? क्या बच्चे उसका उपयोग करते हैं? उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है आदि? इसके साथ ही जहाँ जरूरत पड़ती है, वहां शाला विकास योजना में प्रावधान किये जाएँ।
मनरेगा ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना	गांव में खेलों के लिए मैदान बनाने के लिए इस उपयोजना का उपयोग किया जाए। ग्राम सभा में चर्चा करके इसे व्यवस्थित ढंग से मनरेगा के प्राथमिक कामों की सूची में लाया जाए और व्यवस्था का विकास किया जाए।
बाकी अन्य कई पहलू, जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 2

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि

देश और दुनिया में बदलाव का एक महत्वपूर्ण पैमाना है सभी के लिए स्वास्थ्य के वायदे को पूरा करना। स्वास्थ्य का मतलब केवल यह नहीं है कि बीमारी का इलाज़ मिले, दवाएं हों और अस्पताल खुलें। मूल बात यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बना सकें और ऐसा व्यवहार करें, जिससे लोग बीमार न पड़ें। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा बीमारियाँ जीवन जीने के बेतरतीब तरीके के कारण बढ़ रही हैं। तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनके लिए हमें अपने गांव में जीवन शैली, पर्यावरण, पीने के पानी की व्यवस्था, खेल के मैदान और सामाजिक–आर्थिक बराबरी पर बात करना ज्यादा जरूरी है। एक स्तर पर सभी इस विचार से सहमति होते हैं, पर उसे लागू करना असंभव मानते हैं। हमर ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि अस्पताल, डाक्टर, दवाएं आदि से जुड़े हालात क्या हैं? बीमारी के कारणों पर आप बहुत महत्वपूर्ण पहल कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने एक विकल्प है ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति को सुदृढ़ बनाने का काम कर सकते हैं।

राष्ट्रीय (ग्रामीण) स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति का गठन किया गया है। इसका मुख्य मकसद है मैदानी स्थितियों के मुताबिक स्थानीय समुदाय और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में समुदाय को स्वस्थ बनाना। हमें यह जानना होगा कि बीमारी का कारण केवल कोई विषाणु ही नहीं होता है। कई सामाजिक पहलू अस्वस्थ बनाने का काम करते हैं। जैसे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, किशोरी बालिकाओं को उनकी समस्यायों पर बात करने का अवसर न मिलना, जातिगत भेदभाव के कारण हकों और सेवाओं से वंचित रह जाना।

यह समिति विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था यानी पंचायती राज–ग्रामसभा की व्यवस्था के तहत उपसमिति के रूप में काम करती है। इस प्रकार की कई योजनाएं बन जाने के बाद भी लोगों तक पंहुच नहीं पाती हैं, इस समिति से अपेक्षा की जाती है कि यह समिति स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण से सम्बंधित अधिकारों और सेवाओं को लोगों तक पंहुचाने के लिए रास्ता बनाएगी। इन्हें गांव में स्वास्थ्य और कुपोषण की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और उसके मुताबिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। यह समिति बेहतर पोषक तत्वों से युक्त उपलब्ध स्थानीय भोजन के साथ–साथ स्थानीय संस्कृति के मुताबिक (पारंपरिक बुद्धिमता) व्यवहार को बढ़ावा देगी। गांव में हर महीने ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन करें ताकि बच्चों की वृद्धि निगरानी, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण से सम्बंधित बातचीत हो सके और कार्यक्रम का सही क्रियान्वयन हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा तैयार सामुदायिक प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में इस समिति और इसके कामों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसी तरह के सरकारी सन्दर्भों का उपयोग करके जानकारियाँ यहाँ दी जा रही हैं।

यह समिति,

- स्वास्थ्य सुविधा देने वाले सेवा प्रदाताओं (जैसे आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के साथ समुदाय का तालमेल बनाकर सभी तक सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से गठित की गयी है।
- गांव की जरूरतों और समस्याओं को देखते हुये समुदाय की भागीदारी से गांव की स्वास्थ्य योजना बनायेगी और उसे लागू करने में मदद करेगी।
- गांव में सभी लोग स्वस्थ रहें इसके लिये समय–समय पर जरूरी कार्यक्रमों/गतिविधियों में मदद करेगी।
- गंदगी से होने वाली बीमारियों से स्वस्थ रहने के लिये स्वच्छता के विषय में जनभागीदारी और जागरूकता लाएगी।

समिति का गठन

ग्राम सभा की एक तदर्थ समिति होगी जो ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के नाम से जानी जायेगी। सुविधा के लिए इसे ग्राम स्वस्थ समिति कहेंगे।

1. समिति में कम से कम बारह एवं अधिकतम बीस सदस्य विषय के संबंध में हित रखने वाले होंगे। इसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य रहेंगी।

2. कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य रह सकेगा।

3. समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से का कम से कम एक सदस्य होगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला समिति में होगी।

5. समिति में गांव की सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिये उत्त.रदायी स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष और क्षेत्र का हैण्डपम्प मेकेनिक/सहायक मेकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे।

6. समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्रामसभा द्वारा नामांकित किया जायेगा।

7. महिला सदस्य समिति की सभापति होगी। समिति के विभिन्न खातों के लिये अलग–अलग कोषाध्यक्ष होंगी। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिये कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी। सभापति और कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा।

समिति में कौन – कौन होंगे ?

1. गांव की सभी महिला पंच
2. आशा कार्यकर्ता
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
4. ए.एन.एम.
5. मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्षता, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चलाने वाले स्व सहायता समूह की अध्यक्ष और हेण्डपम्प सहायक मैकेनिक, समिति के सदस्य होंगे
6. गांव में काम कर रहे एन.जी.ओ./स्व सहायता समूह के सदस्य समिति की बैठक में आमंत्रित किये जा सकेंगे।

पदाधिकारी

अध्यक्षः समिति की अध्यक्ष महिला सदस्य ही होगी। वह कोई भी महिला हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वह पंच या कोई पदाधिकारी हो।

समिति का सचिवः ग्राम पंचायत का सचिव, समिति का सचिव होगा। समिति के सभी काम समिति के सचिव द्वारा किये जायेंगे। समिति का प्रबंध निम्नलिखित रूप से होगा –

- स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन (एन. आर.एच.एम.) के अधीन आशा कार्यकर्ता, सहायक सचिव होगी।
- वह समिति के सचिव को प्रषासनिक कार्यो में सहायता करेगी और सचिव द्वारा उनकी अनुपस्थिति के दौरान सौंपे गये काम करेगी।
- यदि गांव में एक से अधिक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं तो जो ऑगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता में से ज्यादा पढ़े लिखा हो, सहायक सचिव होगा।
- समान योग्यता होने की दशा में कम आयु के कार्यकर्ता का चयन इस पद के लिये किया जायेगा।

कोषाध्यक्षः समिति के अलग–अलग खाते होंगे। लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिये कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी। कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जायेगा।

ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक

समिति का काम अच्छी तरह से चले, इसके लिये सदस्यों को बैठकें करनी होंगी। ये बैठकें जितनी असरदार और व्यवस्थित होंगी समिति का काम उतना ही अच्छा होगा। इसलिये बैठक के बारे में कुछ बातें समझना जरूरी है–

1. समिति की बैठक एक माह में कम से कम एक बार जरूर हो। जरूरत पड़ने पर विषेष बैठक भी बीच में बुलाई जा सकती है।
2. बैठक की सूचना और उसकी कार्य सूची (एजेंडा) समिति सचिव के माध्यम से की जायेगी।
3. पहले से तय गतिविधियों की समीक्षा सिलसिलेवार होना चाहिये।

4. प्राप्त राशि के व्यय का लेखा–जोखा बैठक में रखना चाहिये और आगामी कार्य योजना बनाना चाहिये। अन्य माध्यमों से प्राप्त आय को भी योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।

5. बैठक की तारीख, समय, स्थान और कार्य सूची समिति के सदस्यों की सलाह से सचिव द्वारा निश्चित की जायेगी।

6. समिति के कुल सदस्यों के आधे उपस्थित होने पर ही कोरम पूरा होगा।

7. कोरम पूरा न हो तो, बैठक एक घंटे के लिये रोककर फिर से बैठक की जा सकती है इसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी।

8. बैठक में सबसे पहले, पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सुनाया जाये। चर्चा के बाद उसकी मंजूरी जरूरी है।

9. पिछली बैठक में तय किये गये काम कितने हुये इनका ब्यौरा, पेश किया जाये जो काम नहीं हुये, उनकी स्थिति और पूरे न होने के कारण बताये जायें।

10. बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिये। महिलाओं और गरीब तबके के लोगों की बात जरूर सुनी जाये।

बैठक की तैयारी

1. बैठक ऐसी जगह हो जहां सभी सदस्य आसानी से आ सकें।

2. ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना हो गयी हो तो वहां बैठक करना उचित होगा।

3. बैठक की सूचना सभी को समय रहते जरूर पहुंच जाये।

4. समिति के सचिव को चाहिये कि वह बैठक से पहले पूरी जानकारी जैसे – खर्च का अब तक का ब्यौरा, की गतिविधियां, सरकार से आई जानकारियां आदि की पूरी तैयारी करके आयें।

5. बैठक का एजेंडा और प्राथमिकतायें स्पष्ट हों।

6. बैठक में सभी जरूरी दस्तावेज, नियम/सरकार से आये प्रपत्र बैंक पास बुक, आय–व्यय का रजिस्टर जरूर उपलब्ध हो।

7. नई सूचनाओं जानकारियों को सचिव द्वारा सदस्यों के बीच पढ़कर सुनाया जाये।

8. समिति की बैठकों में सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच, सक्रिय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि, एन.जी.ओ., स्व–सहायता समूह, स्व–सहायता समूह अध्यक्षों/सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाये।

कार्यवाही रजिस्टर

- समिति की बैठकों का एक कार्यवाही रजिस्टर होगा, जिसमें बैठक में हुई चर्चा का विवरण और लिये गये फैसले सिलसिलेवार सचिव द्वारा दर्ज किए जायेंगे।
- रजिस्टर में समिति के सभी उपस्थित सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सभी हस्ताक्षर करेंगे।

- सचिव द्वारा बैठक का विवरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, आंगनवाड़ी केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र को भी भेजा जायेगा। यदि कुछ सदस्य पढ़े–लिखे न हों तो रजिस्टर में लिखा हुआ विवरण पढ़कर सुनायें और उसका मतलब समझाएंगे।

समिति के काम करने का तरीका

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों के अनुसार गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ तभी मिल सकेगा, जब ग्रामसभा की स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति अच्छी तरह काम करेगी इसलिए यहाँ समिति के काम करने का तरीका स्पष्ट करना जरूरी है –

- यदि समिति का कोरम पूरा न हो तो बैठक स्थगित कर एक घण्टे बाद फिर से बैठक की जा सकती है जिसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी फिर भी पूरी कोशिश यह होनी चाहिये कि समिति की बैठक में न केवल कोरम पूरा हो, बल्कि बैठक में अधिक से अधिक सदस्य शामिल हों।
- कोरम के अभाव में जहां तक संभव हो, बैठकें नहीं होना चाहिये। बिना कोरम के स्थगित बैठक का नियम होते हुये भी इसका उपयोग न करना पड़े, तो यह भी एक अच्छी समिति की पहचान होगी।
- समिति की बैठक के पहले सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सलाह से बैठक का एजेण्डा स्पष्ट रूप से तैयार कर लिया जाये और समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना के साथ ही एजेण्डा भी जरूर भेजा जाये।
- बैठक में सभी सदस्य आ सकें, इसके लिये सचिव यह सुनिष्चित करें कि बैठक की सूचना कम से कम 4–5 दिन पहले सदस्यों को जरूर मिल जाये।
- जहां तक संभव हो, समिति के फैसले सर्वसम्मति से हों।
- समिति के द्वारा लिये गये फैसलों को लागू करवाने के लिए समिति के सदस्यों को कोशिश करनी चाहिए।
- समिति के फैसले हो जाने पर सभी सदस्यों की यह सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उस फैसले के विरूद्ध न कुछ कहें और न कोई काम होने दें।
- यदि समिति की जानकारी में यह आता है कि ऐसा कोई काम हो रहा है, जिसका समिति में फैसला नहीं हुआ है तो वे समिति सभी सदस्यों की जानकारी में यह बात लाये और बैठक में भी चर्चा करें।
- समिति की बैठक में उपस्थिति के दस्तखत किये जायें।
- समिति की बैठक की कार्रवाही वाले रजिस्टर में कार्रवाई के बाद समिति सदस्यों के दस्तखत हो जाने के बाद ही उसे समिति की कार्यवाही माना जाये।
- समिति में लिए गये फैसलों को ग्रामसभा और ग्राम पंचायतों के साथ–साथ संबंधित पक्षों को भेजना चाहिए।
- समिति के ऐसे सदस्य जो पढ़ना–लिखना नहीं जानते, उनके लिये कार्यवाही पढ़कर जरूर सुनाई जाये, इसके बाद ही उनके दस्तखत कराये जायें।

- समिति की कार्यवाही लिखते समय शासन के नियमों, परिपत्रों का उल्लेख करना जरूरी है।
- विभागीय सरकारी कर्मचारियों पर समिति का नियंत्रण होगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है इसलिए कर्मचारियों के वेतन आदि मामलों के फैसले नियमों के अनुसार ही किये जाएं।
- वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाला हितग्राही अगर समिति सदस्य का निकटतम संबंधी हो तो वह फैसले के समय बैठक में शामिल न हो।
- अक्सर देखने में आता है कि कुछ सदस्य बिना पढ़े ही हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देते हैं। यह गैर जिम्मेदारी है। जहां किसी के दस्तखत/अंगूठा निशान होते हैं वह उसमें लिखी हर बात के लिए जिम्मेदार होता है इसलिए दस्तखत या अंगूठा लगाने से पहले उसे पढ़वा लें, समझ लें फिर बाद में दस्तखत/अंगूठा लगायें।

समिति की अवधि

1. समिति का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान होगा। नई ग्राम पंचायत के गठन के बाद ग्राम सभा, समिति के सदस्यों को फिर से नामांकित करेगी।
2. यदि कोई सदस्य बगैर उचित कारण के लगातार तीन बैठकों में गैरहाजिर रहता है तो उसकी सदस्यता कम से कम पचास प्रतिषत सदस्यों के अनुमोदन से समाप्त कर दी जायेगी। ग्राम पंचायत (या ग्राम सभा) दूसरे सदस्य के नामांकन से खाली जगह भरेगी।
3. जब ग्राम स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिषन तथा पोषाहार कार्यक्रम अभियान सभी पहलूओं से पूरे हो जाते हैं, तो संबंधित तदर्थ समिति अपने आप भंग हो जायेगी।

शक्तियां, कार्य तथा समिति की जिम्मेदारी

समिति को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यो का पुनर्विलोकन, पर्यवेक्षण, मॉनीटर तथा समन्वयन की भूमिका और जिम्मेदारियां उसे सौंपी गई हैं। जैसे–समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम को चलाने के लिए सषक्तित किया गया है। संबंधित विभाग, योजना को लागू करने में सदस्यों की भूमिका और समिति की जिम्मेदारियों के लिए अलग तथा संयुक्त रूप से प्रशासनिक निर्देश जारी करेंगे।

समिति का नियंत्रण

ग्राम स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर नियंत्रण होगा। कार्यक्रमों के अलावा आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम., सुपरवाइजर एवं गांव के स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर भी उसका नियंत्रण होगा।

कर्मचारियों पर नियंत्रण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम 1993 की धारा 7(ठ) के अनुसार ग्राम सभा को ग्राम स्तर के सभी शासकीय कर्मचारियों पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गयी है जिसके अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने, आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने, कार्य करने का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्ति होगी।

ग्रामसभा को उप धारा 1 (एक) में दिये गये सरकारी कर्मचारियों के अपचार एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिये दण्ड देने के संबंध में सिफारिष सक्षम अधिकारी को करने की शक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग में इसका पालन ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा। समिति आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम, सुपरवाइजर एवं ग्राम स्तर के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगी।

कर्मचारियों का मुख्यालय

स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण सेवा में पदस्थ कर्मचारियों का मुख्यालय निर्धारित किया जायेगा। निर्धारित किये गये मुख्यालय की सूचना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम स्वस्थ्य समिति को लिखित में देंगे। कर्मचारियों का मुख्यालय ग्राम सभा ग्राम समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में अनिवार्य रूप से लिखा जाये।

कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र

जिन कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभाओं में फैला हो, ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपने प्रभार के प्रत्येक गांव में जाने के लिये दिन तय करेंगे। तय दिन की सूचना संबंधित ग्राम सभा की ग्राम स्वस्थ्य समिति को लिखित में देंगे। समिति अपने कार्यवाही विवरण में कर्मचारियों के गांव में आने के दिन लिखेगी।

भ्रमण/दौरा

संबंधित कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित दिनांक को अनिवार्य रूप से तयशुदा गांव का भ्रमण करें और समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से मिलें। अपनी टूर डायरी में वह समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि उनके द्वारा निर्धारित गांव का दौरा किया गया है और गांव में जो काम किया है, उसे भी इस डायरी में लिखे।

वेतन का आहरण

शासकीय कर्मचारियों का वेतन तब तक नहीं निकाला जायेगा, जब तक वे अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्राम स्वस्थ्य समिति से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर लेते कि उनके द्वारा पूरे माह में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया गया है। यह प्रमाण–पत्र प्राप्त कर वेतन देयक में संलग्न करना होगा। जिसकी जांच करने के बाद ही उनका वेतन देयक पास किया जायेगा। इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समिति द्वारा किया जायेगा।

मानदेय का भुगतान

जिन कर्मचारियों को मानदेय मिलता है, उन्हें भी इसी तरह का प्रमाण–पत्र देने पर ही भुगतान किया जायेगा कि उन्होनें सौंपा गया काम पूरा कर लिया है।

टूर डायरी (भ्रमण दैनंदिनी)

जिन कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र एक से अधिक गांवों में फैला है, उन्हें टूर डायरी बनाना जरूरी है। उन्हें इसी टूर डायरी में प्रत्येक गांव की ग्राम स्वास्थ्य समिति से प्रमाण–पत्र लाना होगा। टूर डायरी को मुख्यालय की समिति को पेश करना होगा। इस टूर डायरी को देखकर ही समिति वेतन आहरण के लिये प्रमाण–पत्र जारी करेगी।

आकस्मिक अवकाश (छुट्टी की मंजूरी)

गांव में काम करने वाले कर्मचारियों का अवकाश मंजूर करने का अधिकार कर्मचारी के मुख्यालय की ग्राम स्वस्थ्य समिति के अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष नियमों के अनुसार अवकाष स्वीकृत करेगा तथा समिति की आगामी बैठक के कार्यवाही विवरण में इसकी जानकारी दर्ज की जायेगी।

कार्यो का निरीक्षण

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि पूरे माह में उनके द्वारा किये गये कार्यो का विवरण समिति की कार्यवाही में दर्ज करायें। समिति के सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे काम का निरीक्षण करते समय कर्मचारियों के काम संबंधी दस्तावेज देख सकेंगे और मौखिक रूप से भी काम की जानकारी ले सकेंगे।

पर्यवेक्षण

ग्राम स्वास्थ्य समिति कर्मचारियों के कार्यालयों तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का मौके पर पर्यवेक्षण कर सकेंगी। कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि मांगे जाने पर सभी तरह की जानकारी और अभिलेख आदि समिति के सदस्यों के सामने पेश करें। समिति के सदस्य पर्यवेक्षण करने के बाद दस्तावेजों में अपनी टीप भी लिख सकते हैं।

ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर होता क्या है?	
किशोरी बालिकाओं में एनीमिया (खून की कमी) की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण	पोषाहार वितरण
शिशु स्वास्थ्य संबंधित सेवा	संक्रामक रोगों की जानकारी एवं सेवाएं
मातृ स्वास्थ्य संबंधित सेवा	परामर्श सामग्री तथा
परिवार नियोजन सेवा	शासकीय योजनाओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार
किशोरी बालिका स्वास्थ्य संबंधित सेवा	

कर्त्तव्य की उपेक्षा

सरकारी कर्मचारी यदि अपने कर्त्तव्यों् की उपेक्षा करेगा और निर्धारित कार्यक्रम या निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करेगा तो समिति को यह अधिकार है कि वह ऐसे कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रस्ताव अपनी बैठक में पास करें और कर्मचारी के अपचार तथा कर्त्त व्यों की उपेक्षा के लिये दण्ड देने के संबंध में सिफारिश सक्षम विभागीय अधिकारी को भेजें। सक्षम अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम स्वास्थ्य समिति से प्राप्त कर्मचारी के विरूद्ध प्रतिवेदन पर शासन द्वारा निर्धारित समय में दोषी सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करें और उसकी सूचना लिखित रूप में संबंधित समिति को करें। समिति इसे अपने कार्यवाही विवरण में अवश्य लिखें।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में प्रत्येक माह में एक निश्चित दिन को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इस दिन को (ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) का नाम दिया गया है। इस दिन सम्बंधित उपस्वास्थ्य केन्द्र की नर्स (ए.एन.एम.) गांव में आयेगी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अत्यन्त आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का मंच है, क्योंकि इस दिन गांव स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है जिनका उपयोग गांव वाले विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर परिवार बिना किसी खर्चे के प्राप्त कर सकते हैं।

कहां होना चाहिए

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन प्रत्येक माह तय दिन को हर गांव के आंगनवाड़ी केन्द्र में होना है।
- प्रत्येक गांव में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए पूरे वर्ष में प्रत्येक माह के लिए दिन समय एवं स्थान पूर्णतः पहले से ही निश्चित कर लेना आवश्यक है और इसकी जानकारी ग्रामवासियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
- पोषण दिवस की जानकारी प्रमुख रूप से गांव के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उपलब्ध करवाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य और पोषण दिवस : विभिन्न सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी

1. **आशा**
   - सभी घरों में जाकर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूचना देना।
   - महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से सभी गर्भवती महिलाओं की एक सूची तैयार करना।
   - ऐसी महिलाओं की सूची तैयार करना, जिन्हें पहली बार/दोबारा प्रसव पूर्व जांच के लिए आना हो।
   - ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना जिनको टीके नहीं लग पाये और जिनको टीके लगने हैं, उन बच्चों को बुलाना।
   - ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना, जिन्हें कुपोषण के लिए देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सूची तैयार करना, जिन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विशेष ध्यान की जरूरत है।
   - टी.बी. रोगियों की सूची तैयार करना, जिन्हें टी.बी. रोधक दवा दी जानी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ए.एन.एम. के साथ समन्वय करना।

- यह सुनिश्चित करना कि सूची में दर्ज सभी महिलाएं व बच्चे सेवाएं लेने आएं।
- कुपोषित बच्चों को ए.एन.एम. से परामर्श मिले।
- जिन बच्चों को पूरक पोषण की जरूरत है, उन्हें भी पोषण आहार मिले।
- मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड मौके पर मौजूद हो।
- ए.एन.एम. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग देना।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूचना देना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रसव पूर्व जांच के लिए एकान्त स्थान तथा उपकरण जैसे–वजन लेने की मशीन उपलब्ध कराना।
- आशा और ए.एन.एम. के साथ समन्वय बनाकर काम करना।

- पोषण आहार बांटना।
- बच्चों की पोषण की स्थिति (वज़न, लम्बाई, म्युएक माप आदि) की जानकारी साझा करना।

3. **आंगनवाड़ी सहायिका**
   - आंगनवाड़ी केन्द्र की सफाई और बैठने की व्यवस्था।
   - पीने के साफ पानी की उपलब्धता हो।
   - लाभार्थियों में पोषाहार बांटना।

4. **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता**
   - यदि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित न हो तो वैकल्पिक व्यवस्था करना।
   - पोषण दिवस से पहले टीके निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं।
   - सभी आवश्यक उपकरण, दवाइयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध हों।
   - गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की जांच और परामर्श (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)
   - गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए सुरक्षित और एकांत जगह का इंतजाम करना।
   - बच्चों का टीकाकरण और उन्हेंच विटामिन ए पिलाना।
   - मलेरिया की स्लाइड बनाना और इस बीमारी से बचाव के उपाय बताना।
   - डॉट्स की दवा बांटना और यह सुनिश्चीत करना कि टीबी के मरीज नियमित दवाएं खाएं।
   - कार्ड एवं रजिस्टर में जानकारी भरना।
   - गर्भ निरोधक साधनों का वितरण करना एवं आवश्यक परामर्श देना।
   - सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के साथ लोगों को परामर्श।
   - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की रिपोर्ट देना।
   - आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय बनाना।

5. **पंचायतीराज प्रतिनिधि**
   - छूटे हुए लाभार्थियों के परिवारों से बात कराना एवं सेवा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
   - पीने के साफ पानी की व्यवस्था, साफ–सफाई और आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंच को आसान बनाने के लिए समुचित इंतजाम।

6. **स्वास्थ्य–महिला/पुरूष सुपरवाईजर**
   - ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के कामकाज और व्यवस्था का पर्यवेक्षण।
   - ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से चर्चा और सहयोग।

7. सुपरवाइजर महिला बाल विकास
   - कार्य एवं व्यवस्था का सहयोगा की सोच के साथ पर्यवेक्षण करना।
   - ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से चर्चा और सहयोग।

8. **खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा कार्यक्रम ब्लाक प्रबंधक**
   1. खण्ड चिकित्सा अधिकारी और ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को गांव में जाकर सेवाओं का मूल्यांकन करना है।

2. आवश्यकता पड़ने पर रेफर की सलाह देना।

3. उन्हें व्यवस्था, उपकरण एवं दवा की उपलब्धता के साथ–साथ यह भी देखना होगा कि सभी लाभार्थी सेवा लेने आये हैं या नहीं। वे हितधारकों को दी जा रहीं सेवाओं की गुणवत्ता भी जांचेंगे।

4. बाद में वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से चर्चा कर जरूरी निर्णय और कार्यवाही करेंगे।

9. मेन्टरिंग ग्रुप फार कम्युनिटी एक्शन

1. कार्य का निरीक्षण करना।

2. आंकलन प्रपत्र के आधार पर मूल्यांकन करना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए आवश्यक सामग्री	
सेवाएं	आवश्यंक सामग्री
स्थान	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन तय स्थान साफ हो एवं बैठने हेतु दरी, हाथ धोने और पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो
शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सेवा	जन्म पंजीयन, कैरियर, टीके, विटामिन एएडी सिरींज, हब कटर, पेरासिटामोल, आयरन की गोलियां (बच्चों के लिए), आयरन सीरप। ओरआरएस। एड बैन्डाजोल, जिंक टेबलेट, कॉटन, बच्चों की वजन मशीन, कचरा डालने हेतु बैग, नुकीले अवशेष जैसे–सिरींज आदि को एकत्रित करने के लिए न फटने वाले बैग
मातृ स्वास्थ्य संबंधित सेवा	गर्भावस्था जांच स्टेथोस्कोप, यूरीरिटक्स, टी.टी. वैक्सीन, आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां, कैल्शियम साईट्रेट, एडबैन्डाजोल, गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु टेबल, गोपनीयता हेतु पर्दा, स्टेपस्अुडल रबर के दस्ताने/ग्लब्ज, मेकनटोस, मेट्रीन, वजन जांचने की मशीन, मलेरिया की जांच करने हेतु स्लाइड, लेनसेट, हीमोग्लाबिन जांच के लिए स्ट्रिप्स, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, कॉटन, हब कटर, कचरा डालने हेतु थैली, पंक्चर बैग नुकीले अवशेष जैसे सिरींज आदि एकत्रित करने के लिए बैग
परिवार नियोजन सेवा	परिवार नियोजन के अस्थाई साधन
किशोरी बालिका स्वास्थ्य संबंधित सेवा	टिटेनस टीका, वजन मशीन (वयस्क), आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, एडबैन्डाजोल, हीमोग्लोबिन जांच के लिए स्ट्रिप्स (पट्टियां)
संक्रामक रोगों की जानकारी एवं सेवाएं	दवाईयां–क्लोरोक्विन, टीबी मरीजों के लिए डॉट्स, पैरासिटेमोल की दवा, मलेरिया की स्लाइड बनाना
पोषणाहार वितरण	पोषाहार का वितरण टेक होम राशन तथा सांझा चूल्हे से बने पोषाहार के वितरण के लिए साफ बर्तन

रिकार्ड दर्ज करना	संबंधित रजिस्टर, वजन तालिका, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, डिफाल्टर टेकिंग चार्ट, टीकाकरण रजिस्टर
परामर्श सामग्री तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार	परामर्श के लिए सन्दर्भ सामग्री, उपलब्ध पत्र/निर्देश राज्य में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देना शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	**क्या कार्यवाही करें?**
सबसे पहले यह पता करें कि अपने गांव/समुदाय में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति बनी हुई है? उसके सदस्य कौन हैं?	हमें पंचायत से जानकारी मिल जायेगी। समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से भी बात करें और समूह में भी।
क्या समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ है? किन–किन विषयों पर प्रशिक्षण हुआ है?	यदि जरूरत पड़ती है तो उनसे अलग–अलग विषयों पर संवाद करें। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से मिलकर उनके लिए विषय आधारित संवाद प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं बनवाएं।
हो सकता है कि हमें समिति के सदस्यों को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत हो।	यह चर्चा करना जरूरी है कि इस समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उनके पास कई अधिकार भी हैं। उनके उपयोग के लिए समुदाय को प्रेरित करें।
इस समिति की भूमिका को केंद्र में रखते हुए अध्ययन करने कि समिति कौन–कौन सी भूमिका निभा रही है? क्या सीमाएं हैं?	गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से सम्बंधित पहल के लिए समिति को प्रेरित करें
क्या समिति आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी करती है?	यह समिति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।
ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के बारे में जानकारी हासिल करें, अध्ययन करें।	आपको यह सुनिश्चित करना है कि नियमित रूप से ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन हो और समुदाय की उसमें सहभागिता हो।
बाकी अन्य कई पहलू, जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 3

कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

(मुख्य कार्यक्रम – एकीकृत बाल विकास परियोजना और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना

वास्तव में कुपोषण का सबसे ज्यादा सम्बन्ध पोषण युक्त भोजन, साफ–सफाई, संक्रामक बीमारियों से बचाव ओर सही इलाज से है। आप भी जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कुपोषण (बच्चों का कम वजन का होना, ठिगना होना और दुबला होना) एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने रहा है। यह कोई बीमारी नहीं है, किन्तु इसके कारण बच्चों को बीमारियाँ हो सकती है और कुछ बीमारियाँ बच्चों को कुपोषित कर सकती है इसलिए जीवन के सबसे पहले पांच साल शारीरिक और मानसिक विकास के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। जीवन के पहले पांच सालों में ही हमारे 90 प्रतिशत शारीरिक–मानसिक विकास की नीव पड़ जाती है। यदि बच्चों को सही परवरिश, पोषण, प्यार और देखरेख न मिले, तो इसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सभी उम्र के लोगों का जीवन स्वस्थ हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर छह साल से कम प्रायोगिक मैदानी कार्य में आपका लक्ष्य हो कि कुपोषण के बारे में समाज मुख्य भूमिका ले। यह केवल आंगनवाड़ी केंद्र या दवाइयों से निपटने वाली चुनौती नहीं है। वास्तव में हमें बाल्यावस्था की प्रारंभिक देखरेख और विकास के नजरिए से काम करने की जरूरत है। जरूरी है कि कुपोषण समुदाय का मुद्दा बने और गर्भावस्था से 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनकी पहल अपनी प्रेरणा से हो। हमें यह याद रखना होगा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल्यावस्था में प्रारंभिक देखरेख और विकास का अधिकार मिले।

इसी मकसद से हमें कोशिश करना है कि

1. पोषण और कुपोषण के मतलब पर समुदाय में चर्चा हो। भोजन में विविधता और समानता लाने की कोशिश की जाए।
2. इसके असर क्या होते हैं, इस पर बात हो।
3. इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, उन विकल्प पर चर्चा हो।
4. आंगनवाड़ी केंद्र, समुदाय का केंद्र बने।
5. स्वास्थ्य सेवाएं (टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवाओं और जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं) की निगरानी समुदाय करे।
6. अपने गांव/बस्ती/समुदाय में या इसके आसपास खाने की सामग्री के श्रोत कौन–कौन से रहे हैं? उनमें कितनी विविधता रही है? क्या उन्हें फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है?
7. एक साल की पहल के लिए यह तय करें कि गांव में एक भी बच्चे का वजन कम नहीं होगा और हर बच्चे का पूर्ण टीकाकरण होगा।

8. गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व चार जांचें होंगी और उन्हें पोषण वाली पूरी खुराक मिलेगी।

बच्चों में कुपोषण का मतलब

1. उम्र के हिसाब से वजन कम होना (कम वजन)
2. लम्बाई या ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना (दुबलापन)
3. उम्र के हिसाब से लम्बाई ऊंचाई का कम होना (ठिगनापन)

आमतौर पर पांच साल की उम्र तक इन पैमानों का उपयोग किया जाता है।

किशोर और वयस्क अवस्था में कुपोषण का मतलब

किशोर अवस्था और वयस्कों में कुपोषण मापने के लिए लम्बाई के मान से वजन (बाडी मॉस इंडेक्स–बीएमआई) का उपयोग किया जाता है।

इसे ऐसे मापते हैं – **बी एम् आई = वजन/लम्बाई वर्ग (मीटर में)**

क्यों होता है?

1. कुपोषण बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी। बच्चों में होने वाला कुपोषण उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है।
2. इसी तरह किशोरियों और महिलाओं में होने वाला कुपोषण भी गंभीर परिणाम देता है क्योंकि इससे न केवल वे कमजोर होती हैं, बल्कि बच्चों के कुपोषित होने की आशंका भी बढ़ जाती है।
3. शरीर के लिये आवश्यक सन्तुलित आहार का लम्बे समय तक न मिलने से जो स्थिति बनती है, वह कुपोषण की स्थिति है। संतुलित आहार मतलब केवल अनाज नहीं, बल्कि साथ में कोई भी दाल, सब्जी, खाने का तेल, दूध, कोई भी फल, यदि परिवार अंडे खाता हो तो वह भी साथ में दे सकते हैं।

कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं का शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता है और वे आसानी से कई तरह की बीमारियों का शिकार बन जाते है। अतः कुपोषण की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों और महिलाओं के अधिकांश रोगों की जड़ मे कुपोषण ही होता है। महिलाओं मे खून की कमी, घेंघा रोग, कमजोरी, चक्कर आना तथा बच्चे में डायरिया, खसरा, निमोनिया, रतौधी की समस्या होती है और कहीं–कही तो अंधापन भी कुपोषण के कारण ही होता है।

कुपोषित यानी बच्चे के कम वजन का होना, दुबला–पतला होना या कोई भी साधारण बीमारी के कारण शरीर पर सूजन आना। बच्चा कुपोषित तो नहीं है, यह आपको आंगनवाड़ी से पता चल जायेगा।

बचाव के कुछ जरूरी उपाय

किशोर अवस्था में (जब उम्र 9 से 18 साल की हो)

- किशोरवस्था के शुरूआती सालों (9 से 13 साल) तक लड़कियों को भावनात्मक सहयोग और गरिमामय व्यवहार की बहुत जरूरत होती है। उनसे बात करें और जानें कि कहीं उनके साथ

कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है! कई बार बच्चियां लैंगिक–यौन शोषण की शिकार होती हैं, किन्तु वे कह नहीं पाती हैं क्योंकि उनके बोलने की मनाही होती है!

- घर में सभी बच्चियो का बिना लिंगभेद के खान–पान का ध्यान दिया जाय। उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो और उनके स्वास्थ्य जांच और इलाज की व्यवस्था हो।
- शारीरिक स्वच्छता को महत्व दें। इससे कई तरह के संक्रमण से बचाव होगा।
- पेशाब के दबाव को रोकने से गंभीर संक्रमण होता है।
- लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही हो तथा शादी के बाद बच्चों में कम से कम 3 साल का अन्तर अवश्य होना चाहिये।

किशोरियों के साथ लिंगभेद और उन्हें भोजन कम देना यानी सबमें कुपोषण की शुरुआत

गर्भावस्था में

- हर गर्भवती महिला माँ मातृ–शिशु रक्षा कार्ड बने और उसके मुताबिक देखभाल हो।
- घर में गर्भवती महिला को पूरा भोजन समय से मिले।
- गर्भवती महिला की गर्भवस्था के दौरान चार बार स्वास्थ्य की जांच हो। देखभाल एवं सम्पूर्ण इलाज की व्यवस्था हो। गर्भवती महिला को आयरन की 100 गोली जरूर खानी चाहिए तथा कैल्शियम की एक गोली नियमित खानी चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान महिला को टिटनेस के दो टीके अवश्य लगवाना चाहिये। (स्वास्थ्य जाँच, आयरन व कैल्शियम की गोली देना व टिटनेस का टीका लगाना यह परिवार की जिम्मेदारी है। ये सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं।)
- गर्भावस्था के दौरान महिला को दिन भर मे कम से कम दो घण्टे जरूर आराम करना चाहिये। इससे गर्भ में शिशु की वृद्धि होती है और महिला को ऊर्जा मिलती है।
- प्रसव के बाद 4 स्वास्थ्य जांचे (पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन और छठवें सप्ताह के बाद) जरूर होना चाहिए।

शिशु अवस्था में (जन्म से छह महीने तक)

- जन्म लेते ही शिशु को एक घण्टे के अन्दर माँ का पहला गाढा पीला दूध मिलना बहुत जरूरी है। मां के गाढ़े पीले दूध मे विटामिन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा मे होता है, जो बच्चों की रोगो से रक्षा करता है। यह दूध बच्चे का पहला टीका होता है। जितना जल्दी बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करेगा माँ के शरीर मे उतना ही ज्यादा दूध बनेगा जो बच्चे के लिये अच्छा होगा। यह सही है कि शुरूआती एक घण्टे मे माँ का दूध बहुत कम मात्रा (एक चम्मच या लगभग 16 बूँद) में आता है पर तब ये कुछ बूँदें ही बच्चे के लिये बहुत उपयोगी और पर्याप्त होती हैं।
- सभी बच्चों को जन्म के बाद छः माह तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिये, इसके अलावा और कुछ भी नही देना चाहिये, यहाँ तक कि पानी भी नही, क्योंकि माँ के दूध में ही बच्चे की

जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी होता है। जब ऐसा लगे कि बच्चे को प्यास लग रही है, तब भी स्तनपान ही कराना चाहिए।

- इसमें बच्चे के लिये जरूरी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। दूसरी कोई भी चीज देने से बच्चे को नुक्सान या संक्रमण भी हो सकता है।
- चौबीस घण्टे मे बच्चे को 8 से 10 बार मां का दूध मिलना चाहिए।

शिशु अवस्था में (छह महीने के बाद से)

- छः माह के बाद से ही बच्चे को मां के दूध के साथ ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए।
- छः माह के बाद शिशु का शरीर बढ़ने लगता है। तब मां के दूध से बच्चे के शरीर की आवश्यकता पूरी नही होती है। अब उसे दूध के साथ–साथ ऊपरी आहार की जरूरत होती है।
- बच्चों को शुरू मे छोटे चम्मच से कुछ चम्मच खाना देना चाहिये। धीरे–धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाना चाहिये।
- बच्चों को डिब्बाबंद आहार, बोतल का दूध नहीं देना चाहिए। उसे चूसनी भी नहीं देनी है।

बच्चे के सही ऊपरी आहार का मतलब क्या है?

- छह माह की उम्र होते ही ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए, ऊपरी आहार न मिलने पर बच्चा भूखा रहता है और कुपोषित होने लगता है।
- बच्चे को हर दो से तीन घंटे में आहार दिया जाना चाहिए।
- हमेशा याद रखिये कि बच्चे को हम वही खिलाएं, जो अपने आस–पास मिलता है। इसमें विविधता हो।
- उसे एक बार में एक से डेढ कटोरी खाना (खिचडी, दलिया, दाल चावल या सूजी का हलवा जिसमे घी या तेल मिला हो और वही इतना गीला हो कि थाली में बहे नहीं) खिलाना चाहिये और यह भोजन बच्चे को 3–5 बार कराया जाना चाहिये।
- बिना पानी मिले दूध मे गलाई हुई रोटी जिसमे थोडी शक्कर या गुड मिला हो।
- गाढ़ी दाल में मसली हुई रोटी या चावल तथा इसमे उबली हुई सब्जी मिलाकर खिलाना।
- दूध मे पकी हुई दलिया, सेवईं, आटे या सूजी का हलवा या खीर खिलाना।
- मसले हुये आलू, केला, आम, पपीता खिलाना।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चे को खाना बदल–बदल कर दिया जाये ।

सावधानियां

- चाहे माँ बच्चे को दूध पिलायें या भोजन कराये या कोई अन्य व्यक्ति भोजन करवाएं, यह जरूरी है कि उसके हाथ अच्छी तरह धुले हों।
- बर्तन भी साफ पानी से धुला होना चाहिये ।

- सब्जियां काटने के बाद कभी नही धोना चाहिये।
- बच्चे को पानी या दूध बोतल से नही पिलाना चाहिये।
- सदैव आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिये।
- खाना खिलाने की जगह भी साफ होना चाहिए।

जरूरी है कि

- हर बच्चा आंगनवाड़ी में दर्ज हो और नियमित रूप से उसकी वृद्धि निगरानी या यानी उसके वजन की जांच हो।
- बच्चे का नियमित टीकाकरण हो और बीमारी की स्थिति मे योग्य चिकित्सक से ही उसका इलाज कराया जाए।
- बच्चे के साफ सफाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए तथा पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए।
- उपरोक्त विधियो को अपनाकर हम बच्चो को कुपोषण से बचा सकते हैं।
- बच्चों के पहनने, बिछाने और उपयोग के कपड़े भी साफ और धूप में सुखाना बेहतर है।

यह सूत्र ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने की थाली में तीन से चार रंग का खाना हो, जैसे भाजी हरे रंग की है, चावल, दूध सफेद, दाल पीले रंग की और टमाटर लाल रंग का।

कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन – मायने, सिद्धांत और प्रक्रिया

समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन का मतलब?

- संभवतं समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन एक नया प्रचलित शब्द है। जिसका अर्थ है – कुपोषण के उपचार और रोकथाम के लिए ऐसे बुनियादी और स्थानीय कदम उठाना जिसमें समुदाय की बाहरी निर्भरता कम से कम हो। यानि कुपोषण के कारण वहीं अपने आसपास खोजे जायें और उनका समाधान भी।
- इसके लिये हमें देखना है कि बच्चों को अच्छा पोषण युक्त भोजन मिले, यदि बच्चे या महिलायें बीमार हों तो तत्काल इलाज हो, पीने का साफ पानी मिले, हमारे आस–पास गाँव में, खेतों में, जंगल में, नदी या तालाब में, जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उन्हे पहचानें और उससे कुपोषण को मिटायें,
- यह भी कि समाज की निगरानी में स्वास्थ्य और पोषण सेवायें बच्चों को मिलें, उनकी वृद्धि निगरानी का काम जिम्मेदारी से हो और संसाधनों का पर्याप्त आबंटन हो,
- समुदाय यह निगरानी करे कि व्यवस्थाएं सही ढंग से काम करें और उनकी शिकायतों पर सरकार कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो,
- इस काम को बिलकुल तकनीकी मत मानिए, बस यह तय करना होगा कि क्या वास्तव में हमें बाहरी समूहों या व्यवस्थाओं पर निर्भर होने की जरूरत है?
- बीमारी और कुपोषण की रोकथाम करने लायक व्यवस्था का निर्माण,

कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

कुपोषण एक खाद्य असुरक्षा और इससे जुडे व्यवहार की गड़बडियों के कारण उपजने वाला परिणाम है। इस समस्या से निपटने में समुदाय, यानी उन परिवारों को, जिनके बच्चे कुपोषित हैं और उन परिवारों को, जिनके बच्चे कुपोषित नहीं हैं, एक साथ कुछ भूमिकाएं निभानी होंगी।

समुदाय को यह बताना होगा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए साधन घर में ही मौजूद हो सकते हैं और सरकार को साबित करना होगा कि वह समुदाय की खाद्य सुरक्षा के लिए सही नीतिगत कदम उठाएगी।

यह मानते हुए कि जाति प्रथा और लैंगिक असमानता भी कुपोषण के मूल कारणों में शामिल हैं। इस स्थिति में जरूरी है कि लोग, भले ही वे किसी भी जाति से सम्बन्ध रखते हों, उन्हें असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए पहल करनी ही होगी। यह काम समाज के भीतर समाज के लोग ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, यही कोशिश स्थायी बदलाव भी लाएगी।

बॉक्स 10

इस कड़वी सच्चाई को सामने लाना जरूरी है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। उन्हें जिस खास तरह के खाने की जरूरत होती है, उन्हे वह नहीं खिलाया जा रहा है। ज्यादातर बच्चे हर रोज भूखे ही सोते हैं और चूँकि हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वे धीरे–धीरे कुपोषण के जाल में फंसते चले जाते हैं। यही उम्र उन्हें बीमारी की तरफ भी धकेलती है। इस दौरान सही स्वास्थ्य सेवाएँ और देखभाल न मिल पाने से कुपोषण का संकट गहरा होता जाता है।

इस पहल में जमीनी संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों की इसलिए अहम् भूमिका होती है, क्योंकि वे समुदाय के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, उन्हे संगठित और संवेदित कर सकते हैं और निरपेक्ष तरीके से निगरानी का काम कर सकते हैं। हम लगातार खेती, उत्पादन, पीने के पानी, मजदूरी, पलायन, विस्थापन, लघु वन उपज, पर्यावरण जैसे व्यापक पहलुओं के साथ कुपोषण और बीमारियों के जुड़ाव जैसे विषयों पर बात करते रहें। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुपोषण की पूरी बहस केवल आंगनवाड़ी के आसपास आकर अटकती रहेगी।

बच्चे के जन्म के बाद के पहले छह वर्ष का उसके पूरे जीवन पर बहुत गहरा और प्रभावी असर होता है। यहीं से शारीरिक और मानसिक विकास की दिशा, गति और जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। इन छह वर्षों में से भी पहले 2 वर्ष अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं।

इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, देखभाल और विकास के लिए उपलब्ध करवाए गए अवसरों से ही उसके स्वस्थ रहने, एक सक्षम और बेहतर व्यक्ति के रूप में विकसित होने का आधार बनता है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधित एक व्यावहारिक रणनीति की तैयारी हेतु बच्चों को उनकी उम्र के मान से चार वर्गों में रखा जा सकता है –

गर्भवती महिलाओं की देखभाल यानी स्वास्थ्य – पोषण सुरक्षा,

1. शून्य से छह माह तक के बच्चे, जिन्हे इस अवधि में केवल माँ का दूध पिलाए जाने का सिद्धांत है,

2. छह माह से 24 माह तक के बच्चे, जिन्हे माँ के दूध के साथ–साथ ऊपरी आहार दिए जाने का सिद्धांत है। साथ में यह देखा जाता है कि वे स्कूल पूर्व शिक्षा की उम्र में सहजता के साथ प्रवेश कर जाएँ,

3. 2 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक की उम्र (जिसे हम स्कूल पूर्व शिक्षा की उम्र भी मानते हैं) के सम्बंध में यह देखा जाना जरूरी है कि स्कूल में प्रवेश के उपरान्त भी बच्चों को वहां 1 वर्ष की स्कूल पूर्व शिक्षा का अवसर मिले और इसके बाद ही वे पहली कक्षा में प्रवेश करें।

समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन–रणनीतिक पहलू

1. **बच्चों के पोषण के अधिकारों के लिए एक व्यवस्था** – यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को प्रतिदिन पर्याप्त और निर्धारित मात्र में पोषण युक्त खाना मिले। इसमे केवल मात्रा ही नहीं बल्कि भोजन की सामाजिक स्वीकार्यता, विविधता, गुणवत्ता और मानवीय सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

2. **बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यवस्था** – परिवार और माँ के द्वारा की जाने वाली देखभाल के अलावा संस्थान की तरफ से कौशलपूर्ण देखभाल उपलब्ध करवाना। यह भी देखना होगा कि पुरूष भी बच्चों की देखभाल में भूमिका निभाये। इसके लिए प्रशिक्षण से लेकर इमारतें बनाने, साफ पानी की व्यवस्था करने तक के काम शामिल होंगे।

3. **स्वास्थ्य के लिए एक व्यवस्था** – यह नजर रखना कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, किस तरह की समस्याएं हैं और उनका तत्काल स्थानीय स्तर या निकटतम स्तर पर निराकरण करना और सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह पहल कुपोषण के प्रबंधन और उसके रोकथाम दोनों के लिए बेहद जरूरी है।

4. **कुपोषण से जुड़े पक्षों पर दखल देना**– रोजगार और आजीवका के साधनों की सुरक्षा से पारिवारिक और सामुदायिक खाद्य सुरक्षा जुड़ी हुई है, अतः इन्हें कुपोषण के स्थायी समाधान के रूप में देखना होगा। इसके साथ ही सरकार के दूसरे महकमों की भूमिका को जवाबदेहिता के साथ स्थापित करना और यह देखना कि समाज और तंत्र एक समझ के साथ कुपोषण पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे और उसे निभायें।

राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बाल विकास परियोजना को मिशन के रूप में आगे ले जाए जाने की बात एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है। हम सब को यह देखना होगा कि यह नया नीतिगत नजरिया बच्चों के पोषण की जरूरत को एक अधिकार के रूप में परिभाषित करे और उसे विकास के सूचक के रूप में मान्यता दे। आज बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम अनेकों ढांचागत कमियों से जूझ रहे हैं। इन कमियों को एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना की जा चुकी है। भारत सरकार के स्तर पर भी यह कहा जा चुका है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना को एक मिशन के रूप में चलाया जायेगा। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह मिशन नीतिगत और व्यावहारिक कमियों को पूरा करे। राजनीतिक इच्छाशक्ति के फलस्वरूप उभरे इस मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना है। एक तरफ तो संसाधनों का आवंटन कम है और कार्य प्रणाली में गैर जवाबदेहिता है तो वहीं दूसरी तरफ समाज में बच्चों के प्रति उपेक्षा और भेदभाव का माहौल भी है।

इस मिशन के तहत राज्य से लेकर जिलों तक कई समूह बनाए गए हैं। अतएव यह विश्लेषण करना जरूरी होगा कि उन समूहों में किन्हें और किस मकसद से क्या जिम्मेदारी दी गई है? हम अक्सर विभागों और कार्यक्रमों की समीक्षा पर जोर देते हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी होगा कि इन

मिशनों के तहत बनायी गयी समितियों और समूहों के काम और उनके प्रयासों की भी एक निश्चित अवधि में समीक्षा की जाए।

समुदाय आधारित पहल का मतलब है समाज कुपोषण को समझते हुए उसके कारणों और संभावित उपायों पर स्वयं निर्णय ले। आज सरकार को, विशेषज्ञों को और एक हद तक संस्था वालों को इसके बारे में पता है, परन्तु जिस समुदाय में यह समस्या बनी हुई है, वह अभी इससे थोड़ा दूर है। यही कारण है कि समुदाय आंगनवाड़ी के सामने से हर रोज गुजरेगा तो, पर उसके बारे में बात नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण यह है कि कुपोषण के मामले में समाज केन्द्रीय भूमिका ले। समुदाय महज एक मुहावरा भर नहीं है, अतएव उसके द्वारा भूमिका लिए बिना कुछ भी बदलने वाला नहीं है, यह भूमिका रास्ता तय करने की भी होगी, उस रास्ते पर चलने की भी और समीक्षा करने की भी। इस दस्तावेज में समुदाय और सरकार की भूमिकाओं को एक–दूसरे के सन्दर्भ में परखने की कोशिश की गई है।

पंचायत को भी यह पता होना चाहिये कि कुपोषित बच्चों के परिवार की रोजगार, आजीविका और भोजन की कमी को किस तरह पूरा किया जायेगा। मनरेगा में रोजगार न मिलने या मजदूरी का भुगतान न होने का मतलब है कुपोषण के बने रहने में पंचायत का योगदान। यदि पंचायत मनरेगा सरीखी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करवाती है तो उसका यह योगदान होगा कुपोषण को कम करने में।

हमें यह मान लेना होगा कि कुपोषण बहुपक्षीय घटनाओं का परिणाम है। कोई एक सतही पहल इसे खत्म न कर सकेगी।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

यह योजना 1975 में शुरू की गई थी। शुरुआत में बहुत ही कम जगहों पर इसकी पहल की गई लेकिन बाद में फिर यह सभी जगह शुरु की गई। समेकित बाल विकास सेवायें एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। यह छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधायें एकीकृत रूप से पहुंचाता है। बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें अपनी माँ से अलग पूरी नहीं हो सकती, इसी लिए कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी सम्मिलित किया गया है।

इस परियोजना के निम्न उद्देश्य थे –

1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
2. समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
3. मृत्यु, बिमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और क्रियान्वयन का प्रभावशाली समन्वयन प्राप्त करना।
5. उचित समुदायिक शिक्षण द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरत की देखरेख के लिए माताओं की दक्षता विकसित करना।

इस योजनांर्तगत निम्न सेवायें दी जाती हैं –

1. **पूरक पोषणाहार** – प्रत्येक बच्चे के लिये पोषणाहार दिया जाना अनिवार्य है। 6 माह तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिये टेक होम राशन दिया जाना है जबकि 2 से 5 साल तक के बच्चों को गर्म एवं पका पोषणाहार प्रतिदिन वितरित किया जाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष भर में 300 दिन पूरक पोषणाहार का वितरण दिया जाना है।

2. **स्वास्थ्य जांच** – अनिवार्य रुप से प्रत्येक बच्चे की, किशोरी बालिकाओं का व गर्भवती/धात्री माताओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है।

3. **टीकाकारण** – प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य रुप से टीकाकरण होना चाहिये। गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण होना चाहिये।

4. **संदर्भ सेवा** – गंभीर कुपोषण की स्थिति में और प्रसव के दौरान उत्पन्न हो रही जटिलताओं को लेकर गर्भवती महिलाओं को संदर्भित किया जाता है।

5. **स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा** – आंगनवाड़ी केन्दों का मुख्य उद्देष्य बच्चों का शारीरिक विकास करने के साथ–साथ मानसिक,शैक्षणिक व भावनात्मक विकास करना भी है। इसलिये आंगनवाड़ियों में स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा यानि जो कि औपचारिक शिक्षा से अलग हो क्योंकि वैसी शिक्षा तो स्कूलों में होती ही है। यानी आसपास के वातावरण से परिचित कराना, पक्षियों, जानवरों, फलों, रंगों आदि से परिचित कराना।

6. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा** – यह घर–घर जाकर और गर्भवती माताओं और धात्री माताओं व किषोरियों को केंद्र में दी जाती है। इसमें मुख्य रुप से साफ–सफाई, पोषण व्यवहार आदि पर चर्चा कर जानकारी दिया जाना प्रमुख है।

बाक्स

- अब देश के हर गांव, झुग्गी बस्ती और बसाहट में एक आंगनवाड़ी केन्द्र होना अनिवार्य है।
- गांव में आंगनवाड़ी खोलने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बसाहटों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस योजना में गरीबी की रेखा या अन्य किसी भी मापदण्ड का पालन नहीं किया जायेगा बल्कि हर बच्चा, हर गर्भवती–धात्री महिला और हर किशोरी बालिका आंगनवाड़ी की सेवाएं प्राप्त करने की हकदार है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 44 वर्ष की उम्र होनी चाहिये। साथ ही कार्यकर्ता जिस गांव में आंगनवाड़ी है उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन में अनुसूचित जाति और अन्य वंचित समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी (महिला बाल विकास मंत्रालय विभागीय आदेश क्र।–1–13। 2010–सीडीआई, अक्टूबर 18, 2010)

क्या होना चाहिये एक आंगनवाड़ी केन्द्र में –

1. आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये पर्याप्त हवादार भवन जहां पर 40 बच्चे बैठ सकें। कम से कम 600 वर्गफीट जगह।
2. यह भवन ऐसी जगह पर हो जहां पर बच्चे आसानी से पहुंच सकें। यह ज्यादा यातायात वाले स्थानों, नदी–तालाब आदि से दूर रहे। लेकिन ध्यान रहे कि भवन ऐसी जगह अवश्य होना चाहिये जहां कमजोर तबके के बच्चे आसानी से पहुच सकें।
3. खेल के लिये पर्याप्त जगह और संसाधन, खेल सामग्री।
4. भोजन पकाने और भंड़ारण (रखने) का अलग–अलग स्थान।
5. स्वच्छ पेयजल और शौच की सुविधा।

सामान्य उपयोग में काम में आने वाली वस्तुएँ

- एक छोटा मैट/दरी
- एक बंद हो सकने वाली अलमारी जिसमें उपकरण रखे जा सकें।
- एक/दो लकड़ी के रैक
- एक कुर्सी और एक टेबिल (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बैठने के लिये)
- तीन वजन मशीन (साल्टर स्केल, बेबी स्केल और बाथरुम स्केल)
- प्रारंभिक चिकित्सा बाक्स और दवाईयां (फर्स्ट एड बाक्स)
- स्वच्छ पेयजल के लिये बर्तन
- एक राष्ट्रीय ध्वज
- फाईल/रजिस्टर और रिकार्डस
- मातृ शिशु रक्षा कार्ड
- वृद्धि चार्ट रजिस्टर

रसोईघर

- बर्तन (प्रत्येक बच्चे के लिये प्लेट, चम्मच और गिलास)
- दो बड़े बर्तन (ढक्कन के साथ) खाना पकाने के लिये
- स्टोव (केरोसिन/मिट्टी तेल के साथ)

बाथरुम

- दो बाल्टी/दो टब पानी भर कर रखने के लिये
- दो मग
- दो साबुनदानी
- चार टावल
- कीटाणुनाशक तरल पदार्थ (हाथ धोने के लिये)
- झाड़ू/ब्रश और अन्य सामान साफ–सफाई के लिये

आंगनवाड़ी के अंदर खेले जाने वाले खेल

- अलग–अलग आकार के लकड़ी के ब्लाक या गुटके
- गिनती के फ्रेम
- पेंट/ब्रश और रंगीन चाक
- एक ढोलक
- तीन कैंचियां

खेल सामग्री (आंगनवाड़ी के अंदर खेलने के लिये)

- पपेट या कठपुतलियां
- गुड़िया घर
- कहानी के लिये फ्लेश कार्ड
- जानवरों/पशु/पक्षियों/फलों/रंगों के संबंध में कार्ड
- कार्डबोर्ड के ब्लाक/गुटके
- चार्ट
- गुड़िया (जिसके अंदर कुछ भरा हो।)
- रंग/अंक और वर्णमाला के संबंध कार्ड बाहर खेलने के लिये
- रस्सी/साईकिल चक्का आदि
- रेत का गड्ढा
- पौधे उगाने के लिये जगह
- अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां
- स्कूल पूर्व शिक्षा की किट
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- मेडीसिन किट
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

आकर्षक आंगनवाड़ी और झूलाघर

समुदाय के स्तर पर आंगनवाड़ी ही एक ऐसी संस्था और ढाँचा है जो हर बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। हम जानते हैं कि हर 400 से 800 की जनसँख्या पर गांवों में और आदिवासी बहुल गांवों/पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसँख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

यह एक सच्चाई है कि समाज ने आंगनवाड़ी केंद्र को उस तरह से स्वीकार नहीं किया, जिस तरह से स्कूल को स्वीकार किया जाने लगा है। हमें कोशिश करनी है कि समाज के स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकारता बढ़े। बच्चे इस केंद्र में आने के लिए तत्पर हों। ऐसे में –

- समुदाय आधारित प्रयास का महत्व इसलिए है ताकि बच्चों के साथ तकनीकी व्यवहार के बजाये ज्यादा अपनेपन के व्यवहार का माहौल मिल सके। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि आंगनवाड़ी

केंद्र में 3 या 4 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे ज्यादा समय केंद्र में बिताएं। इसके लिए आंगनवाड़ी को बहुत रुचिकर और घरेलू बनाना होगा। वहां रंग हों, खुलापन हो और अपनापन भी।

- केंद्र में ऐसी चीजें और हिस्से नहीं होने चाहिए जो खतरनाक हों और जिससे बच्चों को चोट लगने की संभावना हो। साफसफाई और खुशबू होनी भी जरूरी है। पीने के साफ पानी के स्रोत हैं या नहीं, यदि नहीं तो पंचायत और ग्रामसभा को इसके लिए पहल करनी होगी।
- व्यवहार और खिलौने, ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को आंगनवाड़ी से जोडने का काम करती हैं। उनके साथ का व्यवहार ठीक उसी तरह का होना चाहिए, जैसा उनके दोस्त और सबसे प्रिय सम्बन्धी उनके साथ करेंगे। बिना दोस्त बने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में रोका नहीं जा सकेगा। अब तक यह माना जाता रहा है कि उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो, भोजन और खाने के लिए तो वे आयेंगे ही। हमें इस नजरिए को तोड़ना है। हमें याद रखना होगा कि बच्चों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
- उन्हे सिर्फ रटे–रटाये पाठ नहीं चाहिए बल्कि उन्हे कहानियाँ, गाने, खिलखिलाने के अवसर चाहिए।
- वे शायद खिलौनों को बहुत संभाल कर नहीं रखेंगे, वे उन्हे तोड़ कर देखना चाहते हैं। फिर बहुत दिनों तक टूटे हुए खिलौनों से खेलते रहते हैं। इस आदत को हमें स्वीकार करना होगा।
- आंगनवाड़ी का खुला और सहज माहौल ही उनके माता–पिता को भी आत्मविश्वास देगा कि इस केंद्र में उनके बच्चे सुरक्षित हैं।
- समुदाय यह देखता रहे कि अपने केंद्र की देखभाल और रख–रखाव सही ढंग से हो रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में खिलौने तो भेजे जाते हैं, पर ये पैकेट में बंद रखे रहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता को यह निर्देश दे दिए जाते हैं कि ये खिलौने टूटने नहीं चाहिए, अतएव कार्यकर्ता को सबसे अच्छा विकल्प यही लगता है कि उन्हे डिब्बे में ही रखे रहने दिया जाए।
- बच्चों को अपनेपन और सम्मान के साथ खाना मिले, समुदाय को इस बात की निगरानी करनी होगी। उन्हे घर से बर्तन न लाना पड़े, केंद्र में बर्तन न धोना पड़े और जिन बर्तनों में भोजन पकता है और खाया जाता है, वे सभी बर्तन साफ रहें।
- वहां लडके–लड़कियों और विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव न हो, इसके लिए भी समुदाय के लोगों को पहल करनी होगी।
- वृद्धि निगरानी के लिए आंगनवाड़ी में कुछ खास दस्तावेज और उपकरण होने चाहिए। समुदाय यह देखे कि केंद्र में वजन मशीनें ठीक स्थिति में हैं और ऊपरी मध्य बांह नापने वाला टेप उपलब्ध है या नहीं। वह कटा–फटा या मुड़ा–तुड़ा नहीं होना चाहिए। केंद्र में वृद्धि निगरानी रजिस्टर होना चाहिए और यह देखा जाए कि उसमें हर बच्चे की जानकारी दर्ज की जा रही है। वहां विटामिन ए व, बच्चों के लिए पेट के कृमि मारने की दवाएं भी हैं या नहीं।
- केंद्र में जानकारियाँ देने वाले पोस्टर ऐसे स्थान पर नहीं लगे होने चाहिए, जहाँ तक बच्चों या महिलाओं की नजर ही न जा सके।
- हर केंद्र के अंदर और बाहर ये सूचनाएं छपी होनी चाहिए कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की खास देखभाल क्यों जरूरी है, आंगनवाड़ी से क्या सेवाएँ मिलती हैं, टीकाकरण कब होता है, यदि कोई समस्या है तो शिकायत कहाँ की जा सकती है और लोग आंगनवाड़ी केंद्र से कैसे जुड़ सकते हैं। जिस तरह से स्कूलों में बच्चों के पालकों की बैठक होती है, बेहतर होगा कि उसी तरह महीने में एक बार आंगनवाड़ी के बच्चों के पालकों की भी बैठक हो।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य–4

प्रायोगिक/मैदानी कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
हमारे गांव/समुदाय में आमतौर पर भोजन का व्यवहार क्या है, यानी लोगों के खाने की थाली में क्या होता है? माना जाता है कि हमारे खाने में अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध से जुड़ी कोई चीज, अंडे–मांस (यदि खाते हों तो) होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो विविधता होना चाहिए।	समुदाय के साथ समूह में बैठ कर यह पता लगाया जा सकता है कि आपका भोजन कितना पौष्टिक और विविधता से भरा हुआ है। इसी चर्चा के आधार पर उन्हें बता सकते हैं कि यदि हमारे खाने में प्रोटीन या वसा या विटामिन नहीं होंगे, तो हमें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
अब यह देखेंगे कि गांव/समुदाय में कम वजन के बच्चे कितने हैं? वे किन परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं? उनकी पारिवारिक आर्थिक–सामाजिक स्थिति क्या है?	इसके लिए हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित करें और वृद्धि निगरानी के काम में (जो हर महीने होती है) उनके साथ जुड़ें।
गांव/बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्र है? उसमें कितने बच्चे दर्ज हैं? कितने बच्चे वास्तव में केंद्र आते हैं?	
आंगनवाड़ी केंद्र में हर महीने बच्चों के वृद्धि निगरानी होना चाहिए।	वृद्धि निगरानी के साथ जुड़ें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करते हुए समुदाय को बताएं कि कौन सा बच्चा किस स्थिति में है? और उसकी स्थिति में यदि सुधार की जरूरत है, तो इसके लिए क्या किया जाए?
अपने गांव/समुदाय में यह सुनिश्चित करना कि एक भी बच्चा कम वजन का न हो।	लगातार वृद्धि निगरानी से जुडना, और इससे पता चलने पर हर कम वजन के बच्चे के परिवार से संपर्क करके, कुपोषण के कारणों का पता लगाना। उन कारणों के मुताबिक पहल करना।
गर्भवती महिला की देखरेख और स्वास्थ्य	यह पता करें कि गांव/समुदाय में कितनी महिलायें गर्भवती हैं? क्या आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उनसे पोषण–स्वास्थ्य–व्यवहार सम्बन्धी संवाद किये हैं? यदि नहीं, तो संवाद करवाएं। हर गर्भवती महिला के पास मातृ–शिशु रक्षा कार्ड हो और उन्हें उसके बारे में बताएं। हर गर्भवती महिला को आराम और पूरे खाने का अवसर मिले। किसी भी जटिलता की स्थिति में उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले।

	उन्हें आयरन–फोलिक एसिड की गोलियाँ खाने और टीकाकरण के लिए तैयार करें।
आंगनवाड़ी केंद्र का पोषण आहार कार्यक्रम – गर्भवती और धात्री महिला	साप्ताहिक आधार पर गर्भवती और धात्री महिलाओं को घर ले जाए जाने के लिए पैकेट बंद पोषण आहार मिलता है। यह देखें कि क्या यह नियमित रूप से मिलता है? समुदाय/व्यक्तिगत चर्चा से यह जानना भी जरूरी है कि उस पोषण आहार का उपयोग कैसे होता है? गर्भवती और धात्री महिला को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, क्या वह पूरी हो पा रही है?
आंगनवाड़ी केंद्र का पोषण आहार कार्यक्रम – 6 महीने से 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए	साप्ताहिक आधार पर 6 महीने से 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए घर ले जाए जाने के लिए पैकेट बंद पोषण आहार मिलता है। यह देखें कि क्या यह नियमित रूप से मिलता है? समुदाय/व्यक्तिगत चर्चा से यह जानना भी जरूरी है कि उस पोषण आहार का उपयोग कैसे होता है? बच्चों को पोषण आहार कैसे मिल पाये, यह सुनिश्चित करना है।
टीकाकरण	यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो बच्चों को बीमार होने से बचाता है। हमें यह देखना है कि नियमित रूप से टीकाकरण हो और सभी बच्चों को सभी तरह के टीके लगें।
माध्यम कम वजन, अति कम वजन और अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार	जब नियमित रूप से वृद्धि निगरानी होगी, तब यह भी पता चलेगा कि बच्चे किस श्रेणी में हैं? जो बच्चे कम वजन के हैं या अति गंभीर कुपोषित हैं, हमें उन पर विशेष ध्यान देना होगा। सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की देखभाल हो, वे बीमार न पड़ें, उनकी स्वास्थ्य जांच हो और उनके बेहतर पोषण वाला भोजन मिले। कोशिश करें कि उन्हें दालें, फल, अंडे और खाने का तेल जरूरी मात्रा में मिले। यदि किसी बच्चे को कोई बीमारी है या वह कुछ खा नहीं रहा है या उसके शरीर पर सूजन है, तो उसे पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना होगा।
आंगनवाड़ी केंद्र को बच्चों की रूचि के अनुकूल बनाना	अपने गांव/बस्ती के आंगनवाड़ी केंद्र को ऐसा बनाए कि वहां बच्चों को आना अच्छा लगे, वे सुरक्षित रहें, हवा और रौशनी हो, रंग हों, खिलौने हों। जहाँ बच्चे खेल सकें और आराम कर सकें। स्वच्छता और पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो। यह काम समुदाय के नेतृत्व में किया जा सकता है।

प्रायोगिक मैदानी कार्य –5

जलवायु परिवर्तन क्या, क्यों और कैसे?

जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना

आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि अपने गांव/इलाके में पिछले कुछ सालों में बार–बार सूखा पड़ रहा है। हो सकता है कि बार–बार बाढ़ आ रही हो। यह भी देखने में आया है कि अब गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कि इतनी पहले कभी नहीं पड़ी। किन्ही क्षेत्रों में अब ठण्ड पहले से ज्यादा पड़ रही है। हम सब जानते हैं कि मावठा गिरना कितना जरूरी है, पर कभी मावठा गिरता है कभी बिलकुल नहीं गिर रहा है। सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही है कि उससे बहुत नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर ठण्ड के मौसम में ही आम के बौर आ रहे हैं। क्या यह सब सामान्य मौसम के लक्षण हैं?

पिछले कुछ दशकों से हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, कार्बन ट्रेडिंग, आदि शब्दों को सुन रहे हैं। इन शब्दों के मतलब क्या हैं? क्या हमने इनके बारे में जानने की कौशिश की है? क्या हमने कभी इन शब्दों के बारे में अपने आसपास के लोगों से बात की है? हमारे लिए इनका मतलब जानना क्यों जरूरी है? जलवायु परिवर्तन से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम कुछ सहयोग कर सकते हैं आदि कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, जब हम टी.वी., रेडियो या अखबार में इनके बारे में देखते सुनते या पढ़ते हैं।

दुनिया में प्रदूषण को कम करने हेतु चेताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि इन शब्दों के माध्यम से वैज्ञानिक हमें नाप कर बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रदूषण हो चुका है? और अब वह खतरे के निशान से इतना ऊपर पहुंच चुका है कि इसके कारण वातावरण में तपन और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर मौसम पर हुआ, मौसम का असर पेड़–पौधों और जंतुओं पर पड़ रहा है। कई पेड़–पौधे, जीव–जंतु, कीट पतंगे, पक्षी जो पहले कभी हमारे खेतों और घरों के आसपास दिखाई देते थे, अब हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहां गए ये सब? क्यों गायब हो गए? क्या कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है?

मानव सभ्यता के 10000 सालों में इतनी तपन कभी नहीं बढ़ी जितनी कि 20वीं सदी के आखिरी दशक में और 21वीं सदी के पहले दशक में हुई है। तापमान बढ़ने से ग्लेखशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक लगातार इस ओर ध्यान दिला रहे हैं लेकिन हम लोग लालच और अधिक लाभ कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में पिछले 150सालों से मनुष्य ने जो हठधर्मिता अपनाई है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं।

मौसम में अब बहुत उतार–चढाव दिखाई दे रहे हैं – जैसे कहीं बार–बार बाढ़ आना तो कहीं लगातार सूखा पड़ना आदि घटनाओं को हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार देख रहे हैं। यह सब अचानक नहीं बदला है दुनिया में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड गैस की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है, इसी के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली एक सदी में धरती के औसत तापमान में 0.74 डिग्री की वृद्धि हुई है।

इसके चलते विश्व की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में दिन–प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है।

कोपेनहेगेन में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इण्डेक्स–2010 द्वारा जारी सूची में भारत उन दस देशों में है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक ठंड के दिनों का तापमान 3–2 डिग्री और गर्मी का तापमान 2–2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इससे मानसून की बारिश कम हो सकती है और ठंड में होने वाली वर्षा (माहुठे की बरसात) में भी कमी हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षा के समय में बदलाव की आशंका भी जताई जा रही है। इसका सीधा असर फसल चक्र पर पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन के कौन–कौन से असर हमें हमारे आसपास गांव, खेत, जंगल, नगर आदि पर दिखाई देते हैं और इससे कौन–कौन सी चीजों पर असर हुआ है जैसे बिंदुओं पर समुदाय के साथ बातचीत करके समझें और प्रमुख बिंदुओं को नोट करें, उदाहरण के लिए कुछ परिस्थितियों और परिवर्तनों को यहां दिया जा रहा है। इन बिंदुओं के आधार पर अपने क्षेत्र में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समुदाय के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें। और समुदाय के साथ मिलकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

कृषि उपलब्धता, उपभोग और संकट

मौसम और मानसून का चक्र बिगड़ने का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ा है। परंपरागत रूप से उत्पादन होती आ रही बड़ी संख्या में फसलों का नामोनिशान मिट गया है। इनमें कोदों, कुटकी, सावां, मक्का, ज्वार, बाजरा, पिसी (स्थानीय देशी गेहूं) सरीखी कम पानी और रासायनिक खादों के बिना पैदा होने वाली कई फसलें खत्म हो गई हैं। कई फसलों के तो अब बीज भी नहीं बचे हैं। इनकी जगह अब नई उन्नत फसलें उगाई जाने लगीं हैं। इन फसलों के लिए उन्नत बीज, बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इससे खेती का खर्च बढ़ा है और खेती के तरीकों में बदलाव आया है। खेती अब बैल और जानवरों के बजाय मशीनों से की जाने लगी है, इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। इसका सीधा असर किसानों के जीवन स्तर और रहन–सहन पर पड़ा है। खेती में उपज तो बढ़ी लेकिन लागत कई गुना अधिक हो गई, इस कारण खेती घाटे का व्यवसाय बन गई है, और किसान खेती छोड़कर अन्य धंधों या मजदूरी करने को मजबूर हो गया है।

जल की उपलब्धता और उपभोग

हमारी धरती पर जल का अथाह भंडार है। पृथ्वी पर कुल 70 प्रतिशत पानी है, यह पानी विभिन्न स्वरूपों जैसे समुद्र, नदी, तालाब, झरनों, बादलों और भूगर्भ जल और ऊंची पर्वत मालाओं पर जमी हुई वर्फ के रूप में पाया जाता है। इसमें से अधिकांश पानी समुद्री खारे पानी के रूप में है और शेष हिस्सा यानी मात्र 2–5 प्रतिशत जल जो नदी, तालाब, झरनों एवं भूगर्भ जल आदि रूप में मीठे जल के रूप में पाया जाता है। ऊंची पर्वत मालाओं जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, जमुना वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं क्योंकि पर्वतों पर जमी हुई बर्फ धीरे–धीरे पिघलती है और नदियों में वर्ष भर पानी प्रवाहित होता रहता है। इसी तरह जंगल और पर्वतमालाएं भी बरसात में पानी को सोख लेते हैं जो कि बाद में धीरे–धीरे झरने या जल धाराओं के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। हमारे मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी इसका एक अच्छा उदाहरण है जबकि अन्य कई नदियां मौसमी नदियाँ हैं। इनमें बरसात के मौसम

में पानी आता है और बाकी समय सूखी रहती हैं। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यो, पीने, कृषि में सिंचाई और उद्योगों के लिए करते हैं।

बर्फ से ढंकी हुई पर्वतमालाएं और ग्लेशियर सूर्य की गर्म किरणों को वापस रिफलेक्ट करने यानी वापस भेजने का काम भी करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण बड़े–बड़े हिमखंड और ग्लेशियर (बर्फ के पहाड़) पिघल रहे हैं। और इनका पानी बहकर खारे समुद्र में मिलकर खारा हो रहा है, यानी पीने के काम में आने वाला पानी कम हो रहा है। इसके साथ ही बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से जो पानी समुद्र में मिल रहा है, उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के किनारे बसे देश/राज्य डूब रहे हैं। वर्तमान में विश्व में 40 प्रतिशत से भी कम मीठा पानी बचा है। कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में आई बाढ़ ने हमें चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते हमने पृथ्वी के तापमान को कम नहीं किया तो इससे भी ज्यादा भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

भूगर्भ जल जो कि प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, पिछले दो दशकों में हमने इसको भी लगभग समाप्त कर दिया है। आज उद्योगों के उपयोग के लिए और घर–घर ट्यूबवेल और बोरवैल के बोर किए हुए हैं, जिनसे अंधाधुंध पानी निकाला जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पहले जहां 35से 50 फुट पर पर्याप्त पानी निकल आता था, वहीं आज 400 से 500 फुट पर भी पानी नहीं है। हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछले 10 वर्षों से सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका असर खेती और आजीविका पर हुआ है, यहां से अधिकांश छोटे और सीमान्त किसान मजदूरी एवं अन्य कार्यो के लिए पलायन करके अन्य शहरों और प्रदेशों में जाने लगे हैं। यही स्थिति प्रदेश में अन्य संभागों के गांवों की भी है।

औद्योगिकीकरण के परिणाम भयानक रूप से सामने आ रहे हैं उद्योगों से निकलने वाला वेस्टेज (ठोस कचरा और गन्दा पानी) और गंदगी सीधे नदियों में मिलाई जा रही है। इस कारण जीवनदायिनी नदियों का पानी भी अब जहरीला हो गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण हमारे प्रदेश, देश ही नहीं पूरे विश्वे में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। समय रहते उपरोक्त परिस्थितियों को सुधरने के लिए हम सभी को अपने–अपने स्तर पर उचित कदम उठाने होंगे नहीं तो विनाश सुनिश्चित है।

जंगल की उपलब्धता और उपभोग

जंगल हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि भूमि के कटाव को रोकते हैं और बरसात को लाने में भी सहायक होते हैं। जिन स्थानों पर पेड़–पौधे और जंगल अधिक होते हैं, उन स्थानों पर बरसात भी अधिक होती है। जंगल मौसम में नमी को बनाए रखते हैं, जिस कारण मौसम बहुत ज्यादा शुष्क नहीं हो पाता है और जल का वाष्पीकरण कम होता है। इसके साथ ही पेड़–पौधे वातावरण में मौजूद कार्बन डाईऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया से ही वे अपना भोजन तो बनाते ही हैं, साथ ही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी ऑक्सीजन गैस भी देते हैं।

औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के लगातार बढ़ने के कारण वनों की कटाई निरंतर जारी है। विश्व स्तर पर हर साल 63000 वर्गमील जंगल नष्ट हो रहे हैं। लालच से भरपूर लाभ लेने का आलम यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ जंगल काटते ही जा रहे हैं, परिणामस्वरूप पृथ्वी पर कार्बन डाई ऑक्साइड की

मात्रा बढ़ी है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा है जो कि तापमान के बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है।

जंगलों को काटा जाना तो एक कारण है, लेकिन साथ ही दूसरा एक कारण यह भी है कि हर स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां उस स्थान के मौसम, पानी, हवा, मिट्टी और तापमान के अनुकूल होते हैं लेकिन औद्योगिकीकरण और अधिक आर्थिक लाभ कमाने की चाह ने विश्व स्तर पर ऐसे पौधों को प्रसारित किया जो कि कम समय में जल्दी बड़े हों और ज्यादा उत्पादन दें, ऐसे पौधे कई बार अपने आपको स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाए और नष्ट हो गए। स्थानीय प्रजातियों जो कि शायद ज्यादा आर्थिक लाभ की नहीं मानी गयीं, उनको उगाने या उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे प्रदेश में भी ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, कोई जगह जो पहले बांस के जंगल के लिए जानी जाती थी, अब वहां एक भी बांस नहीं है, कुछ जगह साल की लकड़ी के लिए जानी जाती थी पर अब वहां पर साल के पेड़ भी नहीं है और कोई दूसरे पौधे भी नहीं हैं। चंदन, चिरोंजी, महुआ, आदि के पेड़ भी कम हुए हैं।

औद्योगिकीकरण और परिवहन/कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग

अधिकांश उद्योगों मैं ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, जब कोयला जलता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाई आक्साइड और अन्य हानिकारक गैसे पैदा होती हैं। औद्योगिकीकरण पर्यावरण को दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है एक – तो ईंधन के लिए जमीन में दबा हुआ कोयला निकालने के लिए अंधाधुंध खुदाई की जा रही है, दो – उद्योगों में कोयला जलाने से धुंए के रूप में वातावरण को हानि पंहुचाने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है।

इसी तरह परिवहन के लिए उपयोग होने वाले वाहनों जैसे मोटर साइकल, स्कूटर, कार, टैम्पो, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज और हवाई जहाज आदि वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थों जैसे डीजल, पेट्रोल, वायुयान ईंधन का उपयोग किया जाता है। परिवहन के लिए उपयोग करने वाले वाहनों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग सर्वाधिक यानी 96 प्रतिशत होता है। इन वाहनों से सबसे ज्यादा कार्बन डाई आक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है। आप जानते हैं कि फ्रिज और एयरकंडीशनर का उपयोग भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार की योजनायें –

जलवायु परिवर्तन से निपटने यानि पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कई योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके सही क्रियान्वयन में सहयोग करना और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए हमें अपने कार्य के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाना होगा और उनकी योजनाओं को समुदाय तक पहुचाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण से सम्बंधित समुदाय की और स्थानीय जरूरतों को विभागों तक पहुचाना होगा ताकि विभाग की कार्य योजना में उसे शामिल किया जा सके।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, और कृषि विभाग की कुछ योजनायें यहाँ दी गयी हैं इनके साथ ही उद्यानिकी, उर्जा विभाग पंचायतराज और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का अध्ययन भी करें ताकि अपने क्षेत्र में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर कार्य कर सकें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के तहत संचालित योजनायें

यह योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संचालित है, जिसमें अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कई उप योजनायें हैं इनमे से कुछ हितग्राही मूलक योजनायें भी हैं।

इन योजनाओं के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की स्वयं की कृषि भूमि के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किये जाते हैं।

नंदन फलोद्यान योजना– पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीणों के लिये आय सृजन का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिये संचालित की गई। योजना के तहत ऐसे हितग्राही जो अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के लिये इच्छुक हैं उनको रोजगार की माँग के साथ ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। ग्राम पंचायत प्राप्त प्रस्तावों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी। ग्रामसभा वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था वाले प्रस्तावों को प्रथम प्राथमिकता और जिनके पास सिंचाई व्यवस्था नहीं है उनको सशर्त द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रखेगी, जिसमें कपिलधारा योजना के प्रावधानों के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना शामिल होगा। परियोजना के लिये राशि की कोई सीमा बंधनकारी नहीं है।

कपिलधारा योजना – कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता और कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार के लिये कपिलधारा योजना संचालित की गई है। योजना के तहत हितग्राही परिवार को कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। योजना में नवीन कुंआ–भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था के साथ, खेत–तालाब, मैसेनरी चौक डेम, स्टाप डेम, आर।एम।एस। और लघु तालाब निर्माण का प्रावधान है। योजना के तहत ऐसे हितग्राही परिवार का चयन किया जायेगा, जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि में पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है। हितग्राही परिवार का एक सदस्य न्यूनतम पाँचवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, किन्तु सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के लिये यह मानदण्ड लागू नहीं होगा। योजना से लाभान्वित होने के लिये हितग्राही को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा, इसमें प्रस्तावित कार्य के आकार का भी अनुमानित विवरण देना होगा। प्राप्त प्रस्तावों का ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन किया जायेगा, जिसका जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है।

सामुदायिक विकास कार्य– योजना के तहत श्रममूलक सामुदायिक विकास कार्य के प्रावधान किये गये हैं। इसके तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन, सूखा रोकने, वनरोपण/वृक्षारोपण, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं माध्यम सिंचाई कार्य, परम्परागत बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी और बारह मासी सड़कों के रूप में ग्रामीण सड़क सम्पर्क के कार्य किये जाने का प्रावधान है।

योजना में हितग्राही को लाभ– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार के हितग्राही और इंदिरा आवास योजना के अधीन हितग्राहियों को स्वयं की कृषि भूमि के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकसित करने का अधिकार। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकारी। मजदूरी नगद मिलने का अधिकार।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बलराम ताल योजना –

यह कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है। सुनिश्चित खेती के उद्देश्य से वर्षा के अप्रवाहित जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के लिये बलराम ताल योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसान ले सकते हैं । इस योजना में कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में स्वयं के द्वारा बलराम ताल निर्माण पर सामान्य कृषकों को निर्माण लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80000/– लघु सीमांत कृषकों को निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 80000/– तथा अ.जा/अ.ज.जा के कृषकों को निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 100000/– का अनुदान दिया जाता है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना –

यह कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है इस का उद्देश्य समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा भूमि की संरचना में सुधार कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वस्थ्य को बनाये रखते हुए दीर्घ काल तक टिकाऊ बनाना है। यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में संचालित है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसान ले सकते हैं।

राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना में किसानो को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम अपने क्षेत्र के कृषि विकास विस्तार अधिकारी (RAEO) और जनपद स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

1. कम्पोस्ट तकनीकी विधियाँ अपनाने के लिए प्रति किसान इकाई की लागत का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये जो भी कम हो।
2. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई बनाने के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत या 3000 रुपये जो भी कम हो।
3. काऊ कम्पोस्ट पिट बनाने के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत या 500 रुपये जो भी कम हो।
4. जैविक कीट नाशक के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत।
5. जैविक हारमोंस के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत बायोगैस –

यह कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है इस का उद्देश्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध करवाना तथा कृषि के लिए उत्तम खाद उपलब्ध कराना। संपूर्ण मध्यप्रदेश में योजना लागू है। इस योजना के लिए पात्र हितग्राही– अनुसूचित जातिध्जनजाति, लघु सीमांत, भूमिहीन मजदूर तथा सामान्य श्रेणी के कृ

षक हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 से 10 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु/सीमांत कृषकों तथा/भूमिहीन श्रमिकों को रु. 3500 व अन्य कृषकों को रू. 2700 प्रति संयंत्र की दर से अनुदान दिया जाता है। शौचालय से जोड़े गये संयंत्रों पर रु। 500 प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था है।

जलवायु परिवर्तन और सामुदायिक पहल – प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें
सबसे पहले यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि अपने गांव/बस्ती/इलाके में मौसम में क्या और किस तरह के बदलाव आये हैं? गर्मी कितनी और कब पड़ती है? बारिश कब और कितनी होती है? ठण्ड कब और कितनी पड़ रही है?	जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी इकठ्ठा करने के लिए आपको समुदाय के बुजुर्गों के साथ छात्र की भांति संवाद करना होगा। याद रखियेगा कि पिछले 2 या 5 सालों के मौसम के बदलाव से जलवायु परिवर्तन को समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको पिछले 40–50 सालों में हुए बदलाव के बारे में ठोस जानकारी इकठ्ठा करना होगी।
अब दूसरे सवाल के रूप में जरा यह पता लगाईये कि मौसम या जलवायु में जो बदलाव आये हैं, उनसे हमारी खेती, पानी, जंगल, हवा, बीमारियों और स्वास्थ्य पर किस तरह के असर पड़े हैं?	इसके लिए समुदाय के स्तर पर ऐसी चर्चा/बातचीत की प्रक्रिया चलाना होगी, जिसमें बुजुर्ग, महिलायें, किसान आदि की सक्रीय सहभागिता हो।
स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मतलब और इसके प्रभावों को समझना– एक सतत प्रक्रिया के रूप में। समुदाय के लोगों खासकर, बुजुर्गों, महिलाओं, के साथ बैठकें, और समूह चर्चा करके पता करना कि पिछले 20 साल में अपने गांव के जंगल, पेड़–पौधे, जीव–जंतु, पक्षी, कीड़े–मकोड़े, खेती, पानी की उपलब्धता, और मौसम में क्या बदलाव आया है?	समुदाय के लोगों खासकर, बुजुर्गों, महिलाओं, के साथ बैठकें, और समूह चर्चा करना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए हमें लोगों के साथ अलग–अलग समूह में 3 से 4 बार बैठना पड़ सकता है। इन बैठकों में एक ही बार में सभी बिंदुओं पर बात न करें बल्कि एक मीटिंग में एक विषय पर विस्तार से बात करें, और कोशिश करें कि बातचीत सिर्फ बातचीत न होकर कार्ययोजना का रूप ले और लोग उस विषय के लिए काम करने को तैयार और तत्पर हों। इन चर्चाओं से जो भी जानकारी निकल कर आएगी, उसके आधार पर एक दस्तावेज तैयार करिये। आप ड्राइंग शीट पर मौसम में आ रहे बदलावों /मौसम चक्र/फसल चक्र/अन्य

	समस्यायों पर चित्र बना लें। इन चित्रों/जानकारियों/दस्तावेजों का उपयोग युवाओं/स्कूल में बच्चों के समूह से जलवायु परिवर्तन पर संवाद करने के लिए करना बहुत उपयोगी होगा।
जंगल पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।	जंगल की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, क्या परिवर्तन आया है ? आपके नजरिए से इस बदलाव के क्या कारण हैं, यदि हम पहले जैसा जंगल बनाना चाहें तो – • हमें क्या–क्या सुधार के कार्य करने होंगे। • जंगल को बचाने/ बढ़ाने के लिए समुदाय क्या सहयोग कर सकता है। • इन कार्यों में कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे। • जंगल को बढ़ाने के लिए सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं हैं, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने का तरीका क्या है, • उद्यानिकी विभाग की योजनाएं, वन विभाग की योजनाएं, पंचायतराज विभाग की योजनाएं।
खेती पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।	खेती की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, क्यां परिवर्तन आया है? आपके नजरिए में आए इस बदलाव के क्या कारण हैं ? खेती की बात करते समय हम निम्न लिखित बिंदुओं से अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। • कौन–कौन सी प्रमुख फसले उगाई जाती थी, अपने गांव/क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी थी। • जमीन का उपजाऊपन कैसा था। • फसलों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, फसलों को कितनी सिंचाई देनी पड़ती थी। • खेती में क्या परिवर्तन आया है ? आपके नजरिए से इस बदलाव के क्या कारण हैं ? • रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता में हुए नुकसानों पर चर्चा। • रासायनिक पद्धति और जैविक पद्धति से फसल उत्पादन में लागत के प्रमुख खर्च जैसे, बीज, खाद,

	कीटनाशक, श्रम, एवं उत्पादन की मात्र और मूल्य आदि बातों को जोड़ घटाना करके फसल का घाटा, मुनाफा निकाल कर तुलनात्मक चर्चा करना कि खेती के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा फायदे मंद है। • अपने गांव की खेती को बेहतर करने के लिए हमें क्या–क्या सुधार के कार्य करने होंगे। • इन कार्यों में कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो अपने खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे। • जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं हैं, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना। कृषि विभाग की योजनाएं, इनमें नाडेप, वर्मी कंपोस्टत, एस.आर.आई., एस.डब्लयू आई, मिश्रित फसल बोना, फसल बोने के तरीके, बीजोपचार, जैविक खेती को प्रोत्साहन। गोबर गैस योजनाः गोबर गैस से निकली स्लरी अच्छी जैविक खाद का काम करती है। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, ऐसे किसानों के खेतों में अन्य किसानों का भ्रमण कराना और इनकी सफलता की कहानियों को प्रसारित करना।
जल की उपलब्धता और उपभोग पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।	पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए जल उपलब्धता और उपभोग की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, क्या परिवर्तन आया है ? आपके नजरिए से इस बदलाव के क्या कारण हैं? जल उपलब्धता और उपभोग की बात करते समय हम निम्नलिखित बिंदुओं से अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। • पुराने समय में हमारे पास जल के लिए प्रमुख स्रोत क्या थे, तालाब, नदी, नाले, कुए, हैंडपंप आदि। इनसे हमें वर्ष में कितने माह तक पानी उपलब्ध होता था। • भूमिगत जल के लिए जल स्तर कितना था, यानी कितने फुट पर पानी उपलब्ध था और अब कितना है,

	• बरसात के पानी को सहेजने के लिए क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था हैं। • पहले बरसात कितनी होती थी, अब कितनी होती है, मानसून कब किस माह में आता था और किस माह तक रहता था, अब किस माह में मानसून आता है और किस माह तक रहता है। मानसून का मिजाज पुराने समय में कैसा था अब कैसा है? • ठंड के मौसम में मावठे की बरसात होती थी, यह किन महीनों में होती थी, अब मावठा किन महीनों में गिरता है। • उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर उनकी तुलना की जा सकती है कि जल की उपलब्धता और उपभोग की स्थिति में क्या बदलाव आया है और क्यों आया है ? इसके आधार पर हम तय कर सकेंगे कि कौन से बदलाव ऐसे रहे जिनके कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन जल की उपलब्धता में कमी आई है, और यहीं से हमारे जल स्रोतों को संरक्षित करने की योजना हमें बनानी होगी । • जल संरक्षण कार्य में सहयोग के लिए कौन–कौन सदस्य सहयोग करेंगे। • हमे इस नीति पर कार्य करना होगा कि, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। • कौन लोग अपने खेत के निचले हिस्से में पानी रोकने के लिए तालाब बनाने में सहयोग कर सकते हैं। • पानी रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक निचली जमीन का उपयोग किया जा सकता है। • जल संरक्षण के लिए सरकार की योजनाएं • जल संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग की योजनाएं हैं, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना। • पंचायत राज विभाग से, मनरेगा, एवं अन्य विकास योजनाओं में के अंतर्गत किन खेतों में तालाब, कुंआ,

	मेढ़बंदी कराई जा सकती है। इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना। जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के अंतरगत हमारे क्षेत्र के लिए क्या योजना है, इस योजना के क्रियान्वयन में हम गांव बालों क्या सहयोग कर सकते हैं। ताकि वाटरशेड का कार्य जल्दी किया जा सके।
उद्योगी करण और परिवहन के साधनों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव को समझना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों एवं तरीकों को प्रोत्साहन देना।	यह चर्चा करना कि – • हमारे क्षेत्र में कौन–कौन से उद्योग या काम या छोटे धंधे हैं जिनके कारण धुंआ या हानिकारक गैसे उत्सर्जित हो रहीं हैं? इन गैसों का हमारे स्वास्थ्य पर और वातावरण पर क्या असर हुआ है। • इन स्थितियों को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। • हम कौन से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपना सकते हैं, इसमें कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे। • ऊर्जा विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, जैसे सोलर कुकर, धुंआ रहित चूल्हा, चिमनी आदि, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना। • पेट्रोल और डीजल की इस खपत को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं? • किन स्थितियों में हम निजी वाहन का उपयोग करें व किन स्थितियों में हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। • ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा अपने क्षेत्र में और क्या विकल्प हो सकते है।
युवाओं, बच्चों और स्कूल के समूहों से जलवायु परिवर्तन के विषय पर संवाद करना।	अपने गांव/इलाके के स्कूलों में जलवायु परिवर्तन पर सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। इन सत्रों में अपने इलाके से जुड़ी हुई जानकारियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिये।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य – 6

जैव विविधता और समुदाय

स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा, बहाली तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग एवं वनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण पर काबू पाना, भू क्षरण को रोकना और भूमि संरक्षण की ओर बढ़ना तथा जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को विराम देना।

यदि अपने गांव, समुदाय और प्रकृति को स्वस्थ रखना है तो जैव विविधता को बचाना होगा। इसके बिना न तो शरीर खुश रह सकता है, न ही मन। जैव विविधता को नुकसान पहुँचा कर हम सब मांग करने लगते हैं कि अस्पताल चाहिए, और ज्यादा इलाज चाहिए, दवाईयां चाहिए। क्योंकि समुदाय बीमार पड़ता है। यह कोई नहीं कह सकता कि सबको स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बिलकुल मिलना चाहिए पर साथ में यह भी तो सोचा जाना चाहिए कि आखिर हमारा समुदाय और समाज इतना बीमार हो क्यों रहा है? जिस तरह से हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उससे समाज में अशांति बढ़ रही है और शारीरिक मानसिक अस्वस्थता भी। टिकाऊ विकास लक्ष्यों का मकसद एक बेहतर–स्वस्थ–प्रसन्न–समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया चलाना है। इस नजरिए से समुदाय के बीच हमें कुछ व्यापक पहलुओं पर काम करना होगा। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैव–विविधता का संरक्षण।

जैव–विविधता क्या है?

जैव–विविधता का मतलब है प्रकृति पर सभी तरह के जीवन। जरा सोचिये कि क्या धरती पर केवल इंसानों का ही जीवन है? क्या उनकी जरूरतें पूरा होना ही जरूरी है? उनकी जरूरतें कहाँ से पूरी होती हैं?

- धरती पर केवल इंसानों का ही जीवन नहीं है। यहाँ पेड़–पौधों का जीवन भी है। यहाँ तितलियों का जीवन भी है, मधु मक्खियों का भी जीवन है, केंचुओं का भी जीवन है। दीमक भी जीवन है। चिडियाओं का भी जीवन हैं, घोड़े, बिल्ली और शेर का भी जीवन हैं।
- बहुत सारे जीवों का जीवन तो अपनी आँखों से दिखाई दे जाता है, किन्तु कई छोटे छोटे कीटाणु और सूक्ष्म जीव भी इस धरती पर हैं, जो नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। उनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है।
- मिट्टी में छोटे–छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले कीटों को खतम करते हैं। इससे ही बीज अंकुरित हो पाता है और खेती हो पाती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक अच्छे कीटों को मार देते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और खेत में ज्यादा बीमारी पनपती है।
- आप सोचिये कि यदि पेड़ न हों, तो पत्तियां मिट्टी में सड कर खाद नहीं बनायेंगी, तब क्या होगा?

- हमें आपको औषधियां कहाँ से मिलती हैं? जी हों औषधीय पौधों से, लेकिन जिस तरह से जैव–विविधता खतम हो रही है, इससे औषधीय पौधे भी खतम हो रहे हैं।
- यदि पेड़ न होंगे तो मिट्टी को बारिश–बाढ़ में बाँध कर कैसे रखा जाएगा? जब मिट्टी बह जायेगी, तब खेती कैसे होगी?
- जब मिट्टी बह जायेगी और नदियों के किनारे टूट जायेंगे, तब पानी सब तरफ फैल जाएगा।
- या फिर जब पानी रुकेगा नहीं और तेज धूप मिट्टी की नमी सोख लेगी, तब पानी के जीव कहाँ बच पायेंगे?
- यदि केंचुआ न होगा तब मिट्टी को गड्डम–गड्ड कौन करेगा?
- यदि मधुमक्खी न हो तब परागण कैसे होगा और फूलों में से उनका रस कैसे निकलेगा?
- यदि घास न होगी, तो गाय और हिरन क्या खायेंगे?
- शेर और बाघ की जिंदगी के लिए घास का होना अनिवार्य है। क्या ये घास खाते हैं? जब हिरन और दूसरे जानवर बिना घास के जिन्दा नहीं रह पायेंगे, तो क्या शेर और बाघ जिन्दा रह पायेंगे?

इसका मतलब यह है कि धरती पर जानवरों–पक्षियों–कीटों–पेड़ पौधों–सूक्ष्म जीवों–नदी–पहाड़ों–जंगल–वनस्पतियों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक का भी यदि जीवन खतम हुआ तो पूरा जीवन चक्र टूट जाएगा।

जैव–विविधता का मतलब है सभी पौधों, सभी प्राणियों, सभी जानवरों और सभी सूक्ष्म जीवों का जीवन। जैव विविधता के संरक्षण का मतलब है हम यह सुनिश्चित करें कि अपनी जरूरतें पूरी करते समय हम इन सभी के जीवन को नुकसान न पहुँचायें। आज की स्थिति में जिस तरह से विकास हो रहा है, उसके कारण कई तरह के पेड़–पौधे, जीव–जानवरों, कीटों की प्रजातियां ही खतम हो गयी हैं। इससे प्रकृति की व्यवस्था टूट रही है और मानव जीवन पर भी संकट आ रहा है।

वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो–डिं–जेनेरियो में दुनिया के देश जैव–विविधता पर आ रहे संकट पर बात करने और कुछ पहल करने के लिए इकट्ठा हुए। इस बैठक को जैव–विविधता पर सम्मेलन (कन्वेंशन आन बायोलाजिकल डायवर्सिटी–1992) कहा जाता है। इस सम्मेलन में सबने तय किया था कि सभी देश जैव–विविधता के संरक्षण, जैव–विविधता के टिकाऊ और जिम्मेदार उपयोग और जैव विविधता के लाभ की समान साझेदारी के लिए व्यवस्था बनाएंगे। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार ने जैव विविधता कानून, 2002 (बायोलाजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002) बनाया।

मध्यप्रदेश में जैव–विविधता

भारत में जैव–विविधता के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं – पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्य जहाँ जैव–विविधता आदर्श रूप में पायी जाती रही है। मध्यप्रदेश जहाँ स्थित है, वह वास्तव में पश्चिमी और उत्तर–पूर्वी भारत के इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते का अहम केंद्र है। मध्यप्रदेश भी एक ऐसा

राज्य है जहाँ की जैव–विविधता गर्व करने लायक है और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, घाटियाँ भी हैं, बीहड़ भी हैं और पठार भी। यहाँ चार तरह के जंगल हैं। इसे बाघों का राज्य कहा जाता है। यहाँ 20 तरह के सांप मिलते हैं।

क्या आप जानते हैं यहाँ पेड़–पौधों की 5000 किस्म की प्रजातियां हैं? 500 तरह की चिडियाएँ–पंछी हैं? 180 तरह की मछलियाँ हैं? धान की हजारों तरह की किस्में हैं। 43 आदिवासी समुदाय हैं। समाज में सदियों से चली आ रही पारंपरिक उपचार व्यवस्था का आधार रही हैं, यहाँ पायी जाने वाली 1000 तरह की औषधीय वनस्पतियां।

समुदाय की भूमिका

पारंपरिक रूप से जैव–विविधता का संरक्षण समाज ने ही किया है क्योंकि उसे इसके महत्व का ज्ञान रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की जद्दोजहद में समाज ने जैव–विविधता में से ही रास्ते निकाले हैं। अपने अनुभवों से लोगों ने यह जाना कि कौन सी वनस्पति किस तरह की बीमारी में कारगर साबित होगी। यही कारण है कि आदिवासी समुदायों में तो प्रकृति को ही अपना आराध्य माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से शोषण हुआ है, उससे एक तरफ तो बीमारियों, पीने के पानी और असुरक्षा की समस्या खड़ी हुई, तो वहीँ दूसरी तरफ जो जैव–विविधता हमें इन संकटों से निपटने में मदद कर सकती थी, उसके अस्तित्व पर भी संकट गहराया है।

कानूनी व्यवस्था में समुदाय की भूमिका – स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी

स्वाभाविक है कि समुदाय को अब जैव–विविधता के संरक्षण की जिम्मेदारी एक बार फिर से अपने हाथ में लेना होगी। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका केन्द्रीय नहीं है, केंद्र में तो समुदाय ही है। वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश जैव–विविधता नियम, 2004 बनाए।

इस व्यवस्था के तहत स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी (यानी समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला रजिस्टर) बनाए जाने का प्रावधान है। इस पंजी को बनाने का मुख्य मकसद स्थानीय जैव–विविधता से सम्बंधित ज्ञान को लोकहित के नजरिए से दर्ज करना है। इसके साथ ही जैव–विविधता से सम्बंधित सैंकडों सालों के अनुभवों से अर्जित स्थानीय समुदाय को ज्ञान को भी दर्ज किया जाना है। स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, उनके उपयोग और उपयोगिता, औषधीय गुणों, खाद्य–पोषण सुरक्षा से जुड़े पहलुओं, उत्पादित और अनुत्पादित खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी दर्ज की जाना चाहिए।

यह पंजी एक सामुदायिक दस्तावेज है, जिससे स्थानीय जैव–विविधता की व्यापकता, मौजूदा स्थिति, इससे सम्बंधित गहरे ज्ञान की व्यवस्था, उनका उपयोग और संरक्षण की सामुदायिक व्यवस्था को जाना और समझा जा सकेगा।

इस दस्तावेज का उपयोग समुदाय और स्थानीय निकाय जैव–विविधता के संरक्षण के लिए योजना बनाने में कर सकेंगे। केवल जानकारी हासिल करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि संसाधनों के संरक्षण की सामुदायिक व्यवस्था बनाने में इसका रचनात्मक उपयोग किया जा सकेगा। नए सन्दर्भों में हम उन अवसरों को भी पहचान सकेंगे, जिनसे समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि समुदाय के अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स) को

सुरक्षित करने के नजरिए से भी यह एक महत्वपूर्ण पहल है, ताकि कोई और इस ज्ञान पर एकाधिकार हासिल करने की कोशिश न करे।

स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी

इस पंजी में स्थानीय जैव–विविधता और उसे मानवीय समाज के रिश्तों को दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से निम्न बिंदु शामिल होंगे –

प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता पर आधारित आजीविका की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी

जैसे – महुआ इकठ्ठा करना, मछली पालन, आंवला इकठ्ठा करना आदि

स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता

जैसे – बारिश का मौसम, बारिश की मात्रा, तापमान आदि

प्रजातियों की और आनुवंशिक विविधता

जैसे – पेड़ों, वनस्पतियों, जानवरों, पंछियों की कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं?

घरेलू उपयोग के लिए जैव विविधता, जिसमें पालतू पशुधन शामिल है।

जैसे–गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, गधे के बारे में जानकारी और घरेलू उपयोग की वनस्पतियां कौन सी हैं, उनके उपयोग और उनकी प्रजातियां कौन सी हैं?

जंगली फूलों और वनस्पतियां की विविधता

जैसे – वहां स्थानीय क्षेत्र में कौन कौन से जंगली फूल और वनस्पतियां मिलते है, कौन सी प्रजाति के हैं? क्या उनका कोई उपयोग होता है? यदि हाँ तो क्या?

जलीय वनस्पतियों की विविधता

जैसे – स्थानीय नदी, नालों, तालाबों में कौन से जलीय वनस्पतियां मिलती हैं? उनका क्या उपयोग होता है? उनका महत्व क्या है?

जलीय जीवों की विविधता

जैसे – स्थानीय नदी, नालों, तालाबों में कौन से जलीय जीव मिलते हैं? उनका क्या उपयोग होता है? उनका महत्व क्या है?)

जैव–विविधता और संस्कृति के बीच के परस्पर रिश्ते

जैसे – क्या पेड़ों, जंगल, नदी, जमीन, पशुओं से समुदाय के कोई आध्यात्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं? क्या त्योहारों से उनका कोई जुड़ाव है?

जैव विविधता से जुड़ा हुआ सामुदायिक ज्ञान

जैसे – पशुओं, कीटों, वनस्पतियों, पेड़ों आदि के बारे में समुदाय की जानकारी क्या है? समुदाय में मुख्य रूप से किसे ज्यादा जानकारी है? क्या वह जानकारी नयी पीढ़ी को दी जा रही है?

जैव विविधता से जुड़ा हुआ सामुदायिक व्यवहार

जैसे – पशुओं, कीटों, वनस्पतियों, पेड़ों आदि के बारे में समुदाय के व्यवहार क्या है? इन व्यवहारों से सम्बंधित सिद्धांत और नियम कौन से हैं? क्या वह इस व्यवहार की जानकारी नयी पीढ़ी को दी जा रही है?

जैव विविधता और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए पहलू

जैसे – जैव–विविधता का संरक्षण करने की समुदाय आधारित व्यवस्था क्या है? समुदाय के द्वारा बनांए गए नियम कौन से हैं? समुदाय में कौन मुख्य भूमिका निभाता है?)

जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामुदायिक योजना

जैसे – अपने आस पास के क्षेत्र में उपलब्ध या फिर लुप्त हो रही जैव–विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए समुदाय के साथ मिलकर एक योजना बनाएँ।)

जैव विविधता की लोक पंजी और जैव–विविधता प्रबंधन समिति

जैव विविधता कानून, 2002 के मुताबिक जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव–विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए।

हर समिति में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे, जिन्हें स्थानीय निकाय नामांकित करेंगे। इस समिति में एक तिहाई महिलाएं और 18 प्रतिशत अनुसूचित जातिध्जनजाति से सम्बंधित प्रतिनिधि होना चाहिए।

कानून के प्रावधानों के मुताबिक जैव–विविधता प्रबंधन समिति ही जैव विविधता की लोक पंजी बनाएगी। समिति को अपने क्षेत्र में आने वाले सभी स्रोतों को दायरे में लेते हुए जैव–विविधता से सम्बंधित जानकारियों, ज्ञान और सम्बंधित पहलुओं को दर्ज करने का अधिकार है।

जैव विविधता की लोक पंजी के प्रपत्र

गांव की जानकारी

गांव का नाम		**तहसील**		**जिला**	
जिला मुख्यालय से दूरी		ब्लाक मुख्यालय से दूरी		भूगोलीय संरचना (पहाडियां, पठार, मैदानी आदि)	
जलवायु और मौसम		जनसँख्या		पुरुष जनसँख्या	
महिला जनसँख्या		अनुसूचित जाति संख्या		अनुसूचित जनजाति संख्या	

जैवविविधता से जुड़ी हमारी आजीविका (रोजी–रोटी)

स.क्र.	गतिविधियां	गतिविधि से कितने परिवार जुड़े हैं?		परिवार		समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय
				गांव वाले	बाहर से आने वाले	
1	खेती एवं संबंधित कार्यों से सम्बंधित गतिविधियां					
2	पशुपालन से सम्बंधित गतिविधियां (मत्स्य पालन के साथ)					
3	जंगल से सम्बंधित गतिविधियां					
4	कारीगरी से सम्बंधित गतिविधियां					
5	अन्य सेवाओं से सम्बंधित गतिविधियां (जैसे – जैव विविधता संबंधित आजीविका के साधन)					
6	काम के लिए पलायन					
7	मजदूरी और इससे सम्बंधित गतिविधियां					

इस तालिका के आधार पर हमें यह अध्ययन करना है कि गांव में कुल कितने परिवार हैं? आजीविका के लिए मुख्य रूप से वे किन कामों/क्षेत्रों पर निर्भर हैं? जैव–विविधता से मुख्य आजीविका का क्या और कैसा जुड़ाव है? उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में साल भर में से कितने दिनों/महीनों के लिए रोजगार मिलता है?

पारिस्थितिकीय विविधता

स.क्र.	इलाके (खेती/जल/जगंल/पड़ती जमीन आदि)	स्थानीय नाम	लंबाई, चौड़ाई और गहराई? (अनुमानित आकार एंव संख्या)	मिल्कियत	आजीविका से जुड़ी गतिविधि	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

इलाकों का वर्गीकरण

प्राकृतिक भू दृश्य – जल स्रोत परिदृश्य का विवरण

स. क्र.	उच्च प्राथमिकता वाले इलाके का विवरण	स्थानीय भाषा में नाम	अनुमानित क्षेत्र	आजीविका से जुड़ी गतिविधियां	इससे जुड़ी हुई प्रजाति	विगत 10 वर्षो में बदलाव	बदलाव का कारण	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

प्रजाति और उत्पत्तिमूलक–अनुवांशिक विविधता

कृषि की विविधता :

स. क्र.	फसल (गेहू, चावल)	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	किस्में	अंकुरण में मदद करने वाले कीटघ जीवाणु का चरित्र और पहचान	कितने क्षेत्र में बोई जाती है	बुआई की ऋतु एवं समय	प्रति एकड़ अनुमानित उत्पादन	उपयोग/ विशेष गुण	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

कृषि में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली प्रजातियां/फसलें

स. क्र.	फसल	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	किस्में.	अंकुरण में मदद करने वाले कीट/जीवाणु का चरित्र और पहचान	कृषि–जलवायु का वह क्षेत्र कौन सा है, जिसमे फसल होती है एवं बुआई का क्षेत्रफल	मौसम	कितने समय की फसल है?	उत्पादन (टन)	उत्पादकता (किलो ग्राम प्रति हेक्टर)	उपयोग (औषधीय उपयोग के साथ)	विगत 10 वर्षो मे बदलाव धस्थिति	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –													

सभी पालतू पशुओं की विविधता

स. क्र.	पालतु पशुओं का नाम मवेशी (गाय, भैंस, बकरी, भेड) सुअर, मुर्गा, मुर्गी, गधा और अन्य	प्रजाित का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	नस्लें	वर्णन उपलब्धा नहीं	संख्या	उत्पादन /उपलब्धता कितनी होती है?	सेवाओं में उपयोग (खेती, परिवहन, भोजन, सांस्कृतिक व्यवहार या अन्य) स्थिति	(पर्याप्त उपलब्ध है/दुर्लभ/विलुप्तप्राय /संकट मे/अन्य)	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

उच्च प्राथमिकता वाले पालतू पशुओं की प्रजाति की जानकारी

स. क्र.	पालतु पशुओं का नाम मवेशी (गाय, भैंस, बकरी, भेड) सुअर, मुर्गा, मुर्गी, गधा और अन्य	प्रजाित का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	नस्लें	वर्णन उपलब्ध नहीं	संख्या	उत्पादन /उपलब्धता कितनी होती है?	सेवाओं में उपयोग (खेती, परिवहन, भोजन, सांस्कृतिक व्यवहार या अन्य)	(पर्याप्त उपलब्ध है/दुर्लभ /विलुप्तप्राय/संकट मे/अन्य)	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

जंगल की विविधता – वनस्पति की जानकारी (वनस्पति–पेड़, पौधे, झाड़ी, बेल, कंद–मूल, घास, लताऐं आदि)

स. क्र.	वनस्पति का स्थानीय नाम	प्रजाति	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	भाग (किस भाग का उपयोग होता है?)	उपयोग (किस काम में आता है?)	उत्पादन कितना होता है?	स्थिति क्या है (दुर्लभ/विलुप्तप्राय /संकट मे)
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –							

उच्च प्राथमिकता वाले जंगल और वहां मिलने वाली वनस्पति की प्रजाति की जानकारी

स. क्र.	वनस्पित का स्थानीय नाम	प्रजाित	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	जुडे हुये इलाके (जंगल/खेती/पड़ती जमीन/नदी आदि)	भाग (किस भाग का उपयोग होता है?)	उपयोग (किस काम में आता है)	उपयोगकर्ता	उत्पादन	विगत 10 वर्षो मे बदलाव	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –										

वन्य प्राणी की विविधता (स्तनपायी, रेंगनेवाले, जल–स्थलचर, चिड़िया, मछली, कीट आदि)

स. क्र.	वन्यप्राणी/प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	जनसंख्या	स्थिति (दुर्लभ/विलुप्तप्राय/संकट मे)
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –				

उच्च प्राथमिकता वाले वन्य प्राणी की प्रजाति की जानकारी

स. क्र.	वन्यप्राणी/ प्रजाति का स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	जुड़े हुये इलाके, जहां पाया जाता है। (जंगल/खेती/पड़ती जमीन/नदी आदि) किस तरह के भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थिति में पाया जाता है?	वर्तमान मौजूदगी (ज्यादा/मध्यम/कम)	विगत 10 वर्षों में बदलाव	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –						

जैव विविधता और संस्कृति

जैवविविधता से जुड़े त्योहार/रीति/रिवाज

रीतिधरिवाज	त्योहार	महीने	विवरण	कौन सी प्रजातियों का उपयोग करते है	इसके पीछे क्या मान्यता है?	क्या प्रभाव है जैव विविधता पर?
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –						

जैव विविधता से जुड़ी लोक कथाएं/ लोकगीत/मुहावरे/कहावतें

लोक कथा/लोकगीत/मुहावरे/कहावतें/संक्षेप में	जैव–विविधता से जुड़ाव	समुदाय में लोक कथा/लोकगीत/मुहावरों/कहावतों की वर्तमान स्थिति

समुदाय में जैव–विविधता की जानकारी और जानकार लोग

सं.क्रं.	जानकार लोगों के नाम	किस तरह का ज्ञान?	बांटने योग्य ज्ञान	ज्ञान, जो गुप्त रखना चाहते है?

प्रबन्धन और प्रबन्धन के मुद्दे – पुरानी परम्परागत व्यवस्थायें एवं संस्थायें

जुडे हुये इलाके (जंगल/खेती/पड़ती जमीन/नदी आदि)	पुरानी परम्परागत व्यवस्था	मौजूदा व्यवस्था	किसी बदलाव की जरूरत हो?

हस्ताक्षर एवं दिनांक ..... **नाम** .....

जैव विविधता का संरक्षण और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिकध्मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
जैव विविधता के बारे में समुदाय के ज्ञान से सीखना	खुले मन से और बिना किसी पूर्वाग्रह के समुदाय के ज्ञान को जानने, समझने और उससे सीखने की प्रक्रिया शुरू करना। हो सकता है कि जैव–विविधता जैसे शब्द के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं हो, किन्तु इसके बारे में उनकी अपनी शब्दावली जरूरी है उसे जानने की कोशिश करें। यह काम गांव/समुदाय के सयाने लोगों के साथ संयम से संवाद करके ही किया जा सकता है।

आजीविका के लिए जैव–विविधता के उपयोग को जानना	गांव/समुदाय के लोग आजीविका के लिए जैव विविधता पर कैसे और कितने निर्भर हैं, यह जानना। इसमें पशुपालन से लेकर लघु वन उपज और खेती तक के काम शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखें कि हमें आजीविका के हर क्षेत्र/काम से जैव–विविधता के सम्बन्ध को बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।
संस्कृति और विश्वास के लिए जैव–विविधता के उपयोग को जानना	गांव/समुदाय के लोग संस्कृति और विश्वास के लिए जैव विविधता पर कैसे और कितने निर्भर हैं, यह जानना। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार और विशेष अवसर के काम शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखें कि हमें हर संस्कृति और विश्वास से सम्बंधित व्यवहार से जैव–विविधता के सम्बन्ध को बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।
जैव विविधता की उपलब्धता	गांव/पंचायत/समुदाय के क्षेत्र में किस तरह की और कितनी जैव विविधता है, इसका आंकलन करना। इसके लिए हम प्रारूपों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैव विविधता की मौजूदा स्थिति	यह जानना कि जैव विविधता की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या जैव–विविधता सुरक्षित है या संकट में हैं?
ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव–विविधता प्रबंधन समिति का गठन और उनका प्रशिक्षण करना	जैव–विविधता कानून के तहत ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव–विविधता प्रबंधन समिति का गठन करवाएं और उनका प्रशिक्षण करवाकर लोक पंजी बनवाएं और संरक्षण की प्रक्रिया शुरू करवाएं।
किशोर उम्र के बच्चों के साथ संवाद	आप गांव/समुदाय के किशोर उम्र के बच्चों के साथ जैव–विविधता के विषय पर संवाद करें और गांव/आसपास जैव–विविधता का दस्तावेजीकरण करने में उन्हें शामिल करें। गांव/समुदाय के सयाने लोगों से उनका संवाद करवाएं।
स्कूल में जैव–विविधता पर सत्रों का आयोजन	स्थानीय जैव–विविधता की जानकारी और अध्ययन के आधार पर स्थानीय स्कूल में इस विषय पर संवाद का आयोजन करें।
जैव–विविधता पर ग्राम सभा की बैठक	स्थानीय जैव–विविधता की जानकारी और अध्ययन के आधार पर ग्राम सभा में इस विषय पर संवाद का आयोजन करें। इसी के आधार पर संरक्षण की कार्ययोजना बनवाएं और उसे लागू करवाने में मदद करें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 7

बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता–युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवनपर्यंत सीखने के अवसर सुलभ करना।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था को समावेशी बनाने की जरूरत होती है। हम यह जानते हैं कि एक तरफ तो आर्थिक कारणों (गरीबी) के कारण समाज का एक तबका शिक्षा से वंचित रहता है, तो वहीं दूसरी और सामाजिक स्तर पर हाशिए पर रहे समुदाय भी शिक्षा से वंचित रहते हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक हम समतामूलक और अच्छे समाज की रचना नहीं कर पायेंगे। हमारे संविधान में अब हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है।

शिक्षा के हक को पूरी तरह से उपलब्ध करवाने के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत होती है। इनमें से एक कदम है शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दिया जाना। मध्यप्रदेश में अभी की स्थिति में 9 सरकारी विभाग 30 तरह की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। मकसद यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, लड़कियां, विकलांगता से प्रभावित बच्चों, सामाजिक–पारिवारिक समस्यायों से प्रभावित बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था हो। यह बच्चों का हक है और राज्य की जिम्मेदारी है।

इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य में हमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव/समुदाय में ऐसे बच्चों की पहचान करना जो किसी भी तरह की छात्रवृत्ति पाने के हकदार हों और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उनके हक की छात्रवृत्ति नियमित रूप से सहजता और सम्मान के साथ मिले। इस पुस्तिका में आपको राज्य में सरकार द्वारा संचालित की जा रही सभी छात्रवृत्तियों और उनसे सम्बंधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल जायेगी। समुदाय को लामबंद करते हुए बच्चों के इस हक को सुरक्षित करना है।

मध्यप्रदेश में सभी छात्रवृत्तियों को एक मंच पर लाने की पहल करते हुए, इन्हें समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना है, उनका समग्र पोर्टल द्वारा निर्मित पहचान क्रमांक जरूर उपलब्ध होना चाहिए। यदि समग्र पहचान क्रमांक नहीं है, तो सम्बंधित स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह समग्र पहचान क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र हासिल करने में मदद करे।

छात्रवृत्ति योजनाएं और उनसे सम्बंधित प्रक्रिया

सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना

परिचय –

सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 –8)

योजना के उद्देश्य–

सामान्य निर्धन वर्ग के (शासकीय विद्यालय) छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राएं। 2. शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत। 3. जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 54000 से कम हो।

योजना के लाभ–

कक्षा 6 से 8 के बालक को 200 रु. प्रतिवर्ष एवं बालिका को 300 रु. प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की जाती है।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

सुदामा प्री मैट्रिक योजना

परिचय –

सुदामा प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9–10)

योजना के उद्देश्य –

सामान्य निर्धन वर्ग के (शासकीय विद्यालय) छात्र –छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राएं। 2. शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9–10 में अध्यनरत (नियमित)। 3. जिनके परिवार की वार्षिक आय रु. 54000 से कम हो।

योजना के लाभ –

शासकीय शालाओं में कक्षा 9–10 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के बालक को 300 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 400 रु प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र –छात्राओं को अपनी शाला में एकल आवेदन पत्र प्रधानाअध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतित योजना

परिचय –

स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

योजना के उद्देश्य –

राज्य शासन द्वारा कक्षा 10 वी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन मेघावी छात्र–छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र ध्छात्राओं के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 54000/– से अधिक न हो।

योजना के लाभ –

स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत बालक को रुपये 500/– प्रतिवर्ष और बालिका को 550/– रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते है।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

सुदामा शिष्यावृत्ति योजना

परिचय –

सुदामा शिष्यवृत्ति योजना

योजना के उद्देश्य–

प्रदेश के जिला/विकासखंड मुख्यालयों पर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विध्यालयों मे कक्षा 10वीं व 12वीं मे अद्धययनरत छात्रावास मे निवास करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के छात्र छात्राओं की शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु. 54000/– से अधिक न हो। 2. कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होकर वर्तमान मे कक्षा 11 वीं अथवा 12 वीं मे अध्ययनरत। 3. विद्यार्थी का छात्रावास में निवासरत होना।

योजना के लाभ –

कक्षा 10 वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11 अथवा 12 वीं में अध्ययनरत बालक को 5000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 5250 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

मृत/अपंग सेवानिवृत शास।कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना

परिचय –

मृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विधा. के लिये)

योजना के उद्देश्य–

मृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत/अपंग/से.नि. कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 2. गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 तक के बालक को 50 रु प्रतिवर्ष व बालिका को 50 रु प्रतिवर्ष प्रदाय की जाती है। 2. कक्षा 6 से 8 तक के बालक को 120 रु प्रतिवर्ष व बालिका को 120 रु प्रतिवर्ष

प्रदाय की जाती है। 3. कक्षा 9 से 12 तक के बालक को 250 रु प्रतिवर्ष व बालिका को 250 रु प्रतिवर्ष प्रदाय की जाती है।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति

परिचय –

पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति (केवल शास.विधा. के लिये)

योजना के उद्देश्य –

शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत पितृहीन कन्याओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 2. गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालिका को 350 रूपए प्रतिवर्ष। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालिका को 400 रूपए प्रतिवर्ष। 3. कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिका को 450 रूपए प्रतिवर्ष।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रव्रत्ति

परिचय –

इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय)

योजना के उद्देश्य–

सभी वर्ग की (इकलौती बेटी को) छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. बालिका जो अपनी माता–पिता की इकलौती संतान होंगी। 2. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10 वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त। 3. यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन के लिये दी जाएगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क 1500 रु से कम होगा। 4. माता–पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख का प्रमाण पत्र तथा माता–पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में इकलौती संतान होने के संबंध में नोटरी द्वारा शपथ पत्र। 5. कक्षा 10 वीं एवं 11 वीं की अंकसूची।

योजना के लाभ –

कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत बालिका को लिये 5000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सबंधित विद्यालय में अध्ययनरत बालिका को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति

परिचय –

राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण)

योजना के उद्देश्य –

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं की शेक्षिक स्थिति में सुधार हेतु लाभ दिए जाने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। 4. नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये पुनः आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं। 5. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक को 150 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक को 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। 3. कक्षा 9 से 10 मं अध्ययनरत बालक को 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (6–10)

परिचय –

राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (6–10)

योजना के उद्देश्य –

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु लाभ दिए जाने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। 4. नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये पुनः आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं। 5. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक को 150 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक को 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। 3. कक्षा 9 से 10 मं अध्ययनरत बालक को 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (9–10)

परिचय –

प्री–मेट्रिक अनु।जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)

योजना के उद्देश्य –

अनुसूचित वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 से नवीन छात्रवृत्ति योजना लागू की है, 2. परिवार की वार्षिक आय रुपये 2. 00 लाख निर्धारित की गई है, 3. विद्यार्थियों को जिनके पालकों की आय 2. 00 लाख से अधिक है, राज्य छात्रवृत्ति अनुसार पात्रता होगी।

योजना के लाभ –

1. गैर छात्रावासी बालक 2250 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 2250 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।
2. छात्रावासी बालक 4500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 4500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति

परिचय –

पोस्टमेट्रिक अ.जा.छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी)

योजना के उद्देश्य –

अनु।जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र। 4. एक वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। 5. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।

योजना के लाभ –

कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत बालक को 2300 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 2300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापकध्प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

सफाई एवं जोखिम पूर्ण कार्य छात्रवृत्ति (अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति)

परिचय –

अस्वच्छ धन्धा छात्रवृत्ति

योजना के उद्देश्य–

उन छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये जिनके पिता अस्वच्छ धंधे में लिप्त हों अथवा रहे हों।

योजना की पात्रता –

1. पिता या पालक सिर पर शुष्क मैला ढोने या मरे जानवर का चमड़ा छीलने या पकाने का अस्वच्छ धन्धा करते हों। (1997 के बाद पुनर्वासित हुये अस्वच्छ धन्धा छोड़ चुके परिवार के बच्चों को भी पात्रता होगी) 2. तहसीलदार का अस्वच्छ धन्धा प्रमाण पत्र। 3. पालक का शपथ पत्र। 4. पालक का घोषणा पत्र। 5. परिवार के दो ही पुत्र/पुत्री को छात्रवृत्ति की पात्रता है। 6. राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 7. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बालक को 1850 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 1850 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत बालक को 1850 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 1850 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत बालक को 1850 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 1850 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

अनु.जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

परिचय –

अनु।जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि

योजना के उद्देश्य –

अनु.जाति वर्ग की छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अनु सूचित जाति वर्ग की छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र। 4. छात्रा सतत अध्ययनरत होना चाहिये।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 6 वीं में अध्ययनरत बालिका को 500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2 कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत बालिका को 1000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत बालिका को 3000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत बालिका को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति

परिचय –

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण)

योजना के उद्देश्य –

अनु. जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4. नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये जैसे कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तथा 9 वीं से 10 वीं के लिये पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। 5. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालिका के लिये 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदाय किये जायेंगे।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (6–8)

परिचय –

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (6–8)

योजना के उद्देश्य–

अनु. जनजाति वर्ग के छात्र ६ छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4. नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये जैसे कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तथा 9 वीं से 10 वीं के लिये पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। 5. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालिका के लिये 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदाय किये जायेंगे।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (9–10)

परिचय –

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (9–10)

योजना के उद्देश्य –

अनु. जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4. नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये जैसे कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तथा 9 वीं से 10 वीं के लिये पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। 5. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालिका के लिये 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदाय किये जायेंगे।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

प्री मेट्रिक अनुसूचित जनजाति

परिचय –

प्री–मेट्रिक अनु.ज नजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)

योजना के उद्देश्य–

अनु.जन जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 से नवीन छात्रवृत्ति योजना लागू की है। 2. परिवार की आय रुपये 2. 00 लाख निर्धारित है। 3. शेष विद्यार्थियों को जिनके पालकों की आय 2. 00 लाख से अधिक है,राज्य छात्रवृत्ति अनुसार पात्रता होगी।

योजना के लाभ –

1. गैर छात्रावासी बालक के लिये 2250 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 2250 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। 2. छात्रावासी बालक के लिये 4500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 4500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जनजाति

परिचय –

पोस्ट मैटिक अनु.जन जाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी)

योजना के उद्देश्य –

अनु. जन जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अ.ज.जा.वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र। 4। एक वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। 5. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।

योजना के लाभ –

पोस्ट मैटिक अनु.जन जाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी) के बालक के लिये 2300 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 2300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य ं को प्रस्तुत करना।

अनु. जन जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

परिचय –

अनु. जन जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि

योजना के उद्देश्य–

अनु. जन जाति वर्ग की छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अनु सूचित जन जाति वर्ग की छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 6 वीं में अध्ययनरत बालिका के लिये 500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। 2. कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत बालिका के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत बालिका के लिये 3000 प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत बालिका के लिये एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग

परिचय –

राज्य छात्रवृत्ति (विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ विभाग)

योजना के उद्देश्य–

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक के लिये 150 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 3. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग (6–10)

परिचय –

राज्य छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग (6–10)

योजना के उद्देश्य –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4. आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक के लिये 150 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 150 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 3. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 600 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

पोस्ट मेट्रिक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग

परिचय –

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी) (विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग)

योजना के उद्देश्य –

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्र ६ छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र। 4. एक वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 5. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।

योजना के लाभ –

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी) (विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग) के अधीन आने वाले बालक को 2300 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका को 2300 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

परिचय –

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग)

योजना के उद्देश्य–

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जन जाति वर्ग की छात्रायें। 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 6 वीं में अध्ययनरत बालिका के लिये 500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जात् हैं। 2. कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत बालिका के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत बालिका के लिये 3000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत बालिका को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति

परिचय –

राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति

योजना के उद्देश्य –

पिछड़ा वर्ग छात्र/ छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थाई जाति प्रमाण पत्र। 2. सक्षम अधिकारी या आय प्रमाण पत्र। 3. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं हुई हो। (पिता/पालक आयकरदाता की श्रेणी मं् न आता हो एवं 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 300 रु. प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 300 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 400 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति

परिचय –

पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (गैर छात्रावासी)(छात्रावासी)

योजना के उद्देश्य–

पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थाई जाति प्रमाण पत्र। 2. सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र। 3. गत वर्ष की अंक सूची। 4. एक वर्ष अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं। 5. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष की आय वृद्धि नहीं हुई है।

योजना के लाभ –

ए – गैर आवासीय 1. कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत बालक के लिये 500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 600 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत बालक के लिये 550 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 700 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

बी– आवासीय 1. कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत बालक के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1100 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत बालक के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1100 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

छात्रवृत्ति योजना –

म.प्र. भवन एवं निर्माण श्रमिक के दो बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना

परिचय –

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के बच्चों को शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति

योजना के उद्देश्य –

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. संनिर्माण कर्मकार छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्रा के माता पिता का संनिर्माण कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। 2. परिचय पत्र का नवीनीकरण होना आवश्यक है। 3. कर्मकार के (पति ध पत्नि दोनों के पंजीकृत होने पर भी) केवल दो ही पुत्र/पुत्रियों को सत्यापित प्रति।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक के लिये 500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1200 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 4. कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालक के लिये 1200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1700 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

म.प्र.भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

परिचय –

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मेधावी छात्र/छात्राओं को (नगद) पुरुस्कार योजना।

योजना के उद्देश्य –

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. संनिर्माण कर्मकार छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्रा के माता पिता का संनिर्माण कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। 2. परिचय पत्र का नवीनीकरण होना आवश्यक है। 3. कर्मकार के (पति/पत्नी दोनों के पंजीकृत होने पर भी) केवल दो ही पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 4. गत दो वर्ष की अंकसूची की सत्यापित प्रति। 5. गत कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। 6. अन्य मेधावी पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी।

योजना के लाभ –

1. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 750 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 2. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत बालक के लिये 750 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें है। 3. कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत बालक के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति मेघावी पुरस्कार योजना

परिचय –

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावती सहायता योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरष्कार।

योजना के उद्देश्य–

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. प्रत्येक ऐसे छात्र/छात्रायें जो 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाता है, उसे मेधावी छात्रवृत्ति दी जायेगी। 2. मंडी में लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी के विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे। 3. मंडी में लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी के बच्चे होने संबंधी प्रमाण पत्र।

योजना के लाभ–

1. कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बालक के लिये 500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 800 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1200 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 3. कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालक के लिये 1200 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1700 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना

परिचय –

निःशक्तजन छात्रवृत्ति

योजना के उद्देश्य –

निःशक्तजन वर्ग के छात्र/छात्रों को शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये।

योजना की पात्रता –

1. विद्यालय में अध्ययनरत समस्त निशक्त छात्र/छात्रायें। 2. सक्षम अधिकारी का विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता के प्रतिशत का उल्लेख हो। 3. न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत। (आय सीमा का बंधन नहीं है)

योजना के लाभ –

1. कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालक के लिये 500 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 500 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं। 2. कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालक के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष एवं बालिका के लिये 1000 रु प्रतिवर्ष प्रदान किये जातें हैं।

योजना की प्रक्रिया –

सम्बंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को एकल आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक/प्राचार्य को प्रस्तुत करना।

बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
छात्रवृत्ति योजना के बारे में समुदाय में चर्चा होना	समुदाय में यह समूह में यह चर्चा करें कि बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित करती है।
अध्ययन करना	गांव/समुदाय में यह अध्ययन करें और सूची बनाएँ कि स्कूल में कौन से बच्चे दर्ज हैं और नियमित रूप से जाते हैं? वे किस तरह की छात्रवृत्ति योजना के हक के पात्र हैं? क्या उन्हें नियमित रूप से छात्रवृत्ति मिलती है?
आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता	छात्रवृत्ति के लिए समग्र पोर्टल पर पंजीयन और पहचान क्रमांक हासिल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही बच्चों के जाति प्रमाण पत्र भी बनवाने होंगे।
अनियमित छात्रवृत्ति	यदि किन्ही बच्चों को अनियमित रूप से छात्रवृत्ति मिल रही है, तो सम्बंधित विभाग/जिला प्रशासन की प्रक्रिया से उसे नियमित करवाएं।
जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं या दर्ज होने के बावजूद अनियमित हैं।	जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं या स्कूल में दर्ज होने के बावजूद नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी इस स्थिति के कारणों का पता लगा। यह ध्यान रखें कि इन कारणों का सही पता तब ही लग सकता है, जब आप उन परिवारों और समुदाय के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे। अक्सर ऐसा होता यह है कि उन्ही परिवारों को बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का अपराधी मान लिया जाता है,
छात्रवृत्ति के मुद्दे पर ग्रामसभा का आयोजन	गांव/समुदाय में बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में ग्रामसभा में चर्चा करें और कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएँ।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य –8

सुरक्षित मातृत्व और समुदाय की भूमिका

सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

टिकाऊ विकास लक्ष्यों में से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है सुरक्षित मातृत्व की स्थिति हासिल करना और मातृ मृत्यु अनुपात को न्यूनतम स्तर पर लाना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो स्तरों पर ठोस पहल की जरूरत है। पहला स्तर है सरकारी स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत, सर्वव्यापी और गुणात्मक बनाना। इसका मतलब यह भी है कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र केवल बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मातृत्व व्यवहार में बदलाव लाने में भी उसकी अहम भूमिका है। सही समय पर सभी जांचें, सही और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, मानवीय व्यवहार, अस्पतालों में जरूरी मानव संसाधन (यानी डाक्टर, नर्स, परामर्श देने वाले, जांच करने वाले व्यक्ति) की पूरी उपलब्धता होने पर ही लोक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत मानी जा सकती है। जब समुदाय इन सेवाओं का उपयोग करेगा और कमियों को दूर करने के लिए एकजुट होकर भूमिका निभाएगा, तब बदलाव आएगा।

दूसरा स्तर है समुदाय के व्यवहार और स्वास्थ्य से सम्बंधित सामुदायिक व्यवस्था का। इस प्रायोगिक कार्य में हम समुदाय के व्यवहार और समुदाय के ताने–बाने को सकारात्मक रूप से सक्रीय करने की पहल करेंगे। वास्तव में सुरक्षित मातृत्व के लिए वास्तव में समुदाय के स्तर पर कई पहलुओं पर काम किये जाने की जरूरत है। हम उन पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक सामुदायिक पहल करेंगे।

सुरक्षित मातृत्व का मतलब क्या?

- कम उम्र में गर्भवती होना महिला के जीवन के लिए खतरे से भरा होता है। पहला प्रसव 20 वर्ष की उम्र में होना बेहतर है।
- कोई भी जटिलता या समस्या होने पर तुरंत अस्पताल जाना होगा।
- गर्भवती होने का पता चलते ही महिला का पंजीयन होना चाहिए और टिटनेस का टीका लगना चाहिए। इस अवधि में कुल टिटनेस के कुल दो टीके लगते हैं।
- शुरुआत में ही हर गर्भवती महिला का मातृ–शिशु रक्षा कार्ड बनेगा और उसमें सभी जानकारियाँ भरी जायेंगी।
- गर्भावस्था के दौरान अनिवार्य रूप से प्रसव–पूर्व चार जांचें होती हैं। आखिरी के तीन माह में गर्भवती महिला की बार बार जांच करवानी चाहिए।
- इन जांचों में यह देखा जाता है कि रक्तचाप नियंत्रण में है, गर्भ में बच्चे की स्थिति सही है, खून की कमी तो नहीं है और महिला का वजन कितना है।

- यह जरूरी है कि दूसरी–तीसरी तिमाही में महिला आयरन–फोलिक एसिड की 100 गोलियाँ यानी रोज एक गोली रात को सोने से पहले जरूर खाएं। इससे खून की कमी दूर होती है, बच्चे का विकास होता है और सुरक्षित प्रसव की संभावना बढ़ जाती है।

  खून की कमी के प्रभाव – 1} बच्चे का विकास कम हो सकता है। 2} गर्भवती महिला को झटके आ सकते हैं, जो बहुत गंभीर हो सकते है। 3} समय से पहले प्रसव हो सकता है। 4} प्रसव के बाद बच्चादानी सिकुड़ेगी नहीं और खून का बहाव जारी रह सकता है। 5} हृदयाघात हो सकता है। 6} बच्चे का वजन कम रह सकता है। 7} महिला की मृत्यु हो सकती है।

- यदि गर्भावस्था के दौरान महिला के जीवन को खतरा हो और कुछ अन्य स्थितियों में 20 सप्ताह यानी चार महीने की अवधि तक गर्भपात कराया जा सकता है। यह गर्भपात उचित और अधिकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में ही कराया जाना चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 10 से 12 किलो तक बढ़ता है। अतः उसे भूखा नहीं रहना चाहिए।
- इस अवस्था में दिन में 2 घंटे आराम करना जरूरी है।
- गर्भवती होने का पता चलते ही महिला को अपने नियमित भोजन से थोड़ा ज्यादा खाना लेना चाहिए। एक बार में ज्यादा खाने के बजाये जितना खा सकें उतना खाएं और बार–बार खाएं।
- अपने खाने में नीबू–टमाटर शामिल करें। इससे शरीर लौह तत्व आसानी से ग्रहण कर पाता है।
- गर्भावस्था के दौरान पांच मांह के बाद जरूरत पड़ने पर पेट में कीड़े खत्म करने की दवा दी जा सकती है।
- गर्भवती महिला को मलेरिया से बचाया जाना बहुत जरूरी होता है। यदि मलेरिया हो जाए तो तत्काल उसका इलाज कराया जाना चाहिए।
- यदि महिला के शरीर पर सूजन हो, तो इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।
- महिलाओं के हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, डायबिटीज, मलेरिया, हेपेटाईटिस–बी की जांच सरकारी केन्द्रों में निशुल्क होती है।
- यदि गर्भवती महिला को झटके आयें, तो उसे तत्काल डाक्टर को दिखाया जाना चाहिए।
- गर्भवती महिला के खाने में इन सभी समूहों में से एक–एक चीज रू अनाज, सब्जियां, दूध सामग्री, अंडे–मछली–माँसाहारी उत्पाद, दालों, तेल–घी आदि जरूर होना चाहिए।
- हम याद रखें कि अच्छे खाने की थाली तीन रंगों वाली होती है। यह देखिये कि अपनी थाली में कम से कम तीन रंगों का खाना उपलब्ध है या नहीं!

  कुछ खतरे के निशान हैं, जब तुरंत महिला को उचित स्वास्थ्य मिलना चाहिए –

- यदि गर्भ में भ्रूण हिल–डुल न रहा हो या उसका हिलना–डुलना महसूस न हो रहा हो,
- योनि से लाल रंग सा लिए हुए तरल पदार्थ निकले,
- पेट और सिर में दर्द हो, बुखार हो,

- पेशाब कम हो रहा हो,
- कमजोरी महसूस हो और बेहोशी आने लगे,
- **ऐसे में जिला अस्पताल या चिकित्सा महाविद्यालय में ही हो प्रसव**

  कुछ स्थितियों में प्रसव जिला अस्पताल या चिकित्सा महाविद्यालय में होना ही बेहतर है।
- यदि महिला की उम्र 18 साल से कम या 35 साल से ज्यादा है।
- पूर्व में कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी/गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलता रही है।
- वजन 35 किलो से कम या 80 किलो से ज्यादा है।
- हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है।
- खून बहने की स्थिति आई है।
- 41 सप्ताह से कम की अवधि में प्रसव हो रहा है।
- पहला या पांचवा या इससे अधिक का प्रसव है।

परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि गर्भवती महिला के साथ सही व्यवहार हो और उस पर किसी तरह का दबाव न हो। प्रसव की स्थिति और जरूरत के बारे में परिवार को तैयारी रखना होगी ताकि कोई हड़बड़ी या अप्रिय स्थिति न बने।

सुरक्षित मातृत्व से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें		
बिन्दु	**संकेत और व्यवहार**	**क्या मानते हैं?** **सही है/सही नहीं है**
1.	गर्भावस्था का पता चलते ही मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड (एम सी पी कार्ड) बनना चाहिए। इस कार्ड में महिला और बच्चे से सम्बंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकरियां और जांच के परिणाम लिखे जायेंगे। यदि इस कार्ड के हिसाब से देखभाल की जाए तो हर संकट से निपटा जा सकेगा।	सही। इस कार्ड में न केवल जांच के परिणामों के बारे में जानकारी लिखी जायेगी, बल्कि कब क्या करना चाहिए और समस्या होने पर क्या किया जाए। के बारे में भी कई बातें छपी हैं। कार्ड को केवल रखें नहीं, इसे पढ़ें भी और समझें भी।
2.	गर्भवती महिला को दो लोगों का खाना खाना चाहिए।	नहीं, यह सही नहीं है। शुरू में उन्हें 10 से 15 प्रतिशत और फिर आखिरी तिमाही में एक चौथाई ज्यादा भोजन करना चाहिए। इसके अलावा जितनी उनकी इच्छा हो।
3.	गर्भवती होने बाद पहली तिमाही में महिला को सुबह होने वाली तकलीफ असामान्य बात है।	नहीं। यह होता है और इसे कम किया जा सकता है।
4.	यदि महिला सुबह–सुबह कुछ सूखा खाना (बिस्किट या रोटी या तोस) खा ले, तो उसे उलटी में थोड़ी राहत मिल जाती है।	सही

5.	गर्भावस्था की आखिरी तिमाही में एसिडिटी के कारण पेट और छाती के निचले हिस्से में जलन होती है क्योंकि गर्भाशय बढ़ने से आमाशय/जठर दबने लगता है।	सही
6.	एक कप सादा दूध पीने या हल्का खाना खाने से पेट या छाती की जलन से आराम मिलेगा।	सही
7.	कुछ भी खाने या पीने के तत्काल बाद लेटना नहीं चाहिए थोड़ी देर बैठे रहना चाहिए।	सही
8.	यदि गर्भवती महिला का वजन 45 किलो से कम है, तो भी कोई समस्या नहीं है।	नहीं, कम वजन की स्थिति में समस्या हो सकती है।
9.	गर्भवती माँ पांचवे महीने से बच्चे का खेलना महसूस कर सकती है।	हाँ
10	गर्भवती महिला को तला हुआ, मसाले या मिर्ची वाला खाने में कोई समस्या नहीं होती है।	नहीं
11	पहले तीन महीनों में बार–बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। यह एक बड़ी समस्या है।	नहीं, यह बड़ी समस्या नहीं है।
12	गर्भस्थ के दिल के धडकने की आवाज छठे महीने में सुनी जा सकती है।	हाँ
13	पहली तिमाही में गर्भवती महिला को अन्य महिलाओं की तुलना में केवल 10 फीसदी खाना ज्यादा खाना चाहिए।	सही
14	गर्भावस्था की दूसरी–तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला को सामान्य दिनों की तुलना में एक चौथाई खाना ज्यादा खाना चाहिए।	सही
15	गर्भवती महिला को कब्ज की शिकायत होती है। इसके लिए उन्हें खूब सारी सब्जियां खाना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए।	सही
16	गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 9 से 10 किलो बढ़ता है।	सही
17	गर्भवती महिला को कोई भी दवा नुकसान नहीं करती है, उन्हें कोई भी दवा दी जा सकती है।	नहीं। कुछ दवाएं नुकसान पंहुचाती हैं।
18	माँ को दी जाने वाली कुछ दवाएं गर्भ में बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं।	हाँ। केवल डाक्टर से पूछ कर कोई भी दवा दें।
19	गर्भवती महिला को मलेरिया होना कोई गंभीर बात नहीं है।	नहीं, यह गंभीर बात है, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता है।
20	अगर गर्भवती महिला का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे सही से खाना नहीं मिल रहा है।	हाँ

21	अगर महिला की लम्बाई पौने पांच फुट से कम है, तो प्रसव जटिल हो सकता है, क्योंकि इससे उसकी श्रोणि का निचला सिरा छोटा होता है।	सही
22	गर्भवती महिला को मलेरिया की दवा देना नुकसानदायक होता है।	नहीं
23	गर्भ में बच्चे की हड्डियों का विकास माँ के खून में होने वाले कैल्शियम से होता है। यदि माँ के खून में कैल्शियम की कमी हो तो उनकी हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है। इस कारण से महिला को पीठ दर्द होता है।	सही
24	दूध, मटर, मछली, मांस और रागी से अच्छा कैल्शियम मिलता है।	हाँ
25	गर्भवस्था के छह महीने से लेकर बच्चे के छह माह का होने तक कैल्शियम की गोली लेना पड़ सकती है।	हाँ
26	गर्भावस्था के समय योनी से सफेद पानी बह सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है।	ऐसा हो सकता है। अकसर यह गंभीर नहीं होता है, परन्तु बहुत पानी जाना या कत्थई पानी जाना गंभीर बात है।
27	जब सफेद पानी के बहाव के साथ योनि में खुजली और जलन हो, तो जांच और उपचार जरूर करवाना चाहिए।	सही
28	इस अवस्था में रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) बढ़ना या सूजन आना सामान्य बात है।	नहीं, यह विषाक्तता की स्थिति है। इससे बच्चे के विकास पर गहरा असर पड़ता है।इसके कारण आँवल विकसित नहीं हो पाती है और बच्चे को जाने वाला पोषण पंहुच नहीं पाता है। इससे गर्भ में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है।
29	गर्भवती महिला के पेशाब में प्रोटीन जाना सामान्य बात है।	नहीं, यह तो खतरे का संकेत है। यदि परखनली में पेशाब को गरम करने से ऊपर दही जैसी परत जमें तो यह प्रोटीन जाने का संकेत हो सकता है।
30	जब उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) होता है, तो महिलाओं को झटके के दौरे पड़ते हैं।	हाँ
31	खाना खाने के बाद गर्भवती महिला को कम से कम दो घंटे आराम करना चाहिए।	सही
32	यदि छह महीनों में रक्त स्राव हो, तो यह गर्भपात का संकेत हो सकता है।	सही

33	यदि सातवें महीने में या इसके बाद रक्त स्राव हो तो कोई समस्या नहीं है।	नहीं, यह आंवल के सही जगह पर नहीं होने या समय से पहले अलग होने के कारण होता है। ऐसे में तत्काल जांच और उपचार होना चाहिए।
34	गर्भावस्था में माँ को मलेरिया होने से गर्भ में बच्चे पर कोई असर नहीं पढता है।	नहीं, इससे बच्चे का विकास रुकता है। मलेरिया के कारण गर्भपात होने या समय से पहले प्रसव की संभावना ज्यादा होती है।
35	मलेरिया के कारण खून की कमी हो जाती है।	हाँ, मलेरिया के कारण खून के लाल कण कम हो जाते हैं। जिससे शरीर के सभी हिस्सों तक आक्सीजन नहीं पंहुच पाती है।
36	मलेरिया की दवा के कारण गर्भपात हो जाता है।	नहीं, मलेरिया की कारण महिला के शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जो बच्चे को प्रभावित करता है। इसके अलावा नाल में भी बाधा पैदा हो जाती है, जिससे बच्चे को आक्सीजन नहीं मिल पाती है। वास्तव में इसके कारण मलेरिया में बच्चे की मृत्यु होती है।
37	यदि डायबिटीज, हृदय रोग या थायरायड की समस्या हो तो महिला की स्थिति संवेदनशील हो जाती है।	सही
38	दिल का अनियंत्रित ढ़ग से धड़कना, कमजोरी, थकान, पैरों में सूजन या चक्कर आने का मतलब है खून की कमी या एनीमिया।	सही
39	गर्भवस्था में आयरन–फोलिक एसिड की एक सौ गोलियाँ खाना होती है। यदि इससे पेट में जलन हो या जी–मिचलाए या उल्टियां हों तो इन्हें खाना बंद कर देना चाहिए।	नहीं, वास्तव में खाना खाते हुए बीच में या खाने के बाद आईएफए की गोलियाँ खाना चाहिए। सबसे अच्छा है रात के खाने के थोड़ी देर बाद गोली खाकर सो जाना।
40	मुनगा/सहजन के पत्ते, लाल भाजी, फूल गोभी के पत्ते, पालक की भाजी लोहे के बर्तन में पका कर खाने से लौह तत्वों की कमी पूरी होती है। अच्छा होगा कि इन्हें पकाते समय नीबू या टमाटर भी मिला लें।	सही
41	पलकों के भीतर, नाखूनों में, जीभ पर, होंठों के भीतरी हिस्से में लाली कम होने या सफेदी ज्यादा होने का मतलब है खून की कमी।	सही
42	चाय से लौह तत्वों को पचाना कठिन हो जाता है।	सही

43	यदि गर्भवती महिला रोज सुबह अंगूठे के बराबर गुड़ या नारियल खाए तो यह अच्छी बात है।	सही
44	गर्भावस्था का मतलब बीमार होना नहीं है। ऐसे में गतिशील बने रहना चाहिए।	सही। यदि कोई समस्या हो तभी गतिशीलता रोकना चाहिए।
45	गर्भावस्था के आखिरी छह महीनों में हर महीने एक किलो वजन बढ़ना चाहिए।	सही
46	गर्भावस्था का पता चलते ही और फिर इसके बाद एक महीना छोडकर टिटनेस का टीका लगवाना।	सही
47	गर्भावस्था में ज्यादातर समय खाली पेट रहना अच्छा होता है।	नहीं
48	महिला को प्रसव/जनने के बाद दो या तीन दिन तक खाना न देना।	नहीं
49	गर्भवती महिला को चना, मटर, मछली या अंडा नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे के शरीर पर छाले और दाग पड़ जाते हैं।	नहीं
50	गर्भवस्था के दौरान ये बार–बार और जरूर जांचना होता है – महिला का वजन, खून की कमी, रक्तचाप और उदर या पेडू की जांच।	सही
51	प्रसव के बाद महिला को रोटी या चावल केवल नमक और लहसुन से खिलाना चाहिए ताकि फूला हुआ शरीर सूख जाए।	नहीं। महिला को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए जिसमें तला हुआ या मसालेदार सामग्री न हो।
52	प्रसव के बाद एक साल तक महिला को मांसाहारी भोजन नहीं दिया जा सकता है।	नहीं, ऐसा नहीं है।
53	गर्भवती महिला को दिन भर में आठ से दस घंटे सोना/आराम करना चाहिए।	सही

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर गर्भवती महिला को बिना किसी शुल्क के निम्न सेवाएं पाने का पूरा अधिकार है –

- बिना शुल्क के सामान्य तरीके से या आपरेशन से प्रसव
- बिना किसी शुल्क के दवाएं
- बिना किसी शुल्क के जांचें
- स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती रहने के दौरान बिना किसी शुल्क के भोजन
- बिना किसी शुल्क के रक्त
- उपभोक्ता शुल्क से मुक्ति
- प्रसव के लिए घर से स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा
- प्रसव के बाद घर तक परिवहन की मुफ्त सुविधा
- यदि किसी और अस्पताल भजा जाना हो तो मुफ्त रेफरल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
गांव/समुदाय में मातृत्व स्वास्थ्य से सम्बंधित व्यवहार क्या हैं?	हम अलग–अलग समूहों में समूह चर्चा करके यह जानने की कोशिश करें कि मातृत्व स्वास्थ्य (यानी शादी की उम्र, गर्भवती होने की उम्र, गर्भावस्था से सम्बंधित परिवार–समाज के व्यवहार, इस समयावधि में खान–पान, महिला के रहने की व्यवस्था, रीति–रिवाज आदि) से सम्बंधित व्यवहार कौन–कौन से हैं? यह मत मापिये कि वे सही हैं या गलत! निरपेक्ष होकर जानने की कोशिश कीजिये।
नियमित जांच	गर्भवती महिला की जांच में महत्वपूर्ण है – वजन लिया जाना, ब्लड प्रेशर की जांच, पेडू (बच्चे की गर्भ में स्थिति) और खून की जांच।
गर्भवती महिला के लिए भोजन	यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। गर्भवती महिला को इस अवस्था में पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। समुदाय में यह जानने की कोशिश करें कि वहां इस अवस्था में भोजन व्यवहार क्या है? आपकी पहल हो कि इस सन्दर्भ में व्यवहार बेहतर हो।
दूसरे स्तर पर अपने लिए यह विश्लेषण करें कि सुरक्षित मातृत्व के नजरिए से वह व्यवहार सही है या नहीं?	पहली चरण से हासिल जानकारियों का विश्लेषण करें।
जब कोई पारिवारिक या आर्थिक समस्या होय	संभव है कि किसी महिला के परिवार में किन्ही कारणों से सही या पूरी देखभाल की व्यवस्था न बन पा रही हो, तब समुदाय के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनायें कि महिला तनाव में न आये और उन्हें आराम का पूरा मौका मिल सके।
विभिन्न पहलुओं पर चर्चा	समुदाय के छोटे समूह के साथ मिलकर उन बिंदुओं पर चर्चा करें, जो विश्लेषण से उभर कर आये हैं। मसलन यदि कम उम्र में शादी हो रही है, तो इस स्थिति के बारे में बात करें। कम उम्र में गर्भवती होने से जुड़े चुनौतियों के बारे में बात करें। यह स्थापित करने की कोशिश करें कि गर्भावस्था में महिलाओं को विशेष संरक्षण की जरूरत होती है और उनके साथ भेदभाव न हो।
मातृत्व स्वास्थ्य से सम्बंधित व्यवहार में बदलाव की पहल	इस मैदानी कार्य पुस्तिका में हमने मातृत्व स्वास्थ्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। उन बिंदुओं के आधार पर देखें कि वास्तविक सामुदायिक व्यवहार क्या है? उन्हें बदलने की जरूरत है क्या?
बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना	यह सुनिश्चित करें कि हर गर्भवती महिला का तत्काल पंजीकरण हो, उनका मातृ–शिशु रक्षा कार्ड बने, टीकाकरण हो, आंगनवाड़ी से नियमित रूप से पोषण आहार मिले, चार प्रसव पूर्व जांचे हों और उन्हें स्वास्थ्य से सम्बंधित सभी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से दी जाएँ,
गंभीर स्थिति या आपात कालीन स्थिति के लिए तैयारी	जब नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच होगी, तब यह पता चल जाना चाहिए कि किसी महिला का प्रसव जटिल होने की संभावना तो नहीं है। यदि ऐसा हो, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिल कर उनके सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की तैयारी पहले से रखें।
जननी सुरक्षा योजना	जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करना है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 9

नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल

सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

जन्म के तत्काल बाद की जिंदगी बहुत संवेदनशील होती है। मध्यप्रदेश में जब 1000 जीवित जन्म होते हैं, उतने समय में 28 दिन से कम उम्र के 42 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों में यह कहा गया है कि हमें बाल मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाना है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से सबसे बड़ी संख्या एक महीने से कम उम्र के बच्चों की होती है। हम यदि नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं तब बहुत जरूरी है कि –

- कम उम्र में शादी न हो,
- लड़कियां कम उम्र में गर्भवती न हों,
- गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व जांच हो,
- गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार मिले,
- आयरन–फोलिक एसिड गोलियों का उपयोग हो,
- सुरक्षित प्रसव हो,
- सभी तरह की जानकारियां और परामर्श मिले,
- नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान मिले,
- संक्रमण से सुरक्षा जरूरी है,

वास्तव में समुदाय के स्तर पर कई कोशिशें की जा सकती हैं, जिनके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। इस प्रायोगिक कार्य पुस्तिका में आपको नवजात शिशु स्वास्थ्य और उनके भोजन से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। यह याद रखें कि गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए भारत *सरकार और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हर जिले में बीमार नवजात शिशुओं के लिए विशेष इकाई संचालित है।*

क्र.	संकेत और व्यवहार	क्या मानते हैं?
		सही है / सही नहीं है
1.	जन्म से 28 दिन की अवधि तक के बच्चे नवजात शिशु कहलाते हैं।	सही
2.	बच्चों की सबसे ज्यादा मृत्यु जन्म के बाद के पहले दिन में और पहले सप्ताह में होती हैं।	सही
3.	जन्म के बाद बच्चे को दो से तीन दिन नहलाना नहीं चाहिए।	सही
4.	जन्म के तुरंत बाद और एक घंटे के अंदर स्तनपान (खीस/चीका पिलाना) करना जरूरी है।	सही

5.	सबसे पहले स्तनपान के पहले स्तन का पीला–गाढ़ा दूध फेंक देना चाहिए।	नहीं।
6.	दस्त होने पर माँ का दूध/स्तनपान बंद करवा देना।	नहीं।
7.	दस्त होने पर छह महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को दही–चावल, चावल का माड खिलाना उचित है।	सही है। बच्चे को दस्त होने पर थोड़ा–थोड़ा खिलाते–पिलाते रहना चाहिए।
8.	छह महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे के खाने में एक या दो चम्मच खाने का तेल मिला देने से उसका वजन बढ़ता है।	सही है।
9.	नवजात शिशु को माँ की छातीध्पेट से दूर रखना सही है। नहीं, नवजात बच्चे को माँ से सटा कर ही रखना चाहिए।	सही है।
10.	नवजात शिशु के कपडे से लपेट कर रखना चाहिए।	सही है।
11.	जिस बच्चे का जन्म के समय वजन 1800 ग्राम से कम होता है, वह खतरे में होता है।	सही है।
12.	जन्म के समय बच्चे के शरीर पर जो सफेद तरल/गीला पदार्थ लगा होता है, वह बच्चे को सुरक्षित रखता है और उसे धोना नहीं चाहिए।	सही है।
13.	यदि मौसम बहुत गरम हो तब भी बच्चे को मोटे कपडे में लपेट कर रखना चाहिए।	नहीं। तब बच्चे को कम कपड़ों में लपेटना या सुलाना चाहिए।
14.	जब बच्चे को स्तनपान करना हो, तब माँ को अपने हाथ धोने की जरूरत नहीं होती है।	स्तनपान कराने से पहले माँ को भी हाथ धोना चाहिए।
15.	यदि शिशु बहुत कमजोर है और स्तनपान न कर पा रहा हो तो उसे माँ से स्तन से कटोरी में दूध निकाल कर पिलाना चाहिए।	हॉ, यह सही है।
16.	यदि नवजात बच्चे का वजन दो किलो से कम हो तो भी बच्चे को नहला देना चाहिए।	नहीं, जब तक बच्चे का वजन दो किलो न हो जाए, तब तक उसे नहीं नहलाना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे को वैसे भी दो से तीन दिन नहीं नहलाना चाहिए।
17.	नवजात बच्चों को दूध तभी पिलाना चाहिए, जब बच्चा रोये अन्यथा नहीं।	छोटे बच्चों को नींद बहुत अच्छी लगती है। वे बीस घंटे तक सोते हैं। ऐसे में उन्हें सोते हुए उठा कर दूध पिलाना चाहिए। दूध पिला कर अपने कंधे पर लेकर डकार दिलाना चाहिए ताकि वह असहज न हो और उसे उलटी न हो।
18.	यदि बच्चे को बुखार हो तो उसे लेकर माँ को आग के पास बैठना चाहिए।	नहीं

19.	यदि बच्चे को बुखार हो तो उसे अच्छे से ओढ़ाकर बंद कमरे में रखना चाहिए।	नहीं, ऐसे में बच्चे को कम कपड़े उढ़ाना चाहिए और कमरे की खिड़की से सामान्य हवा आने देना चाहिए।
20.	यदि बहुत गर्मी हो तो छह माह से कम उम्र के बच्चे को भी पानी पीला देना चाहिए।	नहीं, छह महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। माँ के दूध में तीन–चौथाई हिस्सा तो पानी ही होता है। यदि ऐसा लगे कि बच्चे को प्यास लगी है, तब भी उसे माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए।
21.	नवजात शिशु को मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।	हाँ
22.	नवजात शिशु को बीमार लोगों के पास रख सकते हैं।	नहीं, नवजात बच्चे को बीमार लोगों से दूर रखे।
23.	छोटे बच्चे को हवा में उछाल कर खेलना चाहिए। इससे बच्चा बहादुर बनता है।	छोटे बच्चों को यूँ हवा में नहीं उछालना चाहिए, न ही ऐसे हिलाना चाहिए जिससे उनकी गर्दन तेजी से आगे पीछे हो। यह बहुत खतरनाक है।
24.	किसी भी स्थिति में नवजात शिशु को शहद या गुड का पानी नहीं देना चाहिए।	बिलकुल सही। छह महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए।
25.	यदि बच्चा सांस खींच कर रो रहा है और उसकी मुट्ठी भिंची हुई है, तो इसका मतलब है उसे कोई तकलीफ है।	यह सही है।
26.	दो महीने के बच्चे से बातें नहीं की जा सकती हैं।	बिलकुल की जा सकती है।
27.	यदि माँ बीमार है और कोई दवा खा रही है तो उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए।	ऐसा नहीं है। सामान्य उपचार ध बीमारी की स्थिति में इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी गंभीर बीमारी (एचआईवी या कैंसर या टीबी) की स्थिति में डाक्टर से सलाह लेना चाहिए।
28.	नवजात शिशु की नाल/नरा/नाल पर शुद्ध घी लगा देना चाहिए।	नहीं, कुछ नहीं लगाना चाहिए।
29.	गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में एक चौथाई ज्यादा भोजन खाना चाहिए।	आमतौर पर आखिरी तिमाही में इतना भोजन जरूरी होता है। पहली तिमाही में भोजन की मात्रा 10 से 15 फीसदी बढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण यह भी है कि गर्भवती महिला की स्थिति क्या है, उन्हें क्या और कितना खाने की इच्छा है? बेहतर होगा कि थोड़ी–थोड़ी मात्रा में बार–बार खाया जाए।
30.	प्रसव के बाद गर्भाशय में थोड़ा दर्द महसूस होता है। खासकर बच्चे को दूध पिलाने पर यह दर्द शुरू होता है, क्योंकि इससे गर्भाशय सिकुड़ने लगता है।	सही

31.	यदि नवजात शिशु माँ का दूध न पी पाए, रोये नहीं, उसके शरीर पर पीलापन हो, उसकी टट्टी में खून दिखे या वह बहुत सुस्त लगे तो उसे उपचार के लिए ले जाना जरूरी है। ये कुछ खतरे के निशान हैं।	सही
32.	गर्भ में बच्चा हमारी–आपकी बातें सुनता है।	सही
33.	छह महीने की उम्र से खाना खिलाना शुरू कर देने से बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है।	नहीं
34.	बच्चे को डीपीटी का टीका लगने पर बुखार आ सकता है, इसीलिए टीके के बाद बुखार कम करने के लिए दवा दी जाती है। यह दवा नवजात शिशु को पानी से दी जा सकती है।	नहीं, वह दवा माँ का दूध चम्मच में निकाल कर, उसमें घोल कर दी जाती है।
35.	प्रसव के बाद माँ को देखभाल और संवेदनापूर्ण व्यवहार की बहुत जरूरत होती है ताकि वह तनाव में न आये।	सही
36.	अगर नवजात शिशु को ताप हो या उसे सांस लेने में जोर लगाना पड़ रहा हो, तो तो उसकी सिकाई करना चाहिए।	नहीं, उसे तत्काल बिना देरी किये अस्पताल या चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।
37.	नवजात शिशु की देखभाल में पुरुषों की कोई भूमिका नहीं होती है।	नहीं, नवजात शिशुओं की देखभाल में पुरुषों की बहुत सक्रीय, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे परिवार का वातावरण सहज बनाये रख सकते हैं। उन्हें बच्चे और माँ की सेहत पर नजर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर सही सहयोग किया जा सके। पुरुषों की अच्छी भूमिका से से बच्चे के भावनात्मक विकास में मदद मिलती है।
38.	नवजात शिशु के घर में धूम्रपान या शराब का उपयोग न किया जाना बेहतर होता है।	सही
39.	बेहतर होता है यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा पहले, तीसरे और सातवें दिन नवजात शिशु को घर जाकर देखें। इसके बाद सप्ताह में कम से कम एक बार धात्री महिला और बच्चे को देखना चाहिए।	सही
40.	शुरू में माँ के स्तनों में दूध इतना कम होता है कि वह बच्चे की भूख नहीं मिटा पाता है, इसलिए बच्चा रोता है।	यह सही नहीं है। माँ जितना स्तनपान बच्चे को करवाएगी, उसके स्तनों में उतना दूध उतरता जायेगा। वास्तव में जितनी जरूरत बच्चे को होती है, उसे उतना दूध मिल जाता है। यह देखना जरूरी है कि बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाया जा रहा है या उसे कोई और तकलीफ तो नहीं है।

41.	प्रसव के बाद स्तनों में जो द्रव या दूध आता है, वह तो नौ महीने की जमी हुई गंदगी रही है, इसीलिए उसका रंग पीला होता है और वह गाढ़ा गर्व होता है।	यह सही सोच नहीं है। सबसे पहले जो दूध माँ के स्तनों में आता है, उसमें कई पोषक तत्त्व होते हैं, जिनके कारण उसका रंग पीला होता है। यह शुरू के दो–तीन दिन के लिए ऐसा दीखता है। फिर सफेद दूध आने लगता है।
42.	जन्म के बाद का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए औषधि का काम भी करता है।	जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाने से बच्चे को पहले काली–हरी टट्टी आती है। वास्तव में माँ का वह दूध उसकी आँतों की सफाई करता है।
43.	जिन महिलाओं के स्तन छोटे होते हैं, उनमें दूध कम बनता है।	यह सही नहीं है। स्तनों के आकार से दूध बनने का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। दूध तो स्तनों की दुग्ध ग्रंथियों से बनता है। ये ग्रंथियां सबमें एक समान होती हैं। बच्चा जब तक दूध पीता है, तब तक दूध बनता है। जब वह दूध पीना बंद कर देता है, तब स्तनों में दूध बनना बंद हो जाता है।

छोटे बच्चों का भोजन (आईवायसीएफ)

1. जन्म के समय बच्चे का वजन कम से कम 2.500 किलोग्राम होना चाहिए।
2. बच्चे को जन्म के 48 से 72 घंटे तक बिलकुल नहीं नहलाना चाहिए। इससे उसे ठण्ड लग सकती है और तापमान में उतार–चढाव से उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके शरीर पर जन्म के समय सफेद तरल पदार्थ लगा होता है, वह बच्चे की सुरक्षा के लिए कवच का काम करता है। उसे गंदगी न मानें।
3. प्रसव चाहे सामान्य हो, चाहे आपरेशन से हर स्थिति में जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात शिशु को माँ का दूध (स्तनपान) मिलना चाहिए।
4. नवजात शिशु के जन्मर के तुरंत बाद उसे मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए, इससे मां को प्रसव जनित रक्तस्राव बंद हो जाएगा। साथ ही आंवल भी जल्दी बाहर आ जाता है। रक्तस्राव जल्दी बंद होने से प्रसूता के शरीर में अगर खून की कमी हो तो वह भी जल्दीी दूर होगी।
5. छह महीने की उम्र तक बच्चों को माँ के दूध के अलावा सामने पानी, गुड़ मिला पानी, शहद या ऊपरी दूध नहीं देना चाहिए। इससे बच्चा बीमार और कमजोर होता है। हर माह शिशु का वजन लेकर उसकी वृद्धि निगरानी भी करवाते रहें।
6. छह महीने का होने तक एक दिन में बच्चे को 8 से 10 बार स्तनपान कराया जाना चाहिए।
7. एक बार में शिशु को एक तरफ के स्तन से ही तब तक दूध पिलाएं, जब तक उसका पेट पूरा न भर जाए और वह दूध पीना छोड़ न दे। दोनों स्तशनों से एक बार में स्तनपान कभी न कराएं। स्तनपान के दौरान आखिर के दूध में वसा की मात्रा शामिल होती है, जिससे शिशु का वजन बढ़ता है। इसीलिए शिशु को एक बार में एक स्तनपान से पूरा दूध पिलाना चाहिए।

दूसरी बार का स्तनपान दूसरे स्तन से कराएं। इससे बच्चे को पूरा पोषण मिलता है और उसे पेट दर्द–गैस की समस्या का कम से कम सामना करना पड़ेगा।

8. यह देखें कि बच्चा केवल निपल/चुचुक (स्तन का अगला भाग) ही तो उसके मुंह में नहीं है। स्तनपान कराते समय स्तन का आगे वाला काले या गहरे रंग का पूरा हिस्सा बच्चे के मुंह में होना चाहिए।

9. स्तनपान कराते समय भी पूरी साफ सफाई जरूरी है। माँ के स्तन, हाथ, कपड़े और बैठने की जगह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।

10. माँ से अच्छा व्यवहार हो, उन्हें खुश और चिंतामुक्त रखना परिवार की जिम्मेदारी है। यदि माँ तनाव में रहेगी, तो बच्चे से उसका रिश्ता प्रभावित होगा और वह सही ढंग से पूरा स्तनपान नहीं करा पाएगी।

11. नवजात शिशु को हमेशा माँ के करीब रखा जाना चाहिए। छोटा बच्चा माँ के बिलकुल करीब रहकर सुरक्षित और अपनापन महसूस करता है।

12. यदि छह माह से छोटे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो या फिर वह कम वजन की श्रेणी में आ गया हो तो उसे अस्पताल या पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाना चाहिए।

13. नवजात शिशु को पीलिया हो जाए तो उसके पंजे और तलवे का रंग पीला दिखेगा। इसके साथ ही अगर वह मां का दूध पीने में असमर्थ हो, यदि वह रो न रहा हो, सांस तेज चल रही हो, बुखार–सर्दी–जुकाम हो, आँखों से पानी या कीच आ रहा हो या उलटी–दस्त हों, तो उसे तत्काल डाक्टर को दिखाना चाहिए। देरी बिलकुल न करें।

14. बच्चा कम वजन का हो, या बीमार हो, तब भी उसे माँ का दूध मिलते रहना चाहिए।

15. यदि माँ को सर्दी–जुकाम–बुखार की सामान्य स्थिति वाली बीमारी हो, तब भी माँ को बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए।

16. सही स्तनपान होने से बच्चा बीमार नहीं पड़ता है और आगे भी उसके एक स्वस्थ व्यक्ति बनने की ज्यादा संभावना ज्यादा होती है।

17. छह माह का होने तक बच्चे को सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाईटिस–बी के टीके लग जाने चाहिए। इसके साथ ही पोलियो की दवा भी जरूरी है।

18. जन्म के बाद जल्दी–से–जल्दी बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवा लेना चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए।

19. बच्चों को बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद बाल आहार, बोलतबंद दूध और चूसनी बिल्कुणल नहीं देनी चाहिए। इससे बच्चे हमारे घरों में उपलब्ध भोजन में रूचि खो देते हैं। सबसे बेहतर है माँ का दूध और घर में घुटी हुई खीर या खिचड़ी।

20. छह माह की उम्र का होते ही बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यह बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। इसमें देरी न करें।

21. बच्चे को एक दिन में 4 से 5 बार एक–एक कटोरी खाना खिलाना चाहिए। खाना इतना नरम और पतला हो कि वह प्लेट में डालने से "फैले" पर "बहे" नहीं।

22. ऊपरी आहार में तेल–घी, मौसम में मिलने वाली सब्जियां, स्थानीय रूप से उपलब्धप मौसमी फल, कंद, फलियाँ, मूंगफली जैसे दाने, दूध, अंडे जैसी सामग्री का इस्तेमाल अच्छा होता है। बच्चों के विकास के लिए अच्छा और सही भोजन जरूरी है।

23. ऊपरी आहार के साथ स्तनपान तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक बच्चा "दो साल" का न हो जाए।

24. बच्चों को गोद में लेने या खाना खिलाते समय, हर बार साफ पानी से हाथ जरूर धोना चाहिए। इससे बच्चे को संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है।

25. छह माह से ज्यादा उम्र के बच्चे को यदि दस्त हों, तो उसे ओआरएस का घोल पिलाते रहना चाहिए। ओआरएस का पैकेट आशा के पास उपलब्ध होता है।

ध्यान रखने वाली बातें –

1. जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात शिशु को मां का दूध मिलना चाहिए।
2. छह माह या 180 दिन का होने तक नवजात शिशु को पानी भी न दें। उसे केवल मां का दूध ही पिलाएं।
3. नवजात के 180 दिन का होने के बाद मां के दूध के साथ अर्द्ध ठोस आहार और साफ पेयजल उपलब्धि कराएं।
4. बच्चे के दो साल की उम्र का होने तक मां का दूध और ऊपरी आहार देते रहें।
5. बच्चे या मां को मामूली बीमारी होने पर बच्चे को स्तनपान बंद न कराएं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जन्म के बाद 30 दिनों की अवधि में नवजात शिशुओं को निम्न स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान किये जाने का प्रावधान है –

- मुफ्त उपचार
- बिना किसी शुल्क के दवाएं
- बिना किसी शुल्क के जांचें
- बिना किसी शुल्क के रक्त
- कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं
- उपचार के लिए घर से स्वास्थ्य केंद्र तक के लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन
- यदि उपचार के लिए किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल तक भेजा जाना हो, तो उसके लिए बिना किसी शुल्क परिवहन

नवजात शिशु स्वास्थ्य और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
कुछ बुनियादी पहलुओं पर गाँव/समुदाय की स्थिति को समझने की कोशिश	शिशु स्वास्थ्य और उसके जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है कि कम उम्र में शादी न हो और कम उम्र में गर्भ न ठहरे। अपने कार्य क्षेत्र में यह पता करें कि वहां शादी की उम्र क्या है? इसके बाद उस पर चर्चा भी करें।
यह जानना कि गांवध्समुदाय में प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल से सम्बंधित व्यवहार कौन कौन से हैं?	यह एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिये कि आपके कार्यक्षेत्र में प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल (जैसे माँ से दूर रखा जाना, माँ को अलग रखा जाना, जन्म के तत्काल बाद माँ का दूध न पिलाया जाना, स्तनपान के स्थान पर पानी, शहद, गुड का पानी, ऊपरी दूध दिया जाना या कोई और व्यवहार) से सम्बंधित व्यवहार कौन कौन से हैं? फिर यह सूची बनाईये कि कौन से व्यवहार बदले जाने की जरूरत है और उनके लिए चर्चा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा।
गर्भावस्था के दौरान महिला को स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार मिलना जरूरी है।	हर गर्भवती महिला का पंजीयन हो, मातृ–शिशु रक्षा कार्ड बने और उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच जांच हो। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र से उन्हें नियमित रूप से पोषण आहार मिलना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला का मातृ–शिशु रक्षा कार्ड बने और उनकी स्वास्थ्य जांच हो। उन्हें उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में विस्तार के जानकारी दी जाना चाहिए।
गर्भावस्था के दौरान महिला को पर्याप्त खाना और आराम का अवसर मिलना चाहिए।	आपको यह देखना है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, जिनके कारण आपके कार्यक्षेत्र में उन्हें पर्याप्त पोषण युक्त भोजन और आराम नहीं मिल पाता है। पंचायत और समुदाय के साथ मिल कर यह सुनिश्चित करें कि वह परिवार अभाव में न रहे।
सुरक्षित प्रसव	मातृ–शिशु रक्षा कार्ड और नियमित स्वास्थ्य जांच से यह पता चल जाता है कि प्रसव सामान्य होगा या जटिल होगा। इसके मुताबिक सुरक्षित प्रसव के लिए पहले से तैयारी रखना जरूरी होगा।
प्रसव के बाद एक घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना	यह एक अनिवार्यता है कि जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को माँ का पहला गाढ़ा दूध मिले। प्रसव सामान्य हुआ हो, चाहे आपरेशन से, जल्दी स्तनपान करवाना जरूरी है।
नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए हमने इस पुस्तिका में कई बिंदुओं पर चर्चा की है, उनके मुताबिक बच्चे के देखभाल सुनिश्चित करना चाहिए।	सभी बिंदुओं, जैसे जन्म के बाद कम से कम 2–3 दिन बच्चे को नहलाया नहीं जाना चाहिए, पर ध्यान दें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 10

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक पहल

हमारी भूमिका

बच्चों के सही विकास, कुपोषण से बचाने, पूरा टीकाकरण कराने, बीमारियों के इलाज में मदद करने और बाल मृत्यु दर को सबसे निम्न स्तर पर लाने के मकसद से एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गयी थी। इसका क्रियान्वयन गांव/बस्ती/शहर में आंगनवाड़ी केंद्र के जरिये किया जाता है।

अपने यहाँ जो निर्देश हैं, उनके मुताबिक हर बसाहट में एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। छोटे बच्चों के सही विकास के लिए इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का व्यवस्थित ढंग से सञ्चालन होना बहुत जरूरी है। इसमें हम, समुदाय के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक बार फिर से हमें यह याद कर लेना चाहिए कि एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम केवल पोषण आहार वितरण का काम नहीं करता है। यह कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए जरूरी सेवाएं देने के लिए खड़ा किया गया कार्यक्रम है।

हर बच्चे और सभी बच्चों के लिए जरूरी है यह कार्यक्रम

100 में से लगभग 40 बच्चे आंगनवाड़ी कार्यक्रम से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि वे बहुत जरूरी सेवाओं, प्रारंभिक देखरेख और विकास के अवसरों से भी वंचित हो रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आंगनवाड़ी के प्रति कुछ भ्रम और मिथ्या धारणाएं बन रही हैं। हमें उन्हें बदलने की कोशिश करना है।

आप जरा सोचिये कि क्या पोषण की जरूरत आज समाज के केवल एक ही तबके के बच्चों को है या सभी बच्चों को पोषण का समानता के साथ अधिकार मिलना चाहिए?

1. क्या टीकाकरण केवल एक ही तबके के बच्चों के लिए जरूरी है या सभी बच्चों का समानता के साथ टीकाकरण जरूरी है?
2. क्या समाज के किसी एक या दो तबकों के बच्चों की वृद्धि की जांच के लिए वृद्धि निगरानी (बच्चों का वजन लिया जाना) होना जरूरी है या सभी बच्चों की वृद्धि निगरानी जरूरी है?
3. क्या किसी खास तबके के बच्चों को ही स्कूल पूर्व शिक्षा की जरूरत है, बाकी बच्चों के इसकी जरूरत नहीं है?
4. बस्ती या गांव में कोई भी बच्चा बीमार हो सकता है और किसी भी बच्चे की बीमारी गंभीर हो सकती है ऐसे में क्या किसी एक तबके के बच्चों को स्वास्थ्य की सन्दर्भ सेवाओं का हक मिलना चाहिए या सभी बच्चों को यह हक मिलेगा?
5. समाज के किसी एक या दो तबकों को ही स्वास्थ्य और पोषण से सम्बंधित जानकारियाँ और सलाह मिलना चाहिए या फिर सभी को समान रूप से स्वास्थ्य–पोषण की जानकारियों और सलाह का अधिकार है?
6. अगर आप यह कहते हैं कि – हाँ एक या दो तबकों को ही ये अधिकार हैं, तब तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है!

लेकिन अगर अपन यह मानते हैं कि सभी बच्चों को समानता से उनकी उम्र की जरूरत के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए, तब हमें कुछ बहुत जरूरी कोशिशें करने की जरूरत है।

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम क्या है?

देश की जनसंख्या में 14 प्रतिशत हिस्सा छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है और इन बच्चों के विकास और पोषण के लिए संचालित होने वाली यह एकमात्र किन्तु दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।

किसके लिए है यह योजना – छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे, हर गर्भवती–धात्री महिला और हर किशोरी बालिका के लिए।

आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक मापदण्ड	
क्र.क्षेत्र	**निर्धारित आवश्यक जनसंख्या**
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र	400से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र
आदिवासी क्षेत्र	300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र	150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
आदिवासी क्षेत्र/मजरे/टोले	150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
जिन झुग्गी–बस्तियों तथा गावों में 6 वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे हों और यदि वहां पर कोई आंगनवाड़ी नहीं है तो वहां मांग करने पर तुरन्त, 3 महीने के अन्दर, आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाए। (13 दिसम्बर 2006 का आदेश)	

क्या है यह योजना – यह योजना 1975में शुरू की गई जिसमें बच्चों को विभिन्न लाभ एकीकृत ढंग से मिल सकें। सभी योजनाओं का माध्यम आंगनबाड़ी केन्द्र होगा। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों के सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की ठोस नींव डालना।
3. बच्चों की मौतों, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की परिस्थितियों को बदलना।
4. बच्चों के विकास के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के बीच नीतियों एवं क्रियान्वयन के स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
5. स्वयं की एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास सम्बन्धी जरूरतों के मद्देनजर सामुदायिक शिक्षा के जरिये महिलाओं की क्षमता का विकास करना।

कुछ व्यवहारिक पहलू

- इस योजना में 6 साल तक के बच्चों को पोषण आहार, स्वास्थ्य सुविधा और पढ़ाई व गर्भवती–धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण आहार उपलब्ध करवाया जाएगा।

- 6 साल तक के बच्चों को प्रतिदिन 500 कैलोरी और 12–15 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन दिया जाएगा/ नये नियमों के अनुसार गर्भवती और धात्री (बच्चे को दूध पिलाने वाली) माताओं को प्रतिदिन 600 कैलोरी और 18–20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाएगा।
- नये नियमों के अनुसार कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी व 20–25 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाएगा।
- योजना की सुविधाएं पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सुविधाएं और अनौपचारिक शिक्षा आदि।
- अब देश के हर गांव, झुग्गी बस्ती और बसाहट में एक आंगनवाड़ी केन्द्र होना अनिवार्य है।
- गांव में आंगनवाड़ी खोलने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बसाहटों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस योजना में गरीबी की रेखा या अन्य किसी भी मापदण्ड का पालन नहीं किया जायेगा बल्कि हर बच्चा, हर गर्भवती–धात्री महिला और हर किशोरी बालिका आंगनवाड़ी की सेवाएं प्राप्त करने की हकदार है।

  आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 44 वर्ष की उम्र होनी चाहिये। साथ ही कार्यकर्ता जिस गांव में आंगनवाड़ी है उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन में अनुसूचित जाति और अन्य वंचित समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभागीय आदेश क्र. –1–13/2010–सीडीआई, अक्तूबर 18, 2010)

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की सेवाएं

1. **पूरक पोषण आहार** – 6 वर्ष से कम आयु के गरीब बच्चों, गर्भवती व धात्री (दूध पिलाने वाली) माताओं तथा किशोरी बालिकाओं की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वे किया जाता है वर्ष में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है।
2. **स्वास्थ्य की जाँच** – सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवष्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।
3. **संदर्भ सेवाएं** – स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर जरूरी होने पर महिलाओं और बच्चों को विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी या जिलास्तरीय चिकित्सालय में भेजा जाता है।
4. **टीकाकरण** – सभी आंगनवाडियों में प्रतिमाह सप्ताह में कोई एक दिन टीकाकरण के लिए तय रहता है। उपरोक्त दिनों में ए.एन.एम. द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है तथा उसी समय हितग्राहियों के स्वास्थ्य की जाँच भी की जाती है।
5. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा** – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी घरों में स्वयं जाकर हितग्राहियों के स्वास्थ्य की जाँच एवं उन्हें संतुलित भोजन आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

6. **शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा** – आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देष्य बच्चों का मानसिक विकास करना है जिससे वे प्राथमिक स्कूल में और अच्छी तरह से षिक्षा ले सकें। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे – जल, जंगल, जानवर आदि के बारे में प्रारंभिक बातें बतायी जाती हैं।

7. **स्वास्थ्य सेवाएं** – विभाग द्वारा स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाएँ अलग से नहीं दी जाती हैं बल्कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाएँ स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती हैं।

समेकित बाल विकास योजना के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की व्यवस्था

06 माह से 3 वर्ष के बच्चों/गर्भवती माताओं धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण आहार

- 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों/गर्भवती माताओं/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं को घर ले जाने के लिए पोषण आहार दिया जाएगा। यह आहार पोषण आहार एम।पी। एग्रो द्वारा प्रदाय किया जायेगा।
- यह पोषण आहार साप्ताहिक आधार पर पैकेट में हितग्राहियों को हर मंगलवार वितरित की जायेगी।
- हर मंगलवार को सभी हितग्राहियों को (06 से 3वर्ष के बच्चों/गर्भवती माताओं/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं/3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों) को आंगनवाड़ी में गर्म पका हुआ भोजन दिया जायेगा।
- पोषण आहार के रूप में इन्हें गेहूं सोया बर्फी/आटा बेसन लड्डू/हलुआ/विन्निग फूड/खिचडी इत्यादि।
- यह पोषण आहार 5 दिन के लिए पैकेट में हितग्राहियों को हर मंगलवार को वितरित की जायेगी।

3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण आहार

- 3वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को 'सांझा–चूल्हा' योजना के तहत गर्म पका हुआ भोजन वितरित किया जायेगा।
- यह भोजन स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया जायेगा।
- पोषण आहार हेतु राशि बढ़ने के बाद प्रदेश में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2 समय पोषण आहार (नाश्ता/भोजन) प्रदान किया जायेगा।
- 'सांझा–चूल्हा' कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भोजन को वितरित करने का काम करेंगी। पका हुआ भोजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्व–सहायता समूह से रसोई घर में आकर लेना होगा।

- नाश्तेमें पौष्टिक खिचड़ी/(थुली)/नमकीन/मीठी लप्सी दी जायेगी।
- भोजन में सब्जी–रोटी/खीर–पूड़ी/दाल–रोटी/दाल–चावल दिया जायेगा।

गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 06 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को 20–25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलारी प्रतिदिन प्रति हितग्राही के मान से पोषण आहार उपलब्ध कराना है। जबकि सामान्य बच्चों को 12–15 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलारी भोजन दिया जाना है।
- ऐसे में गंभीर बच्चों के लिये मध्यप्रदेश में तीसरी वक्त भोजन की व्यवस्था की गई है। तीनो वक्त के भोजन में 20–25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलारी पोषण होना चाहिये।
- 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 'टेकहोम' राशन तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को ताजा पका हुआ भोजन प्रथा प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य, इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक और फिर तीसरी बार 2.30 बजे से 3 बजे के मध्य दिया जायेगा।
- 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन उपस्थित रहकर पोषण आहार प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है किन्तु गंभीर कुपोषित बच्चों को यदि हम 'पोषण पुनर्वास केन्द्र' अथवा आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रशिक्षित व्यक्ति के मार्गदर्शन एवं समक्ष में प्रतिदिन समयबद्ध तरीके से पोषण आहार नहीं देंगे तो बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाना संभव नहीं है।
- गंभीर कुपोषित बच्चों के तीसरे वक्त के भोजन में चावल, सोया लड्डू/मीठी मठरी/मूंगफली/चना चिक्की दिया जायेगा।

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में शामिल मुख्य व्यक्ति/इकाईयां

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे समाज की स्थिति – खास तौर पर बच्चों में कुपोषण, उनके बीमारियाँ और सामाजिक असमानता को मिटाने में यह कार्यक्रम बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमें इस कार्यक्रम का सम्मान करते हुए, इसके सही क्रियान्वयन के लिए समुदाय को लामबंद करना चाहिए। चलिए थोड़ा यह भी देखते हैं कि किनके बलबूते पर चलता है यह कार्यक्रम –

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम का आधार स्तंभ है। जिस आंगनवाड़ी केंद्र के जरिये इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है, उसके सञ्चालन की बड़ी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास होती है। उसके मुख्य काम होते हैं– केंद्र का सञ्चालन करना, गांव/केंद्र के दायरे में आने वाले सभी परिवारों का सर्वेक्षण करना, सभी बच्चों (जो इस कार्यक्रम के लिए योग्य हैं) का नामांकन करना, यह सुनिश्चित करना कि हर रोज बच्चों/महिलाओं/किशोरियों (सबला कार्यक्रम) को पोषण आहार मिले, पोषण आहार गुणवत्ता पूर्ण हो, वृद्धि निगरानी करना यानी सभी बच्चों का हर महीने वजन लेना और उनके पोषण–कुपोषण के स्तर पर नजर रखना, अति गंभीर कुपोषित/अति कम वजन के बच्चों के उपचार की व्यवस्था करना, स्कूल–पूर्व शिक्षा की गतिविधियां चलाना, एएनएम् और आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर टीकाकरण स्तर का आयोजन करना और पूर्ण टीकाकरण कराने में स्वास्थ्य विभाग को सहयोग देना, गर्भवती महिलाओं, अति गंभीर कुपोषित बच्चों के घर जाकर परिवार से भेंट

करना और जानकारियाँ देना आदि। जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को समुदाय, पंचायत और ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता समिति से पूरा सहयोग मिले।

आंगनवाड़ी सहायिका – एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के केंद्र में कार्यकर्ता के साथ आंगनवाड़ी सहायिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। सहायिका बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में लाने, उन्हें घर छोड़ने, पोषण आहार वितरित करने, पोषण आहार पकाने वाले स्वयं सहायता समूह से सामंजस्य बनाने, आंगनवाड़ी केंद्र के रखरखाव और व्यवस्था बनाने की भूमिका निभाती है।

पर्यवेक्षक – 25 से 30 आंगनवाड़ी केन्द्रों के समूह के स्तर पर एक एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है। ये पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सी डी पी ओ के बाच जुड़ाव की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वे नियमित रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण करती रहे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद करें, यह देखें कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से सेवाएं दी जा रही हैं या नहीं, जब भी जरूरत हो कार्यकर्ता को जानकारी, सलाह और परामर्श दें और उनकी समस्याओं को सीडीपीओ या जिला स्तर पर ले जाएँ। पर्यवेक्षक का काम है कि वे आंगनवाड़ी के स्तर पर इकट्ठा की जा रही जानकारियों को जांचे और सभी रजिस्टरों की भी जांच करे।

बाल विकास परियोजना अधिकारी – एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम को "परियोजनाओं" के समूह में रख कर संचालित किया जाता है। एक परियोजना भौगोलिक क्षेत्र या विकासखंड की आकार के आधार पर बनती है। एक परियोजना में 150 से 250 आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं। हर परियोजना की जिम्मेदारी एक अधिकारी निभाता हैय उन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी डी पी ओ) कहा जाता है। परियोजना का एक दफ्तर होता है, जो अपने दायरे में आने वाले सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों से सामंजस्य रखता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि सभी केन्द्र निर्धारित सेवाएं प्रदान करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी तरह की मदद और सलाह देने का काम भी बाल विकास परियोजना अधिकारी करते हैं।

एएनएम – महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होने वाले एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। वास्तव में एएनएम इन दोनों विभागों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। एएनएम की जिम्मेदारी है कि वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टीकाकरण, बच्चों की बीमारियों, स्वास्थ्य के लिए सही व्यवहार सरीखे पहलुओं पर भूमिका निभाए। सभी बच्चों का टीकाकरण, सामान्य बीमारियों की स्थिति में दवाएं देने, अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की प्रक्रिया में भी उनकी अहम भूमिका होती है।

आशा कार्यकर्ता (एक्रिडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट) – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत गांव के स्तर पर स्वैच्छिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की गयी है। आम तौर पर स्थानीय समुदाय में से ही किसी योग्य महिला की नियुक्ति आशा कार्यकर्ता के रूप में की गयी है और उन्हें स्वास्थ्य–पोषण के तकनीकी–सामाजिक पहलुओं पर सघन प्रशिक्षण दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर स्वास्थ्य और पोषण (खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण) पर काम करेंगी।

समुदाय – समुदाय वह इकाई है, जिसके लिए ये पहल हो रही है। हमें यह याद रखना होगा कि समुदाय केवल सेवाएं लेने वाली इकाई नहीं है। वही सेवाओं को व्यवस्थित करने और निगरानी करने वाली इकाई भी है। अब तक के अनुभव रहे हैं कि गांव/बस्ती में आंगनवाड़ी केन्द्र भी है और कार्यकर्ता भी है; फिर भी बच्चे कुपोषित हैं और जिन समस्याओं से आंगनवाड़ी की सेवाओं के जरिये निपटा जा सकता है, वे समस्याएं बनी हुई हैं। कहीं आंगनवाड़ी केंद्र है, किन्तु खुलता ही नहीं है या फिर थोड़ी सी देर के लिए खुला है और सही सेवाएं नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुदाय आंगनवाड़ी केंद्र और उसकी सेवाओं की निगरानी नहीं करता है, सवाल नहीं पूछता है और कमियों को दूर करने के लिए एकजुट नहीं होता है। वास्तव में समुदाय को लामबंद होकर यह देखना चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्र खुलता है या नहीं? पूरे समय खुलता है या नहीं? गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिलता है या नहीं? स्कूल पूर्व शिक्षा मिलती है या नहीं? साफ–सफाई, पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था है या नहीं? केंद्र सुरक्षित है या नहीं? जरूरी है कि समुदाय एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में नेतृत्व ले।

ग्राम सभा – सभी वयस्क लोगों से मिलकर हे ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा को संविधान समाज के हित में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार देता है। ऐसे में जरूरी है कि गांव के कल्याण और बेहतरी के लिए योजना बनाते समय ग्राम सभा आंगनवाड़ी की व्यवस्था को सुद्रढ़ बनाने की प्रतिबद्ध पहल करे।

जिला कलेक्टर – बच्चों की बीमारियों, कुपोषण और मातृत्व स्वास्थ्य के विषय किसी एक विभाग से जुड़े हुए विषय नहीं हैं। इन्हें केवल पोषण आहार का हितग्राही मानकर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। टीकाकरण, प्राथमिक उपचार से लेकर पीने के साथ पानी, अनाज के उत्पादन, वन उपज, स्वच्छता, राशन व्यवस्था समेत कई पहलु कुपोषण, मातृत्व स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकारी व्यवस्था में ये सभी पहलू अलग–अलग विभागों के जिम्मे डाले गए हैं। व्यवस्था के लिए अलग अलग भूमिकाएं होना थी हो सकता है, किन्तु कुपोषण और बीमारियों के संकट से निपटने के लिए इन सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करना अनिवार्यता है। इसका कोई और विकल्प ही नहीं है। जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह नियमित निगरानी के अलावा सभी विभागों को सोच और विचार के साथ क्रियान्वयन तक समन्वय के साथ काम करने के लिए तैयार करे या फिर जरूरत पड़ने पर बाध्य करे।

ऐसे करें पहल

1. आप जरा कुछ दिन तक अपने गांव/बस्ती या शहर की आंगनवाड़ी में जाइये और देखिये कि वहां कौन सी सेवाएं दी जाती है?
2. यह देखना भी उपयोगी होगा कि वे सेवाएं किस तरह से दी जाती है? यानी क्या सब बच्चे एक साथ बैठते हैं? क्या उन्हें खेल भी खिलाए जाते हैं? क्या उनका वजन लिया जाता है?
3. अब एक महत्वपूर्ण बिंदु – यह देखिये कि आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चे किन तबकों से सम्बन्ध रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक खास तबके के बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं? या फिर किन्ही तबकों के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते ही नहीं है?

4. यह पता कीजिये कि ऐसा क्यों होता है? हमारे मैदानी काम का यह सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें हमें समुदाय से यह संवाद करने की जरूरत पड़ेगी कि सभी वर्गों के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम में शामिल हो और सभी सेवाएं हासिल करें।

5. वास्तव में हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में समाज में यह धारणा बहुते गहरे तक रच बस गयी है कि आंगनवाड़ी केन्द्र केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गरीब परिवारों के बच्चों के लिए हैं। यहाँ वे बच्चे आते हैं, जिनके घर में खाने को खाना भी नहीं होता है। यह एक बिलकुल गलत धारणा है। यह केवल गलत धारणा नहीं है, बल्कि यह सोच बच्चों के अधिकारों के खिलाफ है और इससे समाज में गैर–बराबरी बने रहने की गुंजाइश भी बनती है।

6. वास्तव में इस कार्यक्रम और आंगनवाड़ी केंद्र से जो सेवाएं दी जाती हैं, वे सभी बच्चों के विकास के लिए जरूरी ही नहीं अनिवार्य ही है। यह संभव है कि यह माना जाता हो कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है या जो संपन्न तबके के हैं, उन्हें अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र क्यों भेजा जाना चाहिए? उनके लिए हमारा सवाल यह होना चाहिए कि वृद्धि निगरानी तो सभी बच्चों का अधिकार है और यह काम आंगनवाड़ी केंद्र में ही होता है यदि बच्चों को वहां नहीं भेजा जाएगा, तो उन बच्चों के विकास की निगरानी ही नहीं हो पाएगी।

7. इसी तरह की बात टीकाकरण के बारे में भी है। आर्थिक सम्पन्नता का यह मतलब तो नहीं ही हो सकता है कि बच्चे को टीकाकरण की जरूरत नहीं है?

8. स्वास्थ्य और पोषण से सम्बंधित जानकारियों, सलाह और शिक्षा की जरूरत भी आंगनवाड़ी से ही पूरी हो सकती है।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी तबकों के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम में दर्ज हों और उन्हें प्रारंभिक बाल विकास और देखरेख का पूरा अधिकार मिले।

समुदाय को एकजुट और लामबंद करना

- सबसे जरूरी है कि समुदाय में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के प्रति रूचि और सोचा पैदा करना। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आंगनवाड़ी केवल पोषण आहार बांटने वाला केंद्र नहीं है। इससे जो सेवाएं मिलती हैं, वे सेवाएं सभी बच्चों के लिए जरूरी हैं।

- दूसरी बात यह स्थापित करना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बन जाने के बाद 6 साल से कम उम्र के हर बच्चे और हर गर्भवती और धात्री महिला को पोषण का कानूनी अधिकार मिल गया है।

- तीसरी बात यह कि क्या कोई भी समुदाय अपने आसपास किसी भी बच्चे को कुपोषित होते देखना चाहता है? इसका उत्तर हाँ है, यदि वे आंगनवाड़ी कार्यक्रम को नजर अंदाज करते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक निगरानी की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो!

अब हम समुदाय के साथ समूह में चर्चा करें कि अपने गांव में बच्चों की स्थिति क्या है और आंगनवाड़ी का सञ्चालन किस तरह से हो रहा है। इससे हमें पता करना होगा कि समुदाय आंगनवाड़ी केंद्र को किस नजरिए से देखता है? क्या उनकी भी सोच यह है कि ये गरीब बच्चों को पोषण आहार बांटने वाला केंद्र है!

समूह चर्चा में यह भी जानने की कोशिश करें कि क्या समुदाय में से कुछ लोग आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हैं? वहां जाकर बच्चों से बात करते हैं? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से संवाद करते हैं?

अब तक हमने कुछ व्यापक पहलुओं पर बात की। यहां सवाल उठता है कि मौजूदा स्थिति में बदलाव की शुरुआत किस केंद्र से होगी? बिना शक आंगनवाड़ी केंद्र से!!! प्रक्रिया की सफलता इस बात से जुडी हुई है कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र गाँव के बच्चों के लिए एक स्वीकार्य दूसरा घर बन सकता है? इस केंद्र द्वारा हर सेवा दिए जाने की अपेक्षा होती है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी और बुनियादी रूप से आवश्य क है। इसमें स्वास्थ्य है, खेल, व्यक्तित्व के विकास या, पोषण और स्कूल पूर्व शिक्षा की बात शामिल है। जैसे एक अस्पताल का, स्कूल का नाम लेते ही उनका एक चित्र उभर आता है। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लेते ही एक ऐसा केंद्र का चित्र उभर कर आना चाहिए जिसमे बच्चे खेलते भी हों और पनपते भी हों वहां भेदभाव न सिखाया जाता हो, जहाँ न केवल स्वस्थ तन का निर्माण हो, बल्कि स्वस्थ मन का भी निर्माण होता हो वह बोझिल न दिखे और वहाँ मजा आता हो।

- यह साफ है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अकेले ये सभी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती, बेहतर होगा कि इसे समुदाय आधारित कार्यक्रम बनाया जाए।
- आंगनवाड़ी केंद्र को ठसाठस न भरा जाए, स्वच्छता एक अनिवार्य शर्त है तथाय वहां खुला स्थान होना जरूरी है।
- यह सुरक्षित जगह हो जहां बच्चे दौड़ सकें, वहां के खिलौने डिब्बे में बंद न हों।
- वहां आइना, हवा के आने–जाने का रास्ता, पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था भी हो।
- हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे अपने देश–समाज के बारे में अपना नजरिया कैसे बनाते हैं?
- जो वो देखते हैं! जैसी आंगनवाड़ी हम उन्हे दिखायेंगे या ठीक उसी तरह का चित्र संसद और विधानसभा का वे अपने मन में बनाएंगे जैसी हम उन्हें दिखा रहे हैं। वैसी ही उनकी मानसिकता बनेगी और मनोवृत्ति भी बनेगी। हम जो बचपन में व्यक्ति को देते हैं, वह वयस्क होने पर अधिकाँश उसमे से वापस देता है।
- आंगनवाड़ी केंद्र केवल दलिया या पोषण आहार बांटने का केंद्र न होकर उससे बहुत ज्यादा है। अब सोचिये कि हम इसके लिए कम आवंटन, भवनों की जरूरतों को और प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरी ना करके हम विकास का कमजोर आधार नहीं गढ़ रहे हैं ?
- सब मिल कर यह तय करें कि वे नियमित रूप से पोषण आहार, टीकाकरण और वृद्धिनिगरानी की गतिविधि के साथ जुडेंगे और क्रियान्वयन में मदद करेंगे।

आंगनवाड़ी को रंगीन, रुचिकर और आकर्षक बनाना

- जहाँ रंग होते हैं, जहाँ खेलने की जगह होती है, जहाँ खिलौने होते हैं; वहां बच्चे भी रहना पसंद करते हैं। आप अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी का रंग करने, वहां पक्षियों, पेड़ों, जानवरों, प्रकृ ति से जुड़े चित्र बनाएँ।

- आंगनवाड़ी केंद्र टूटा–फूटा न हो, वहां खेलने की जगह हो।
- आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय और पीने के साफ पानी का स्थायी प्रबंध हो।
- केंद्र में बच्चों के आराम की सुविधा के लिए ओढ़ने–बिछाने के साफ कपड़े उपलब्ध हों।
- बच्चों के लिए खिलौने हों।
- पंचायत और समुदाय के साथ मिलकर आंगनवाड़ी की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

आंगनवाड़ी केंद्र की सुरक्षा और पेड़–पौधे

- पंचायत और समुदाय के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्र की बाउंड्री वाल बनायी जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें।
- पंचायत, समुदाय और वन/हार्टिकल्चर विभाग के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्र में फलों, फूलों और छायादार पेड़ लगाना।

स्थानीय भोजन सामग्री की सूची बनाना और उनका उपयोग

- समुदाय के साथ मिलकर यह पता करें कि स्थानीय स्तर पर खेतों/जमीन से, वनों से, नदी/तालाब से, स्थानीय बाजार से भोजन की कौन कौन सी सामग्री मिलती है? किन मौसमों में मिलती है? भोजन में उनका उपयोग किस तरह से होता है? क्या भोजन में स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है? यदि उत्पादन कम हो रहा है, तो उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती–धात्री महिलाओं के पोषण आहार के हकों को शामिल किया गया है। इन हकों की उपलब्धता महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित एकीकृत बाल विकास सेवाएँ परियोजना के जरिये सुनिश्चित की जायेगी।

बिंदु 7 (ग) – प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान करने वाली माता को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात के छह माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन के लिए हकदार बनाना जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके और ऐसी स्त्रियों के लिए छह हजार रूपए के अन्यून के प्रसूति फायदे का ऐसी किश्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाएँ, उपलब्ध करना।

बिंदु 7 (घ) – चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को – (i) छह माह से छह वर्ष की आयु समूह के बच्चों की दशा में; स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क आयु के अनुसार समुचित भोजन का हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके;

बिंदु 7 (ड) – राज्य सरकार से, ऐसे बच्चों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करने की और स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करने की अपेक्षा करना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण सम्बन्धी मानकों को पूरा किया जा सके। तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च में हिस्सा बाँटना भी है, ऐसी रीति से

जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, स्त्रियों और बच्चों की हकदरियों से सम्बंधित स्कीमों का क्रियान्वयन करना।

बिंदु 7 (च) – प्रस्तावित विधान के अध्याय 2[1] के अधीन पात्र व्यक्तियों को, खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति को सम्बंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाने समय के भीतर और रीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत दर्ज हक

गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पोषण का अधिकार]अध्याय 2/धारा 4 (क)[	इस कानून के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और धात्री माता को स्थानीय आंगनवाड़ी से निःशुल्क घर ले जाए जाने के लिए भोजन मिलेगा। यानी यह स्पष्ट है कि गर्भावस्था के नौ माह और शिशु के जन्म के बाद छह माह तक महिलाओं को पोषण आहार पाने की पात्रता होगी। उससे 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए।
जन्म से 6 माह तक के बच्चों के लिए]अध्याय – 2/धारा 5 (क)[	आंगनवाड़ी के जरिये छह माह से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जायेगा।
6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए]अध्याय 2/धारा 5 (क)[	आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को घर ले जाया जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमें 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।
3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए]अध्याय 2 / धारा 5 (क)[	आंगनवाड़ी के जरिये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह नाश्ता और फिर गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। जिसमें 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।
आंगनवाड़ी केंद्र में जरूरी सुविधाएँ]अध्याय 2/धारा 5 (ख)[	यह कानून कहता है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में खाना पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता (शौचालय) की सुविधाएँ होंगी।
6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों के लिए]अध्याय 2/धारा 6[	स्थानीय आंगनवाड़ी ऐसे बच्चों की पहचान करेगी, जो कुपोषण की गिरफ्त में हैं ताकि पोषण आहार के जरिये कुपोषण को दूर किया जा सके। आंगनवाड़ी के जरिये 6 माह से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे कुपोषित हैं, उन्हें घर ले जाए जाने वाला भोजन मिलेगा। जिसमे 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।
मातृत्व हक]अध्याय 2/धारा 4 (ख)[	मातृत्व हक के रूप में हर गर्भवती महिला को 6000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस पर बीपीएल की शर्त जैसी कोई शर्त नहीं होगी।

1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अध्याय 2 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना का उल्लेख है, यानी इन सभी योजनाओं के हकदार खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार होंगे।

सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ बिंदु –

1. गांव में आंगनवाड़ी भवन है या नहीं? भवन किस अवस्था में है?
2. क्या आंगनवाड़ी केंद्र रुचिकर, हवादार–रौशनी वाली, सुरक्षित और अच्छी स्थिति में है?
3. पीने के पानी, साफ–सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था है?
4. गांव में आंगनवाड़ी कब शुरू हुई थी?
5. क्या आंगनवाड़ी रोज खुलती है?
6. क्या आंगनवाड़ी में सहायिका एवं कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है?
7. गांव में 0–6 वर्ष के कितने बच्चे, कितनी गर्भवती व धात्री महिलाएँ और किशोरी बालिकाएँ है?
8. आंगनवाड़ी में कितने बच्चे, महिलाएं व किशोरी बालिकाएँ दर्ज हैं?
9. आंगनवाड़ी में कौन–कौन आता है? बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएँ और किशोरी बालिकाएँ?
10. कौन से बच्चे गांव/बस्ती में हैं, किन्तु आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आते हैं या सेवाएं नहीं लेते हैं? कारण क्या हैं?
11. आंगनवाड़ी से क्या बच्चों को नियमित पोषण आहार दिया जाता है?
12. पोषणाहार साल में कितने दिन दिया जाता है? पोषणाहार कैसे मापते हैं? पोषणाहार कौन बनाता है?
13. क्या 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाओं को घर ले जाने के लिये पोषण आहार दिया जाता है?
14. क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ पोषण आहार दिया जाता है?
15. पोषणाहार की गुणवत्ता कैसी है?
16. पोषणाहार कितने प्रकार का मिल रहा है? लिखें।
17. क्या गंभीर कुपोषित बच्चों को ज्यादा पोषण आहार दिया जाता है?
18. कुपोषण की जाँच नियमित रूप से की जा रही है या नहीं ?
19. क्या गांव में पिछले 2 वर्षों में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है? कारण क्या थे?
20. क्या आंगनवाड़ी में बच्चों की वृद्धि निगरानी लगातार होती है?
21. कुपोषित बच्चों की देखभाल किस प्रकार की जा रही है?
22. क्या नियमित रूप से टीकाकरण होता है? क्या समुदाय उसमें शामिल होता है?

एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण करना	यह जानने की कोशिश करना कि निर्धारित मानकों के हिसाब से आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं की स्थिति क्या है? सेवाएं किस तरह से उपलब्ध करवाई जा रही हैं?
आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों और महिलाओं की उपस्थिति	आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे दर्ज हैं? कितने बच्चे औसत रूप से उपस्थिति होते हैं? जो बच्चे नहीं आते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण क्या हैं?
आंगनवाड़ी से बाहर रहने वाले बच्चे	जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं आते हैं या दर्ज नहीं है, उनके परिवार की स्थिति के बारे में पता करना। उन कारणों का हल खोजना जिनके चलते बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम से बाहर हैं।
वृद्धि निगरानी और टीकाकरण में समुदाय की सहभागिता	समुदाय से सघन रूप से संवाद करके उन्हें टीकाकरण और वृद्धि निगरानी की सेवाओं में शामिल होने के लिए तैयार करना। साथ ही इन दोनों कार्यक्रमों के महत्व पर बात करना।
आंगनवाड़ी केंद्र को आकर्षक और बाल अनुकूल बनाना	हमने इस अध्याय में यह चर्चा की है कि आंगनवाड़ी केन्द्र को आकर्षक और बाल अनुकूल बनाने का मतलब क्या है। उस सोच के मुताबिक समुदाय के साथ पहल करके केन्द्रों को अच्छा बनाना है।
पोषण आहार सेवा को व्यवस्थित बनाना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर बच्चे और हर गर्भवती–धात्री महिला को नियमित रूप से निर्धारित मानकों का पोषण आहार सम्मान के साथ मिलना चाहिए। यह देखिये कि पोषण आहार का वितरण नियमित रूप से हो रहा है या नहीं? उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं? इसके बाद जरूरत के मुताबिक समुदाय के साथ मिलकर पोषण आहार को बेहतर बनाने की प्रक्रिया चलायें।
आंगनवाड़ी और एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम को बेहतर बनाने में ग्राम सभा और पंचायत की भूमिका	आप आंगनवाड़ी केन्द्रों का अध्ययन करेंगे, यह देखेंगे कि कुछ खास परिवारों के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं आते हैं, पोषण आहार की गुणवत्ता परखेंगे, आंगनवाड़ी भवन और उसके परिसर को देखेंगे। इन सब बिंदुओं पर ग्राम सभा और पंचायत की बैठक में चर्चा करें। उनके साथ मिलकर एक–एक बिंदु के निराकरण की प्रक्रिया चलायें।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य –11

स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व

उद्देश्य : प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए शाला प्रबंधन समिति को सशक्त बनाना

1 – पृष्ठभूमि

बेहतर समाज के निर्माण के लिए समाज के हर सदस्य को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि परतंत्रता के दौर में देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया और उसके बाद शिक्षा के अधिकार को लैंगिक, जातिगत और आर्थिक गरीबी की चुनौतियों के बीच फंसा दिया गया। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समान और अबाध तरीके से शिक्षा का अधिकार मिल सके, इसके लिए कई दशकों से संघर्ष चल रहा है। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का का दर्जा दिया गया।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 21में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद (21 {क}) में शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है। इसके वावजूद बहुत से बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए एक मजबूत व महत्वपूर्ण प्रयास 'शिक्षा अधिकार कानून' है, इसे शिक्षा जगत में एक बड़ी उम्मीद के रूप में पूरा देश और दुनिया देख रही है।

बच्चों को भय मुक्त वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए स्कूल तय मानकों पर खरा उतरे, बच्चे बाल केन्द्रित पद्धति से सीखें और आगे बढ़ें। ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी और पालकों का कर्तव्य (अनुच्छेद 50 {क}) है।

हमारे मध्यप्रदेश और पूरे देश में दिनांक 1 अप्रैल 2010 को यह कानून लागू किया गया, और दिनांक 26 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के नियम लागू किए थे। इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कहा जाता है।

2– शिक्षा के अधिकार मतलब?

शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जरूरी और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मकसद है हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

हर बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, वह किसी भी जाति या धर्म का हो, या वह किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीडित हो, यह कानून सभी बच्चों को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा आठ तक) उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यानी हर बच्चे का शाला में प्रवेश लेने और अपनी (कक्षा आठ तक) शिक्षा पूरी करने का अधिकार है।

किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।

इस शिक्षा अवधि में किसी बच्चे को किसी कक्षा में किसी कारण से रोका या अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता और न ही किसी कारण से किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है जब तक कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न हो जाए।

शिक्षा अधिकार कानून के प्रमुख प्रावधान

- 6 साल से 14 साल उम्र के हर बच्चे (बालक–बालिका) को अपनी 8 वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस हेतु शाला द्वारा बच्चों से कोई फीस/शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा। (कानून की धारा 3)
- जहां कोई बच्चा (बालक/बालिका) जिसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है , और वह कभी शाला नहीं गया, या शाला त्यागी हो गया था या पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि बच्चा 10 साल का है तो उसे चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार दर्ज किए गए बच्चों (बालक/बालिका) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कक्षा में दर्ज अन्य बच्चों के समान स्तर पर आ सकें, और जब वे उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें अपनी कक्षा में शामिल कर दिया जाएगा। (कानून की धारा 4)
- पड़ोसी शाला (घर के नजदीक शाला) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय (नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत) की है। इस कानून के लागू होने के तीन वर्ष के अंदर सभी बस्तियों के नजदीक यानी 1 किलो मीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 कि.मी. के अंदर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। (कानून की धारा 6)
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत द्वारा पलायन पर आने वाले परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे परिवारों की सूची बनाई जाएगी और इन परिवारों के बच्चों को शाला में दर्ज कराया जाएगा और बच्चों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी।
- प्रवासी परिवार (ऐसे परिवार जो मजदूरी आदि के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं) के बच्चों के शाला प्रवेश को सुनिश्चित करना।
- विकलांग बच्चों (बालक/बालिकाओं) को भी अपने नजदीक की शाला में भर्ती किया जाएगा। इन बच्चों को शिक्षा और सीखने से संबंधित विशेष सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि शाला दूर है या विकलांग बच्चे को शाला तक आने में दिक्कत है तो ऐसे बच्चों (बालक/बालिकाओं) के शाला तक आने–जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। हर शाला में रैम्प (आने–जाने के लिए ढालू रास्ता) बनाया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों को शाला के अंदर आने में असुविधा न हो।
- किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, बालिकाएं और विकलांग बच्चों के साथ किसी शाला में किसी तरह का भेदभाव न हो और न ही कोई ऐसी बात हो जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने से रोके।

- राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बी।पी।एल। परिवार, और विकलांग बच्चों के साथ–कक्षा में, मध्यान्ह भोजन के दौरान, खेल में, पीने के पानी और शौचालय के उपयोग में किसी तरह का भेदभाव न किया जाए और शौचालय या कक्षा की सफाई करने में भी किसी तरह का भेदभाव न किया जाए।

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, निजी शालाओं में और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट श्रेणी के स्कूल जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय आदि में 25 प्रतिशत सीट स्कूल के नजदीक रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों (बालक/बालिका) के लिए आरक्षित की गईं हैं। (कानून की धारा 12)

- जिन शालाओं में शाला पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है, यानी जो शालाएं नर्सरी कक्षा से शुरू होती हैं, उन शालाओं की शुरूआती कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान पर उपरोक्त के अनुसार ही आसपास के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

- बालक या बालिका को किसी शाला में प्रवेश देते समय कोई शुल्क जैसे दान, चंदा, व्यय आदि नहीं लिया जाएगा।

- शाला में प्रवेश देने हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या अनुवीक्षण प्रक्रिया नही की जाएगी। किसी बालक– बालिका, माता–पिता या संरक्षक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

- हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा चाहे उसके पास आयु का सबूत है या नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर बच्चे को शाला में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। (कानून की धारा 14 {2})

- 6 से 14 वर्ष उम्र के किसी बच्चे (बालक/बालिका) को शाला में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के समय जुलाई में या इसके बाद कभी भी बच्चे को स्कूल में दाखिला/प्रवेश दिलाया जा सकता है। (कानून की धारा 15 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (मध्यप्रदेश) का नियम 10)

- जिन बच्चों को शाला में प्रवेश दिया गया है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा यानी फेल नहीं किया जाएगा और किसी कारणवश शाला से उनका नाम भी नही काटा जाएगा। (कानून की धारा 16)

- **बच्चों को दंड** – किसी बच्चे को किसी तरह का शारीरिक दण्ड जैसे (मार–पीट, मुर्गा बनाना, बेंच पर खड़ा करना आदि) और मानसिक उत्पीड़न (जैसे जाति, धर्म, सूचक शब्द, शारीरिक विकलांगता के शब्द का प्रयोग या किसी अन्य तरह से) नहीं किया जा सकता है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। (कानून की धारा 17)

स्कूल चलें हम अभियान और शाला प्रबंधन समिति

भारत का संविधान हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। इसी सोच के तहत हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 लागू है। इसका मकसद है 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाना। हम देखते हैं कि कई समस्याओं, बाधाओं और स्थितियों के चलते शिक्षा का अधिकार कानून होने के बाद भी कई बच्चे स्कूल और शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं यानी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

सभी बच्चे स्कूल में हों और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए मध्यप्रदेश में हर साल शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले से ही एक पहल, एक अभियान शुरू हो जाता है, जिसे "स्कूल चले हम अभियान" कहा जाता है। इस अभियान का नेतृत्व आमतौर पर सरकार और शिक्षा प्रशासन करते रहे हैं, किन्तु सामुदायिक नेतृत्व की सोच के तहत हमारी भूमिका है कि हम यह सुनिश्चित करें कि स्कूल चलें हम अभियान का नेतृत्व समुदाय करे। जिस वक्त हम ऐसा कर पायेंगे हर बच्चा स्कूल में न केवल दर्ज होगा, बल्कि वह निरंतर उपस्थिति दर्ज करवाएगा, स्कूल का संचालन व्यवस्थित होगा, शिक्षकों का समुदाय से सामंजस्य स्थापित होगा और व्यवस्था उन कारणों को अच्छे से महसूस कर पाएगी कि आखिर बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हो जाते हैं?

हम सबके अनुभवों से यह साबित हो चुका है कि केवल समस्या उठाने और शिकायत का आवेदन पत्र लिखने या शिकायतों की जांच होते रहने से बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल पायेगा, इसमें कई शंकाएं हैं। वास्तव में अब समुदाय को ऐसी पहल करना है, जिससे शिक्षा प्रशासन उन मूल कारणों को समझ पायें, जिनसे समस्याएं पैदा होती हैं और जड़ें जमाती हैं। अब तो शिक्षा पर बड़ी नीतियां हैं, कई आयोगों ने समझा दिया है कि कैसे समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित होगी?, संविधान में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज है यानी सरकारें बाध्य हैं कि वे हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ें और हर समस्या को दूर करें। संवैधानिक प्रावधान और कानून के प्रावधान लागू हों, इसके लिए हम समुदाय से बाहर की व्यवस्था पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमें यह मानना कि सरकार ही सबकुछ नियंत्रित करेगी, एक सही सोच नहीं हैं। ग्रामसभा, पंचायत और समुदाय की भूमिका अब सबसे अहम है। यह सही है कि मौजूदा व्यवस्था इन सबकी भूमिका को खुलकर स्वीकार नहीं करती हैय किन्तु संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके हमें सुनिश्चित करना है कि शिक्षा के अधिकार के मामले में समुदाय मुख्य भूमिका ले। इसे दो तरह से लागू किया जा सकता है – स्कूल चलें हम अभियान का सामुदायिक संचालन करके और शाला प्रबंधन समिति को सशक्त करके।

शाला प्रबंधन समिति शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सहभागिता और सामुदायिक निगरानी के लिए बनी हुई व्यवस्था है। जबकि स्कूल चलो अभियान को एक सामुदायिक पहल माना जाना चाहिए, जिसमें समाज के हर तबके और हर सदस्य के जुड़ाव की बात शामिल है। स्कूल चलो अभियान उस अनुभव के आधार पर शुरू हुई पहल है, जिसमें यह सीख निकली कि आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, भौगोलिक और व्यवस्थागत कारणों से बच्चे स्कूल से भार हैं और उनका शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है। कानून बन जाने के बाद भी बच्चे स्कूल में दर्ज नहीं नहीं हैं दर्ज हैं तो अनुपस्थित रहते हैं! इसके कई कारण है, जिन्हें बदलने की जरूरत है। शिक्षा का अधिकार कानून संविधान के सबको शिक्षा के अधिकार के लक्ष्य को हासिल कर सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की अवधारणा लागू की गयी।

3– शाला प्रबंधन समिति और सामुदायिक नेतृत्व

पाठशालाय अपनी जिंदगी का खेत है!

हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल कानून बन जाने से हमारे बच्चों को अच्छी, सच्ची, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता है। शिक्षा के अधिकार का यह सपना तभी साकार हो सकता है, जब समुदाय इस हक को मान्यता देगा और शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। खेत में जब बीज पड़ा होता है, तब किसान अक्सर खेत की तरफ जाता है और देखता है कि सबकुछ ठीक–ठाक है कि नहीं लेकिन जब बीज नहीं भी पड़ा होता है और फसल कट चुकी होती है, तब भी वह खेत की तरफ जाता है, उसे देखता है। वह अपनी आँखों से देख कर सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कहीं कुछ गडबड तो नहीं है। जितना सुन्दर और उपजाऊ किसान के लिए अपना खेत होता है, उतनी ही सुन्दर और उपजाऊ अपनी पाठशाला भी तो है लेकिन लोग अक्सर उसे देखने, उसके हाल–चाल जानने नहीं जाते हैं। जैसे खेत किसान का अपना होता है है, उसी तरह क्या वह पाठशाला लोगों की अपनी संस्था नहीं है, जिसमें उनके बच्चों का भविष्य और समाज के मूल्य गढे जा रहे हैं। इसी सोच के आधार पर शिक्षा के अधिकार कानून में शाला प्रबंधन समिति की व्यवस्था बनायी गयी है और उसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम 2011 के मुताबिक राज्य की सभी सरकारी और सरकार से अनुदान/सहायता पाने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति गठन करने का प्रावधान किया गया है। शालाओं में गठित यह एक वैधानिक समिति है, जो शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल में समुदाय और पंचायत की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है।

शाला प्रबंधन समिति शाला के विकास के लिए योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन, शाला के संचालन और नियमित देखरेख का काम करती है। इस समिति के गठन का उद्देश्य है कि शालाओं में ज्यादा से ज्यादा समुदाय की भागीदारी बढ़े ताकि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आसानी से अपने पड़ोस की शाला में सुलभ हो सके। इसके साथ ही शाला के प्रबंधन और अकादमिक गतिविधियों में भी समुदाय की भागीदारी बढ़े ताकि बच्चों का शिक्षण स्थानीय भाषा और परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।

स्पष्ट रूप से देखा जाए तो शिक्षा अधिकार कानून के तहत बने प्रावधानों की निगरानी करने और व्यवस्था को सही रूप देने के लिए हर पहलू से शाला प्रबंधन समिति का सक्रिय जुड़ाव होता है।

स्कूल शिक्षा को बेहतर करने में शिक्षक, समुदाय, और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, ये लोग बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और आपस में एक दूसरे को सहयोग करें तो हर गांव/बस्ती का स्कूल बेहतर परिणाम दे सकता हैं। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति गठन करने का प्रावधान है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) एवं दिनांक 26 मई 2014 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 (मध्यप्रदेश) में नियम 12 में किए गए

संशोधन के अनुसार, माह जुलाई 2015 में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में हर शाला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में शाला में दर्ज बच्चों के माता–पिता या संरक्षक, चुने हुए जनप्रतिनिधि और शिक्षक शामिल हैं।

शाला प्रबंधन समिति की सदस्यता

इसमें प्राथमिक शाला के लिए 18 सदस्य और माध्यमिक शाला के लिए 16 सदस्यों का चुनाव किया गया है। समिति में तीन चौथाई सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता/पिता या अभिभावक में से चुने गए हैं। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं है। इस समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हैं जो समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए हैं। इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से एक पद महिला के लिए है।

उपरोक्त सदस्यों के अलावा 2 मनोनीत सदस्य स्थानीय निकाय से पंच या पार्षद होते हैं इनमें एक महिला होना जरूरी है। एवं 2 मनोनीत सदस्य स्कूल के शिक्षक होते हैं इनमें शाला के हेडमास्टर या वरिष्ठ शिक्षक या शिक्षिका इस समिति के सचिव होते हैं। इसके अलावा एक शिक्षक/शिक्षिका सदस्य होते हैं।

शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल

शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का है यानी हर दो वर्ष के बाद इस समिति का पुर्नगठन करने का प्रावधान है। इस वर्ष जुलाई 2015 में समिति का पुर्नगठन किया गया है, यह समिति 2017 तक कार्य करेगी।

शाला प्रबंधन समिति की बैठक

शाला प्रबंधन समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी, इस बैठक की कार्यवाही और निर्णयों को रजिस्टर में लिखा जाएगा। समिति द्वारा लिए गए निर्णय और मीटिंग के कार्यवाही जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

यह समिति शाला की देखरेख और निगरानी (मानिटरिंग), प्रबंधन से संबंधित कार्य, वित्तीय प्रबंधन एवं शाला विकास योजना बनाने का काम करेगी।

शाला प्रबंधन समिति के काम और जिम्मेदारियां

भूमिका

1. विद्यालय के कामकाज की देखरेख करना– यानी विद्यालय समय पर खुले, समय पर बंद हो, बच्चे नियमित स्कूल आएं, शाला में पढ़ाई हो और बच्चे अपने स्तर के अनुसार सीखें।
2. विद्यालय के लिए विकास की योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।
3. सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान (आर्थिक सहयोग/वित्तीय संसाधन) एवं उसके उपयोग की देखरेख करना।
4. ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं।

इन कामों के क्रियान्वयन के लिए समिति द्वारा अपने सदस्यों के बीच से छोटी–छोटी उप–समितियां भी बनाई जा सकेंगी।

स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व

स्कूल चलें हम अभियान शिक्षा सत्र के शुरू होने के पहले चलाया जाता है। इसके कुछ बहुत अहम मकसद हैं –

उद्देश्य	उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है?
बस्ती, गांव, वार्ड समेत हर बसाहट में रहने वाले 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलवाना।	इसके लिए दो स्तरों पर काम करना होगा – 1. हर आंगनवाड़ी केंद्र के पास 6 साल तक के बच्चों की जानकारी होती है। उस जानकारी को लेकर हर बच्चे के परिवार से संपर्क करके यह जानना कि बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज करवाया गया है या नहींय यदि नहीं करवाया तो क्यों? हमें उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करना होगी। संक्षेप में आंगनवाड़ी केन्द्रो से सम्पर्क कर 6 से 14 आयु समूह के समस्त बच्चों को कक्षा–एक में प्रवेश दिलाना। 2. अब भी कुछ बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज नहीं हैं या कुछ बसाहटें ऐसी हैं, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं हैं, वहां हमें पूरी बसाहट का घर–घर जाकर अध्ययन करना होगा ताकि हमें इस आयु वर्ग के हर एक बच्चे की जानकारी मिल सके और हम उन्हें स्कूल–शिक्षा से जोड़ सकें।
शत प्रतिशत बच्चों का नामांकन	पहले चरण में आंगनवाड़ी के रिकार्ड और घर–घर सर्वेक्षण करके हमें बसाहट/गांव/वार्ड के हर बच्चे के बारे में जानकारी इकठ्ठा कर लेना है। उस जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर बच्चे का स्कूल में नामांकन हो जाए। नामांकन होने पर स्कूल प्रशासन–पंचायत–ग्रामसभा–समुदाय की संयुक्त जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के संवैधानिक मौलिक अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए हम ग्राम वार्ड शिक्षा पंजी के लिए इकठ्ठा की जा रही जानकारी से भी जुड़ सकते हैं। विशेष रूप से यह देखिएगा कि लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हो और उनका प्राथमिकता के साथ नामांकन हो।
हर बच्चे की स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करवाना।	नामांकन तो हो गयाय यानी स्कूल के रिकार्ड में हर बच्चे का नाम दर्ज करवाना है। हमें यही अपनी भूमिका को खत्म नहीं समझ लेना है। वास्तव में इसके बाद कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। नाम दर्ज हो जाने के बाद भी कई जगहों पर आधे बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। हमें स्कूल के साथ नियमित संपर्क रखना है ताकि यह पता चलता रहे कि कौन से बच्चे स्कूल से अनुपस्थित हैं और क्यों?

हर अनुपस्थिति बच्चे की जानकारी इकठ्ठा करना है।

हर बच्चे से और उनके परिजनों से संपर्क करके जानना होगा कि वह स्कूल से अनुपस्थित क्यों है? उनकी समस्या क्या है?

हो सकता है कि ये कारण हों –

1. बच्चे को शिक्षा में रूचि नहीं बन पा रही है क्योंकि उसे किताब के पाठ समझ न आ रहे हों;
2. हो सकता है कि भाषा की दिक्कत हो;
3. हो सकता है कि उन्हें पूरी शिक्षा ही अपने परिवेश से बिलकुल अलग लगती हो और वे किताबों की बातों से बिलकुल न जुड़ पाते हों। ऐसे बच्चे जो, प्रकृति पर निर्भर समुदायों से आते हैं, उनके लिए यह शिक्षा बहुत कठिन होती है। हमारा शिक्षा प्रशासन उनकी बात को महसूस ही कर पाता है और कई बार इसी आधार पर उन्हें "पिछड़ा" करार दिया जाता है।
4. जातिगत या लैंगिक भेदभाव भी कारण हो सकता है।
5. स्कूल में शारीरिक या भावनात्मक दंड/सजा का डर हो।
6. आर्थिक सुरक्षा नहीं होने के कारण परिवार को पलायन पर जाना पड़ता हो।
7. बच्चे को भी ऐसा काम करना पड़ता हो, जिससे उसके पास स्कूल जाने का समय ही न बचता हो।
8. हो सकता है कि परिवार ने कर्ज ले रखा हो, जिसे चुकाने के लिए बच्चे को भी काम करना पड़ता हो।
9. स्कूल दूर हो या स्कूल तक पंहुचने में नदी, सड़क आदि की समस्या हो।
10. परिवार को लगता हो कि बच्चा पढकर क्या करेगा? मजदूरी ही तो करना है।
11. बाल विवाह हो रहा हो या हुआ हो।
12. भेदभाव के कारण
13. संभव है कि स्कूल जाने योग्य बच्चे परिवार में छोटे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। ज्यादातर लड़कियों को ऐसी भूमिका दे दी जाती है, जिससे वे शिक्षा से बाहर हो जाती हैं।
14. बच्चे को कोई गंभीर या स्थायी बीमारी ही।
15. विकलांगता भी एक बड़ी बाधा होती है।
16. कोई अन्य कारण।

हर बच्चे को पूरी स्कूली शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था करना यानी बच्चों की शिक्षा केवल कक्षा 8 तक ही न हो, बल्कि उन्हें कक्षा 12 तक की पूरी शिक्षा दिलवाना।	कक्षा–5वीं उत्तीर्ण होने वाले समस्त बच्चों को माध्यमिक शाला में कक्षा–6वीं में प्रवेश दिलाना। कक्षा–8वीं उत्तीर्ण होने वाले समस्त बच्चों को माध्यमिक शाला में कक्षा–9वीं में प्रवेश दिलाना। इन दोनों ही सन्दर्भों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और लड़कियों के ऊँची कक्षा में प्रवेश पर खास ध्यान देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे बीच में स्कूल न छोड़ें।
शाला त्यागी बच्चों को पुनः शाला में लाना	जब हम सघन रूप से गांव में परिवारों और बच्चों से संपर्क करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कई बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हुए हैं और वे कुछ दिन स्कूल भी गए, किन्तु फिर कुछ कारणों से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। यह ध्यान रखियेगा कि हर बच्चे के स्कूल छोड़ देने के कारण अलग–अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें हर बच्चे से बात करके उन कारणों को जानना होगा, जिनके चलते उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया।
स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता	शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी स्कूल चलो अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा की गुणवत्ता – स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हों, स्कूल नियमित रूप से लगे, हर शिक्षक प्रशिक्षित हो, स्कूल में पढ़ाई के लिए बोर्ड हो, पुस्तकालय, बैठने की साफ और अच्छी व्यवस्था, गतिविधि आधारित पढ़ाई की व्यवस्था हो, यह सब सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही जरूरी है कि हर बच्चे को उसकी पुस्तकें सही समय पर मिल जाएँ। हम पायेंगे कि शिक्षकों को बच्चों को पढाने के अलावा भी कई दूसरे सरकारी काम करने पड़ रहे हैं, सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमें ऐसी चुनौतियों को जानना–समझना और दूर करना है ताकि शिक्षकों की स्कूल में नियमित उपस्थिति बने। वास्तव में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण भी बच्चे स्कूल से दूर हो जाते हैं।
बच्चों के स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यहार और स्वच्छता के लिए हाथ धुलाई पर विशेष ध्यान	अच्छी शिक्षा से स्वस्थ व्यवहार और स्वस्थ व्यवहार से अच्छी शिक्षा का दो तरफा आपसी जुड़ाव है। मध्यप्रदेश में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमण के शिकार होते हैं और उन्हें अतिसार, निमोनिया, पेट के संक्रमण आदि का सामना करना पड़ता है। इससे वे कमजोर भी पड़ते हैं और शिक्षा में बाधा उत्पन्न तो होती ही है। स्वाभाविक है कि इलाज पर आर्थिक व्यय भी होता है। ऐसे में बच्चों की स्वास्थ्य जांच, उनकी आँखों की जांच, अच्छे स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वस्थ व्यवहार, हाथ धुलाई के महत्व पर समुदाय और बच्चों के समूह मंण लगातार बात की जाना चाहिए। बेहतर होगा कि हर 15 दिन या एक महीने में स्कूलों के साथ साथ गांव में सामूहिक चर्चा आयोजित करके स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं और स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रख कर चर्चाएं की जाएँ।

स्कूल चलें हम अभियान की रूपरेखा

1. स्कूल चलें हम अभियान चार चरणों में संचालित होना है।
2. पहले चरण में ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी (विलेज एजुकेशन रजिस्टर), समग्र शिक्षा पोर्टल और डाईस के तहत जानकारी दर्ज करके उन्हें एकीकृत किया जाएगा।
3. हमारी भूमिका है कि हम ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी में जानकारी दर्ज किये जाने की प्रक्रिया से जुड़ें।
4. गांव/वार्ड में हर बच्चे की जानकारी इकठ्ठा करने के लिए समग्र शिक्षा पोर्टल पर ग्राम और वार्ड शिक्षा पंजी का प्रपत्र रखा गया है। इस प्रपत्र में परिवार और परिवार के सदस्यों की जानकारी पहले से अंकित है क्योंकि प्रदेश के सभी लोगों को समग्र पहचान क्रमांक देने के लिए वेबसाईट पर डाटा इकठ्ठा किया जा चुका है।
5. पहले चरण में समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारियों का सत्यापन होगा और उसमें नयी जानकारी जोड़ी–घटाई जायेगी।
6. जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांवध्वार्ड का सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण समूह में होंगे –
    - गांव/वार्ड के स्कूल में प्रधान पाठ/प्रधान अध्यापक/हाई स्कूल–उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक – दल प्रभारी
    - गांव/वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता – सदस्य
    - स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता – सदस्य
    - स्कूल चलें हम/साक्षर अभियान में पंजीकृत प्रेरक – सदस्य
    - ग्राम पंचायत सचिव/नगरीय निकाय द्वारा नामांकित अधिकार – सदस्य
7. सर्वेक्षण दल हर परिवार से संपर्क करके जानकारी इकट्ठा करेगाध्जानकारी का सत्यापन और नवीनीकरण करेगा। इसमें 0 से 18 वर्ष की उम्र के किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ा या हटाया जा सकेगा।
8. 5 साल से कम उम्र के बच्चे की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विशेष रूप से ली जायेगी।
9. गांव/वार्ड की जानकारी इकठ्ठा करके समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।
10. यह काम पूरा करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक की होगी।
11. स्कूल चलो अभियान के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के सर्वेक्षण और उनके नामांकन करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

5. शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी कोशिशें

अक्सर घर से स्कूल की दूरी के कारण बच्चे, खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा बीच में ही छोड़ देना पड़ती है। इस बाधा को दूर करने के लिए बच्चों को साइकिल दी जाती है। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को गणवेश यानी यूनीफार्म भी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े। साइकिल और गणवेश के लिए बच्चों के खाते में नकद राशि जमा कराई जाती है। इसी तरह से आर्थिक समस्याएं शिक्षा के अधिकार के मार्ग में बाधा न बनें, इसके लिए बच्चों के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति के प्रावधान हैं। इन योजनाओं का संचालन मुख्य रूप से आदिवासी विकास विभाग करता है।

1. निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना

नवमी कक्षा में पंहुचने वाले ऐसे लड़के/लड़कियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है, जिनके गांव में हाई स्कूल नहीं है. यह योजना सभी वर्गों के बच्चों के लिए है.

जिम्मेदारी – सरकारी हाई स्कूल के प्राचार्य.

विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेंडरी स्टेज

विकलांग बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में अध्धाई की सुविधा उपलब्ध करवाना. इसमें उनकी जरूरतों के मुताबिक पुस्तकें, भत्ता, उपकरण, गणवेश, बाधा मुक्त विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था है.

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य.

2. छात्र वृत्ति, शिष्य वृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं

सुदामा प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना – 54 हजार रूपए से कम आय वाले परिवार के गरीब वर्ग के बच्चों (नवमीं और दसवीं में अध्ययनरत) को (छात्र को 300 रूपए और छात्र को 400 रूपए प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति जाती है.

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य.

स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्र वृत्ति – 54 हजार रूपए से कम आय वाले परिवार के गरीब वर्ग के बच्चों (दसवीं में प्रथम श्रेणी पाकर ग्यारहवीं में जाने वाले और ग्यारहवीं में प्रथम श्रेणी पाकर बारहवीं में जाने वाले) को (छात्र को 500 रूपए और छात्र को 550 रूपए प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति जाती है.

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य.

सुदामा शिष्य वृत्ति योजना – सरकारी उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रावास में रहने वाले सामान्य निर्धन वर्ग के (54 हजार रूपए से कम आय वाले परिवार) बच्चों (छात्र को 500 रूपए और छात्रा को 525 रूपए प्रतिमाह 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति.

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य.

3. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश योजना

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और हर साल दो स्कूल ड्रेस के लिए 500 रूपए दिए का प्रावधान है.

जिम्मेदारी – जिला परियोजना समन्वयक/विकासखंड स्रोत समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान.

4. गाँव की बेटी योजना

हर गांव से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए किसी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा में छात्रा ने प्रवेश किया हो, उन्हें 5 हजार रूपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जायेगी.

जिम्मेदारी – सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य

5. अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रावास और आश्रम शालाएं

इनका मकसद है आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना. इसमें प्री–मैट्रिक छात्रावास, आश्रम शालाएं, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास शामिल हैं.

न आश्रमों/छात्रवासों में रहने वाले बच्चों को शिष्यवृत्ति दी जाती है.

जिम्मेदारी – जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण

हमारी भूमिका

स्कूल चमन हम अभियान के तहत सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारी भूमिका है कि गांव/बस्ती के हर व्यक्ति, हर परिवार और हर जनप्रतिनिधि को शिक्षा के अधिकार से सम्बंधित इन योजनाओं– गणवेश, साइकिल, छात्रवृत्ति, छात्रावास के बारे बताए और इन पर गहरी चर्चा करें। हम सबको पता है कि शिक्षा के अधिकार को हासिल करने में कुछ बाधाएं हैं, ये प्रावधान और योजनाएं मार्ग में आने वाली बाधाओं को एक हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।

- हम यह पता करें कि कौन से बच्चे इन योजनाओं के पात्र हैं और उन्हें योजना का लाभ दिलाने में मदद करें।
- यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के खातों में गणवेश और साइकिल खरीदने के लिए राशि आ जाए।
- हर बच्चे का समग्र पोर्टल पर पंजीयन हो, यह सुनिश्चित करना होगा।
- आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का समुदाय के साथ भ्रमण करना और उनके बारे में जानना।
- स्कूल और छात्रावासों की सुविधाओं/व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद करना।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान और शिक्षा का अधिकार

1. वास्तव में शिक्षा का अधिकार किसी एक सरकारी विभाग की जिम्मेदारी में नहीं आता है। वास्तव में यह व्यापक मानव विकास का विषय है, जिसमें व्यापक भूमिकाओं पर स्पष्टता होना जरूरी है। मध्यप्रदेश में चल रहे कार्यक्रमों के तहत यह तय किया गया कि ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी की जानकारी के आधार पर समुदाय और सरकार में चर्चा हो और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना सुनिश्चित करने का साझा लक्ष्य तय हो।

2. मध्यप्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के नामांकन और उनकी स्कूल में उपस्थिति पर चर्चा की जायेगी।

3. **लगातार एक महीने तक शाला से अनुपस्थित रहने वाले या पिछले तीन महीनों में 20 प्रतिशत से कम औसत उपस्थिति वाले बच्चों को शाला से बाहर के बच्चों की श्रेणी में रखा गया है।**

4. उपस्थिति को बढ़ाने के लिए उन बच्चों की समस्याएं दूर किये जाने की जरूरत होगी। यह पता किया जाएगा कि समस्या क्या है?

5. इसके साथ ही शाला से बाहर के बच्चों की शिक्षा और उनका शाला में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए "दस्तक अभियान" भी चलाया जा रहा है। स्कूल से बाहर के बच्चों को आवासीयध्गैर–आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उनकी उम्र के मुताबिक कौशल और दक्षताओं को पहचानते हुए उन्हें शाला से जोड़ा जाना है।

6. इसी दौरान यह भी जांचा जाएगा कि स्कूल की जमीन पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है। यदि अतिक्रमण है, तो उसे हटाया जाएगा।

6. सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारी भूमिका

मुख्य बिंदु	कैसे करें?
पूर्वाग्रही न हों	हम पूर्वाग्रहों से से मुक्त हों, किसी समुदाय की छवि बनाकर, अगड़ा–पिछड़ा वर्गीकरण बनाकर पहल न करें।
बात सब तक पंहुचे	गांव/बस्ती/वार्ड में एक ऐसा अभियान चले कि समुदाय के हर व्यक्ति तक बच्चों के शिक्षा के अधिकार का सन्देश पंहुचे। आपको खुद यह जांचना है कि शिक्षा के अधिकार, स्कूल चालों अभियान और स्थानीय शाला के बारे में सभी जानकारियां हर एक व्यक्ति तक पंहुच गयी हैं।
पालकों से संवाद	बच्चों के माता–पिता और पालकों से संवाद करके यह सुनिश्चित करना कि हर पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो।
शालात्यागी बच्चों के पहचान और उन्हें सहयोग करना	जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य हुए हैं, उनके कुछ बड़े कारण होंगे, उन कारणों को जानें और उन परिवारों की मदद करें।
शिक्षा से जुड़ने का उत्सव	शाला में प्रवेश उत्सव के आयोजन में जिम्मेदारी जरूर लें ताकि समाज के हर वर्गों की पूरी सहभागिता हो, शिक्षकों को सभी लोग पहचान लें, स्कूल में यदि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, तो उसके बारे में एक व्यवहारिक कार्य योजना बन जाए।
सबको स्कूल दिखाना और जोड़ना	शाला में प्रवेश योग्य बच्चे को शाला में लाना। उसके साथ उसके माता–पिता–पालक भी हों। उन्हें स्कूल दिखाया जाए और बताया जाए कि वहां क्या–क्या होता है और कौन–कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
दूरी के कारण शाला त्याग करने वालों के लिए योजना	यह देखना कि कहीं पांचवीं और आठवीं कक्षा के बाद बच्चे स्कूल तो नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि माध्यमिक, और उच्चतर माध्यमिक स्कूल दूर होने के कारण बच्चे स्कूल छोड़ रहे हों ऐसे में हमें यह सुनिचित करना है कि उन्हें मध्यप्रदेश सरकार की साइकिल प्रदाय योजना के तहत बिना परेशान हुए साइकिल मिले।
सबसे वंचित पर सबसे ज्यादा ध्यान	यह जरूर देखें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नहीं हैं!
हर बच्चे और उसके परिवार से गहरा परिचय	अपने को गांव, बस्ती, बसाहट के हर बच्चे के बारे में पूरी जानकारी इकठ्ठा करना है; जैसे – आर्थिक, सामाजिक स्थिति, रोजगार, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति आदि।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	सरल भाव से हर परिवार से जुड़ते हुए हम यह भी जानें कि कोई बच्चा किसी भी तरह की विकलांगता से प्रभावित तो नहीं है या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा तो नहीं है? विकलांगता के कारण वह शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नहीं है आदि। ऐसे बच्चों के लिए हमें थोड़े ज्यादा सघन प्रयास करने होंगे।

समुदाय में हर एक को छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताना	सभी बच्चों को शिक्षा का हक मिले इसके लिए कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं। अपने गांव, बस्ती, वार्ड में हम यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को उसकी पात्रता के मुताबिक छात्रवृत्ति का लाभ मिले। यह लाभ उसके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
आजीविका की असुरक्षा, पलायन और शिक्षा का अधिकार	हमें ऐसे परिवारों की पहचान करना है, जो साल के कुछ महीने रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार का अक्सर हनन होता है। यदि गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का सही क्रियान्वयन हो, हर आदिवासी परिवार को वन अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत वन अधिकार मिलें, गुणवत्तापूर्ण लोक–स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और कृषि की स्थानीय व्यवस्था बन सके, तो बहुत हद तक पलायन रुक सकता है। इससे बच्चों के शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सन्दर्भ में कोशिशें करना होंगी।
लड़कियों की शिक्षा	गांव/बस्ती/समुदाय की हर बच्ची स्कूल में दर्ज है और नियमित रूप से से स्कूल जा रही है।

1. मैदानी कार्य को मापना

स्थिति /विषय/ चुनौती	कैसे कर सकते हैं और कैसे जांच सकते हैं
स्कूल चलो अभियान से जुडना	स्कूल चलो अभियान के बारे में गांव/बस्ती/समुदाय में चर्चा करना
गांव/बसाहट में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की कुल संख्या कितनी है?	गांव शिक्षा पंजी और सर्वे के द्वारा
6 से 14 वर्ष की उम्र के कितने बच्चे स्कूल में नामांकित हुए?	स्कूल के रिकार्ड के द्वारा
6 से 14 वर्ष की उम्र के कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं?	गांव शिक्षा पंजी, स्कूल के रिकार्ड और हमारे सर्वे के द्वारा
6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं?	गांव शिक्षा पंजी, स्कूल के रिकार्ड और हमारे सर्वे के द्वारा
शाला प्रबंधन समिति का गठन हुआ और सभी सदस्यों को उनकी भूमिका और अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी है?	शाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों का प्रशिक्षण और निरंतर संवाद। समिति से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों पर बार–बार बात करना।
स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे	यह जानकारी इकठ्ठा करना कि कौन से बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति के क्या कारण है? इसके आधार पर उन परिवारों को प्रेरित करना और समस्याओं को दूर करने में मदद करना।
गांव/बस्ती में पलायन करने वाले परिवार कौन से हैं?	उनसे संवाद करना और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत और स्कूल–शिक्षा प्रशासन से संवाद करना।

शाला प्रबंधन समिति का गठन हुआ और सभी सदस्यों को उनकी भूमिका और अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी है?	शाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों का प्रशिक्षण और निरंतर संवाद। समिति से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों पर बार–बार बात करना।
स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे	यह जानकारी इकठ्ठा करना कि कौन से बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति के क्या कारण है? इसके आधार पर उन परिवारों को प्रेरित करना और समस्याओं को दूर करने में मदद करना।
गांव/बस्ती में पलायन करने वाले परिवार कौन से हैं?	उनसे संवाद करना और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत और स्कूल–शिक्षा प्रशासन से संवाद करना।
स्कूल की ढांचागत व्यवस्थाओं को अच्छा और सौन्दर्यपूर्ण बनाना	स्कूल की स्थिति का एक सर्वे करके देखना कि वहां – 1. कमरों की स्थिति क्या है? कमरे पर्याप्त हैं कि नहीं? 2. शौचालय की स्थिति क्या है? लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं? 3. कहीं कोई टूट–फूट तो नहीं है? 4. खेल का मैदान है और अच्छी स्थिति में है? 5. बाउंड्री वाल है और अच्छी है? 6. पीने के साफ पानी की व्यवस्था है? 7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पंहुच आसान है? 8. मध्यान्ह भोजन योजना के तहत रसोईघर बना है तथा अच्छी स्थिति में है? 9. कोई अन्य बिंदु किसी भी तरह के सुधार के लिए शाला विकास योजना बनाना और उसके तहत कार्यवाही करने के लिए समुदाय–प्रशासन को प्रेरित करना।
हर रोज स्कूल का खुलना, शिक्षकों का समय पर आना, 7 घंटे पढ़ाई होना, छात्र और शिक्षक अनुपात सही होनाय	स्कूल भ्रमण करके, बच्चों से बातचीत और रिकार्ड देखकर।
शिक्षण सामग्री की उपलब्धता है या नहीं?	शिक्षकों और बच्चों से संवाद करके और स्कूल का अवलोकन करके।

अपने काम और अनुभवों के आधार पर आप अपने मैदानी काम की दस पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

इसमें आप यह बता सकेंगे कि स्कूल चलें हम अभियान में –

- आपने क्या भूमिका निभाई, आपके सामने क्या चुनौतियां आयीं?
- आप उनसे कैसे निपटे, आपने क्या सीखा?
- आपने समुदाय को बच्चों के शिक्षा के अधिकार के पक्ष में कैसे एकजुट और लामबंद किया?
- और आपकी इस पहल के परिणाम क्या रहे?

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

अ. पृष्ठभूमि

बच्चों की सुरक्षा की जरूरत कब?

बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों को बंधुआ रखना, बच्चों से भीख मंगवाना, उन्हें प्रताड़ित करना, उनका लैंगिक उत्पीडन, बच्चों का अकेले या अनाथ होना, उनका बेघर होना या घर से भाग जाना, बच्चों को शारीरिक मानसिक दंड देना, बच्चों को खरीदना या बेचना, जिसे मारने या क्षति पंहुचने की धमकी दी गयी हो, जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक–शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हो, बच्चों से नशीले सामान का परिवहन करवाना, बच्चों को नशा करने के लिए प्रेरित या मजबूर करना आदि

कानून तोड़ने वाले बच्चे मतलब ?

जब कोई भी व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चोरी, मारपीट, तस्करी, लैंगिक उत्पीडन, बलात्कार, हत्या या अन्य कोई ऐसे कामों मं संलग्न पाया जाता है, जो हमारे कानून के हिसाब से अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन बच्चों को कानून तोड़ने वाले बच्चे (विधि विवादित) माना जाता है। इस तरह के बच्चों के मामलों की सुनवाई बच्चों की अदालत या किशोर न्यायिक बोर्ड करता है।

बच्चों के संरक्षण और देखभाल की पहली जिम्मेदारी समाज की है। जब बच्चे वहाँ असुरक्षित हो जाते हैं, तब कानून की जरूरत पड़ती है। किसी भी गांव, बस्ती या शहर की परिस्थितियों मे बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, किसी भी उतार–चढ़ाव से सबसे ज्यादा प्रभावित और असुरक्षित बच्चे होते हैं।

अक्सर हमें असुरक्षित स्थितियों में बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन हम इनकी क्या और कैसे मदद कर सकते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। बच्चे हमें होटल में, मैकेनिक की दुकान, समारोहों में, शादियों में रोशनी का बोझ उठाये और रेल्वे स्टेशन सरीखी कई जगहों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। शायद इन बच्चों और इनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्हें बाल श्रम करने या शोषण के जाल में फंसने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह हमारे गांवों, शहरों, बस्तियों में महाकुम्भ, इजित्मा, शिवरात्रि मेले, स्थानीय सांस्कृतिक मेले, व्यावसायिक मेले सरीखे कई छोटे–बड़े आयोजन होते हैं। इन छोटे–बडे आयोजनों में स्थानीय एवं अन्य बाहरी क्षेत्रों के लोग भागीदारी करते हैं। इनमें बुजुर्ग, बच्चे और महिलायें पूरी श्रृद्धा और उल्लास के साथ शामिल होते हैं।

मौजूदा सामान्य में सामान्य तौर पर और इन आयोजनों में भी कतिपय तत्वों के सक्रिय होने से बच्चों के भीख मांगने, बाल तस्करी, बाल शोषण, बाल मजदूरी, उत्पीडन आदि समस्याओं के बढ़ने की भी आशंका होती है। ऐसे में समाज के सजग समूह के रूप में इन विपरीत

परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैंय ताकि हमारे गांव, शहर, बस्ती और समाज बाल अनुकूल बने।

इसके साथ की विपरीत परिस्थितियों में फंसकर बच्चे गैर–कानूनी काम भी करने लगते हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तब सवाल यह उठता है कि क्या उनके साथ कानून और कानूनी व्यवस्था को ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वयस्कों के साथ किया जाता है या फिर बच्चों के साथ व्यवहार बदलना चाहिए। क्या उन्हें भी वही सजा मिलेगी, जैसी वयस्कों या आदतन अपराधियों को मिलती है! इन सवालों का कानूनी जवाब हमें किशोर न्याय अधिनियम (2000 और 2015) में मिलता है।

- बच्चों के साथ अपराध होते हैं, उनका शोषण भी होता है.....
- बच्चे किन्ही परिस्थितियों में कानून विरोधी काम कर सकते हैं.......
- बच्चे असंरक्षित होते हैं और आशंका होती है कि उनका शोषण हो.......
- बच्चे ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, जहाँ वे अधिकारों वंचित होते हैं.........

इन बच्चों के लिए जो कानूनी व्यवस्था है, उसकी चर्चा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पर आधारित इस मैदानी कार्यपुस्तिका में है!

1. यह कानून क्यों?

बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए सन् 2000 में यह कानून लाया गया था, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किये गए और नया किशोर न्याय अधिनियम 2015 अस्तित्व में आया।

ये कानून संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाल अधिकार घोषणा पत्र–1989ˢ के परिपालन एवं उसके अनुशासित मानकों को ध्यान में रख कर लाया गया। इसका मकसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 39 (ई) तथा (एफ), 45 एवं 47 में वर्णित उद्देश्यों का परिपालन करना भी था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा तथा ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनका पुनर्वास एवं संरक्षण करना रहा है। अधिनियम में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यों को वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों से भिन्न मानकर, उन्हें संवेदनापूर्वक देखा जाए एवं निर्णय भी उसी आधार एवं बच्चे के उत्थान हेतु लिए जाएँ।

बच्चे की परिभाषा

इस कानून में "बच्चा या किशोर" उसे माना गया है, जिसनें 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है (धारा 2(12))।

यह कानून तीन सन्दर्भों में बच्चों के अधिकार संरक्षित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है –

क. जिन बच्चों को देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना।

ख. जिन बच्चों ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उसने संबधित कानूनी कार्यवाही करना। यह कार्यवाही बाल केंद्रित हो।

ग. जिन बच्चों के समाज में पुनर्वास की जरूरत है, उन्हें समाज से जोड़ना।

विधि विवादित बच्चों के लिए कानूनी और न्यायिक पहल

धारा 2 (13) के मुताबिक विधि विवादित बच्चे उन्हें माना जाता है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है।

विधि विवादित (कानून का उल्लंघन करने वाले) बच्चों के लिए प्रक्रिया

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया हो, इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा पकड़ने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड (Juvenile Justice Board) के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीन सदस्यीय किशोर न्यायिक बोर्ड में 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला आवश्यक) होते हैं।

बच्चों को जमानत पर छोड़कर घर भेजने का प्रावधान भी है, परन्तु अगर जमानत नहीं दी जाती है तो बच्चे को सम्प्रेषण गृह में रखा जाएगा और वहीं उससे पूछताछ भी होगी। सम्प्रेषण गृह में अधिकतम 4 माह के लिए रखा जा सकता है।

किशोर न्यायिक बोर्ड द्वारा बच्चे के संस्थागत देखभाल के आदेश दिए जाते हैं तो बच्चे की पूछताछ पूरी होने के बाद यह लगता है कि बच्चे के द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है जिसे हम विधि का उल्लंघन कह सकते हैं तो उसे विशेष गृह में रखा जाएगा।

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए कानूनी और न्यायिक पहल

धारा 2 (14) के मुताबिक देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे वे हैं जिनका या जो –

- जिसका कोई घर नहीं हो या ऐसी जगह पर रह रहा हो, जहाँ जीवन गुजर के बुनियादी साधन न हों।
- जो भीख मांगता हो या सड़क पर रहता हो।
- जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता हो जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो।
- किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण पालक या अन्य कोई जिसके साथ बच्चा रह रहा हो, वह उसका पालन करने में असमर्थ हो।
- घर से भाग गया हो या गुम गया हो।
- जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है, जो किसी अन्य बच्चे की हत्या कर चुका हो, शोषण कर चुका हो, उपेक्षा कर चुका हो।
- जिसे उसके पालक या अन्य कोई जिसके साथ बच्चा रह रहा हो, उसने छोड़ दिया हो।
- जिसे सताया या यातना दी जा रही हो या जो नशे की जगह पर हो।
- मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो।
- किसी हथियारबंद संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक/नागरिक टकराव से प्रभावित/पीड़ित हो।

- जिसके साथ कोई शोषण होने, चोट पंहुचाये जाने की आशंका हो। (इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि बच्चे के साथ कोई अपराध हो ही चुका हो, तब कानून कोई पहल करेगा; यह कानून कहता है कि यदि बच्चे के साथ कुछ गलत होने की आशंका है, तब भी कानून पहल करेगा और बच्चे के अधिकार सुनिश्चित करेगा।)
- जिसे उसके माता–पिता–पालक त्याग दिए हों।
- जिसके किसी भी कारण से बेचे जाने या शोषण किये जाने या नशे की लतध्नशे से सम्बंधित कृत्य में फंसाए जाने या बच्चे का दुरूपयोग किये जाने की संभावना हो।
- जिसकी कम उम्र में शादी हो रही हो या शादी कर दिए जाने की संभावना हो।

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रक्रिया

1. देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे इस दायरे में आते है। ऐसे बच्चों की जानकारी मिलने के 24 घंटों के भीतर उसे बच्चे को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। सीडब्ल्यूसी में 5 सदस्य होते है। बाल कल्याण समिति की बैठक सप्ताह में दो या तीन बार बालगृह या सरकार द्वारा नियत किसी स्थान पर होती है।
2. बाल कल्याण समिति खोये बच्चे को उसके परिवार को सौंपने या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने का कार्य करती है। दो साल से कम उम्र के बच्चे को जिसके पालकों की तलाश नहीं हो पा रही है बाल कल्याण समिति बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। वह उसे गोद देने या किसी ऐसे संस्था को सौपेगी जो गोद देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिकृत हो।
3. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अनुसार 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिसके पालक की तलाश हो गयी हो पर वे बच्चे को पालने में असमर्थ हो तो ऐसे बच्चे को बाल गृह में रखा जाएगा तथा बाल कल्याण समिति आगे उसके बारे में फैसला करेगी।
4. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चे जिसके पालक उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा और उनके बारे में निर्णय बाल कल्याण समिति लेगी।

2. ढांचागत व्यवस्थाएं

राज्य बाल संरक्षण समिति – हर राज्य सरकार राज्य के स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन करेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई – कानून के धारा 106 के तहत हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई का का गठन किया जाए।

यह राज्य बाल संरक्षण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई दोनों ही किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इकाई है। बाल संरक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना, उनका रख रखाव, अन्य संस्थाओं से समन्वय आदि सुनिश्चित करना इनकी मुख्य भूमिकाएं हैं।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी – धारा 107 के तहत हर पुलिस थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी (सहायक उप निरीक्षक स्तर का) ऐसा होगा, जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएगा, जो इस कानून के तहत बच्चों के संरक्षण के मामलों पर तय कार्यवाही करेगा।

विशेष किशोर पुलिस इकाई – राज्य सरकार बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित मामलों पर समन्वयित कार्यवाही के लिए हर जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करेगी। इसकी जिम्मेदारी पुलिस उप–अधीक्षक स्तर के अधिकारी को दी जायेगी। इसमें रेलवे पुलिस भी शामिल है।

प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन होना आवश्यक है। यह आम पुलिस से अलग बच्चों के लिए विशेष रूप से गठित इकाई है, जिसका कर्तव्य बच्चों को सहायता प्रदान करना एवं अधिनियम अनुसार बच्चों को सही जगह पहुँचाना है। इस इकाई को चाइल्ड लाइन तथा ऐसी संस्थानों से जो बच्चों के हित में काम करती है, से भी संपर्क स्थापित करना आवश्यक है, ताकि उनकी अधिक से अधिक पहुँच बन पाए।

इसी इकाई के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक बाल या किशोर कल्याण अधिकारी का होना भी आवश्यक है, जो इस अधिनियम के तहत आये मामलों में कार्य करेगा और वह विशेष किशोर पुलिस इकाई का सदस्य होगा।

इस इकाई की भूमिका के तहत बच्चों द्वारा किये अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लिखना या उन्हें दैनिक रजिस्टर में लिख कर उस पर कार्य करना शामिल है, मामलों की विशेष जाँच कर रिपोर्ट तैयार करना साथ ही देखभाल एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद करना है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में कोई भी बच्चा मिले तो हम विशेष किशोर पुलिस इकाई से भी संपर्क कर सकते हैं।

1098 (फोन नंबर) चाइल्ड लाइन[2] – चाइल्ड लाइन भारत के सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे मुफ्त सहायता सेवा है। इसका उपयोग टोल फ्री नंबर 1098 लगा कर किया जा सकता है। इसकी पंहुच फिलहाल भारत के 81 शहरों तक है। इसकी मदद 0–18 वर्ष के बच्चों के लिए ली जा सकती है। यह सेवा हर तरह के विपरीत परिस्थियों में रह रहे बच्चों के लिए उपयोग में ली जा सकती है।

3. किशोर न्यायिक बोर्ड और बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय अधिनियम के तहत दो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी हुई हैं। ये हैं किशोर न्यायिक बोर्ड और बाल कल्याण समिति।

किशोर न्यायिक बोर्ड मुख्य रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों में प्रक्रिया चलाने और कार्यवाही करने के लिए गठित हैय तो वहीं दूसरी और बाल कल्याण समिति की जिम्मेदारी है कि वह देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से सम्बंधित मामलों में प्रक्रिया चलाए और कार्यवाही करे।

किशोर न्यायिक बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड)

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के मुताबिक राज्य सरकार हर जिले में एक या जरूरत पड़ने पर एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड स्थापित करेगी। यह बोर्ड मुख्य रूप से उन बच्चों के

[2] धारा 2 (25)– चाइल्डलाइन सेवाएं मतलब चौबीस घंटे उपलब्ध ऐसी आपातकालीन पंहुच सेवा जिसका मकसद विपत्ति में फंसे बच्चों से संपर्क कराती है या दीर्घावधि देखरेख और पुनर्वास की व्यवस्था करवाती है।

मामलों में अपने अधिकार का उपयोग करती है, जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है या जो किसी अपराध का आरोपी हैं।

किशोर न्यायिक बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो), जिनके पास तीन साल का अनुभव हो, होते हैं। इनके साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बोर्ड में होते हैं। बोर्ड के सदस्यों में एक महिला जरूर होना चाहिए।

बोर्ड की मुख्य भूमिकाएं

क. किसी भी मामले की प्रक्रिया में बच्चे और उसके पालकों को सूचना देना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।

ख. यह तय करना कि हर परिस्थिति में (गिरफ्तारी, जांच, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास) में बच्चे के अधिकारों की रक्षा हो।

ग. बच्चे को पूरी कानूनी सहायता मिले।

घ. यदि बच्चे को भाषा समझ न आये, तो अनुवादक या दो भाषा जानने वाले का सहयोग ले।

ङ. सामाजिक अन्वेषण करवाए।

च. जरूरत पड़ने पर बाल कल्याण समिति से समन्वय करे।

छ. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया चलाना।

ज. यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को वयस्कों की जेल में न रखा जाए और उन्हें सम्पेक्षण गृह में स्थानांतरित किया जाए।

बाल कल्याण समिति

इसका गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक राज्य के हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति का दायित्व देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के पुनर्वास एवं उत्थान के लिए काम करने का है।

इस समिति में 5 लोग होंगे, इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। समिति की बैठक सरकार द्वारा नियत किसी स्थान पर होती है। जिसके लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते है। हर बच्चा जिसे देखभाल की आवश्यकता है उसे समिति के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

समिति के समक्ष भारत का सामान्य नागरिक, पुलिस, चाइल्डलाइन, कोई भी संस्था बच्चे के पक्ष में या फिर बच्चा स्वयं प्रस्तुत हो सकता है।

समिति का कार्य बच्चों की मूलभूत जरूरतें पूरी करना एवं बच्चे को संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करना है।

समिति की मुख्य भूमिकाएं

क. उसके सामने पेश किये गए बच्चों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना।

ख. बच्चों की सुरक्षा और भलाई से सम्बंधित और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना।

ग. देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों की देखरेख करने के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा के लिए जांच करना।

घ. पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) के लिए किसी बच्चे के स्थनन के लिए निर्देश देना।

ङ. बच्चों के सही और उचित पुनर्वास और प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना।

च. बच्चे की जरूरत और स्थिति के मुताबिक रजिस्ट्रीकृत संस्था का चयन करना।

छ. जिन आवासों में बच्चे रहते हैं, महीने में कम से कम दो बार वहां का भ्रमण करना।

ज. खोये हुए या परित्यक्त बच्चों का परिवार में प्रत्यवार्तन करवाना।

झ. ऐसे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों की घोषणा करना, जो गोद दिए जाने के लिए वैध हैं।

ञ. लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास की कार्यवाही करना।

ट. पुलिस, श्रम विभाग और अभिकरणों के साथ समन्वय।

ठ. बच्चों को पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना।

4. बच्चों के लिए बनी संस्थाएं या गृह

देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के लिए शिशु गृह – देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के मिलने पर उन बच्चों को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। बाल कल्याण समिति खोये बच्चों को जांच की प्रक्रिया के बाद उसके परिवार को सौंपने या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने का कार्य करती है। यदि बच्चा 6 साल से कम उम्र का है तो बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चे को शिशु गृह में रख उसके पालकों की तलाश करती है। पालक के मिलने पर जांच के बाद बच्चे को पालक को सौप दिया जाता है। यदि पालक नहीं मिलते हैं तो बाल कल्याण समिति उस बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया का पालन करती है।

देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के लिए बाल गृह – सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जिसके पालक की तलाश हो गई हो पर वे किन्ही कारणों से बच्चे का पालन–पोषण करने में असमर्थ है या फिर बच्चे के पालक का पता नहीं चल पा रहा हैय ऐसी हालत में बच्चे को बाल कल्याण समिति बाल गृह में रखकर उसकी सारी मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है। यहाँ पर यह बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक रहेगा।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए संप्रेक्षण गृह – जिन बच्चों ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, ऐसे बच्चे को किशोर न्यायिक बोर्ड अस्थायी रूप से तब तक संप्रेक्षण

गृह में रखेगा, जब तक कि उस बच्चे से संबन्धित कोई जांच लंबित रहती है या फिर उसकी जमानत नहीं हो जाती।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए विशेष गृह – जांच के दौरान यह सिद्ध होता है कि बच्चे से कोई ऐसी गलती हुई है जो कानून के विरुद्ध हैय उन हालातों में किशोर न्यायिक बोर्ड के आदेश पर बच्चे को देखरेख, उपचार एवं पुनर्वास के लिए विशेष गृह भेज दिया जाएगा।

देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के लिए पश्चातवर्ती गृह – विशेष गृह और बाल गृह में रह रहे बच्चों के इन गृहों के छोड़ने या बच्चे की उम्र 18 साल हो जाने पर यदि कोई परिवार लेने नहीं आता है तो ऐसे बच्चों की देखदेख के लिए पश्चातवर्ती गृह भेज दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों को सशक्त बनाने और संस्थागत जीवन से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श दिया जाता है।

मानवीय मूल्य और कानून, दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी स्थिति में बच्चों को गृहों–संस्थाओं में प्रताड़ित, अपमानित नहीं किया जाएगा।

5. बच्चे और पुलिस

पुलस की भूमिकाएं	
सन्दर्भ – विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे	**सन्दर्भ – देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे**
किसी भी स्थिति में यह आवश्यक है कि पुलिस बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखे। ऐसे किसी भी अपराध में जिसमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक की सजा है, में ही पुलिस कार्यवाही कर सकती है उससे छोटे अपराध में नहीं।	**ऐसे किसी भी बच्चे को जिसे पुलिस ने कहीं से छुडवाया हो या कहीं से पुलिस के पास आया हो, उसे आगे की कार्यवाही के लिए विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपना आवश्यक है।**
भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष से कम हो पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	**अगर बाल कल्याण समिति की बैठक नहीं हो रही हो तो बच्चे को थाने में नहीं रखकर आश्रय गृह में रखना होगा या चाइल्ड लाइन से संपर्क कर मदद लेनी होगी।**
किसी भी पुलिस द्वारा अगर बच्चे को अभिरक्षा में लिया जाता है तो उसे तुरंत विशेष किशोर पुलिस इकाई या इस काम के लिए	**जब तक बच्चा विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी तब तक उसके भोजन आदि जरूरतों की जवाबदारी उस अधिकारी की है।**

पदस्थ विशेष पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करना आवश्यक है, साथ ही उसके पालक को इसकी खबर देना भी। उसके बाद बच्चे पर लगे आरोपों को आसान भाषा में बच्चे को समझाना आवश्यक है। सम्बंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देना भी आवश्यक है ताकि वह बच्चे की संपूर्ण पृष्ठ–भूमि जानकर जरूरी तथ्य जुगाड़ सके, इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की यातना देना मना है। यह भी आवश्यक है कि पुलिस सादे कपड़ों में रहे, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाए और अगर बच्चा किसी को फोन कर जानकारी देना चाहे तो उसे देने दें। साथ ही बच्चे के इलाज एवं भोजन की उचित व्यवस्था भी करे। किसी लड़की को रात में पुलिस इकाई में नहीं रख सकती और अगर ऐसी जरूरत हो तो उसे एक महिला पुलिस के साथ रखा जाए। केवल गंभीर प्रकृति के अपराधों में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना होगी, मतलब ऐसे मामले जिनमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। अन्य मामलों में सिर्फ दैनिक डायरी में जानकारी दर्ज किया जाएगा।	ऐसा कोई बच्चा जिसे छोड़ दिया गया हो को विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करनी होगी। बुनियादी काम होने के बाद विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बाल कल्याण समिति द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा।

6. कानूनी व्यवस्थाएं

विधि विवादित बच्चों के लिए कानूनी व्यवस्था

किसी भी विधि विवादित बच्चे यानी ऐसा बच्चा जिसने किसी कानून का उल्लंघन किया है या कानून विरोधी काम किया है, उसे पकडे जाने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

बाल केंद्रित नजरिए से न्याय की प्रक्रिया चले, इसके लिए सबसे पहले बोर्ड यह जानकारी लेकर संतुष्टि सुनिश्चित करेगा कि बच्चे के साथ पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है। यदि ऐसा हुआ है, तो बोर्ड इस पर सुनिश्चित कार्यवाही करेगा।

सुनवाई की प्रक्रिया एक सहज वातावरण में संचालित होगी।

हर बच्चे, जिसके खिलाफ सुनवाई हो रही है, को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही जांच की प्रक्रिया में उसकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

छोटे अपराधों की स्थिति में

धारा 14 (5) के तहत छोटे अपराधों की स्थिति में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रक्रिया चला कर किशोर न्यायिक बोर्ड विधि सम्मत और बाल अनुकूल निर्णय ले सकता है।

जघन्य अपराध की स्थिति में

जघन्य अपराध उसे माना गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य प्रचलित कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है।

ऐसे अपराध की स्थिति में यदि बच्चे की उम्र 16 साल से कम है, तब उसके बारे में पूरी प्रक्रिया चलाने और निर्णय लेने का अधिकार किशोर न्यायिक बोर्ड को दिया गया है।

धारा 15 के तहत यदि किसी जघन्य अपराध की स्थिति में विधि विवादित बच्चे यानी कानून तोड़ने वाले बच्चे की उम्र 16 से ज्यादा किन्तु 18 साल से कम है तब किशोर न्यायिक बोर्ड बच्चे की ऐसा अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता को मापने के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन करेगा। इस मूल्यांकन में यह भी जांचने की कोशिश की जायेगी कि क्या बच्चा उस अपराध के परिणामों को समझा पा रहा था या नहींय साथ ही उन परिस्थितियों को भी जांचा जाएगा, जिनमें वह अपराध किया गया। इस मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ले सकता है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस प्राथमिक मूल्यांकन का मतलब जांच–परीक्षण नहीं है। यह मूल्यांकन 3 माह की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए।

यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट होता है कि मौजूदा परिस्थितियों और मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर प्रकरण का निराकरण उसे ही (बोर्ड को) करना चाहिए, तब आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया चला सकता है।

जघन्य अपराध की स्थिति में किशोर न्यायिक बोर्ड के द्वारा कराये गए प्राथमिक मूल्यांकन की रिपोर्ट आने के बाद विशेष बाल अदालत[3] (जिसे नियुक्त किये जाने का प्रावधान बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 में किया गया है। यदि इन्हें नियुक्त नहीं किया गया है तो सत्र न्यायालयों को इस कानून के तहत परीक्षण करने का अधिकार है।) उस प्रकरण में भूमिका निभाएगी। बाल अदालत यह देखेगी कि क्या उस बच्चे के प्रकरण में उस तरह के "परीक्षण" की जरूरत है, जिस तरह का परीक्षण वयस्कों के द्वारा किये गए अपराध की स्थिति में किया जाता हैय तब अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बाल अनुकूल माहौल में परीक्षण के उपरान्त आदेश पारित करेगी।

यदि अदालत को यह महसूस होता है कि उस प्रकरण में वयस्कों की तरह परीक्षण की जरूरत नहीं है और किशोर न्यायिक बोर्ड ही जांच के लिए उपयुक्त है, तब वह जरूरत के मुताबिक आदेश पारित करेगी।

यदि अदालत में बच्चे के प्रकरण का परीक्षण होता है, तब अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि उसके आदेश में बच्चे के व्यक्तिगत पुनर्वास की कार्ययोजना भी शामिल हो। जिसकी निगरानी जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया और आदेश के उपरान्त बच्चे की सुरक्षा और बेहतर माहौल देने की व्यवस्था की जायेगी।

किसी भी स्थिति में बच्चे के प्रकरण में अदालती प्रक्रिया किसी वयस्क के साथ संचालित नहीं होगी।

सजा – किसी भी बच्चे को किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड और आजीवन कारवास की सजा नहीं दी जा सकती है।

कौन सुनवाई करेगा ?

1. ऐसे अपराध में, जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां अपराध को संज्ञेय, गैर–जमानती और बाल अदालत द्वारा परीक्षण योग्य माना जाएगा।
2. ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, वहां अपराध को संज्ञेय, गैर–जमानती और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा परीक्षण योग्य माना जाएगा।

[3] बच्चों के लिए विशेष अदालतों का गठन–अधिनियम की धारा 25 में बच्चों के विरुद्ध किये गए अपराधों एवं बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों को सुनने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है जिसका गठन राज्यों द्वारा जरुरत के आधार पर किया जा सकता है। साथ ही इन विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति का भी प्रावधान है ।

3. ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से कम की सजा या आर्थिक दंड का प्रावधान है वहां अपराध को असंज्ञेय, जमानत योग्य और किसी भी दंडाधिकारी द्वारा परीक्षण योग्य माना जायेगा।

बच्चों के खिलाफ होने वाले कुछ अन्य अपराध और कानूनी प्रावधान

नियोक्ता द्वारा शोषण – यदि किसी बच्चे को काम करवाने के लिए बंधुआ के रूप में रखा जाता है और उसका पारिश्रमिक या वेतन नियोक्ता द्वारा अपने पास रखा जाता है या नियोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, उस स्थिति में शोषण करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की जेल और एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

देखरेखकर्ता द्वारा शोषण – यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो बच्चे को अपने नियंत्रण में रखता है, उसके द्वारा उस बच्चे के साथ किसी भी तरह का शोषण किया जाता है, जिससे उसकी शारीरिक–मानसिक प्रताड़ना होती है, उस व्यवहार को अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में 5 साल तक की सजा और 5 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। यदि ऐसे में बच्चे के साथ इतना गंभीर शोषण हो कि उसकी कोई क्षमता खो जाए, तब सजा 10 साल और जुर्माना 5 लाख रूपए तक हो सकता है।

भीख मंगवाना – यदि कोई किसी बच्चे को भीख मंगवाने के लिए रखता है, तब 5 साल की सजा और 1 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अंग काट दिया जाता है या विकलांग बना दिया जाता है, तब 10 साल तक की सजा और 5 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बच्चे को नशा देना – यदि कोई किसी बच्चे को नशा (शराब, तम्बाकू, नशीले पदार्थ या नशीली दवाएं) देता है या दिलवाता है या बिना चिकित्सक के मार्गदर्शन में मानसिक अवस्था के प्रभावित करने वाली दवाएं देता है, उस स्थिति में 7 साल की सजा और एक लाख रूपए का जुर्माना हो सकता है।

नशीले पदार्थों, शराब आदि की तस्करी–परिवहन के लिए बच्चों का इस्तेमाल– यदि नशीले सामान की तस्करी के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, तब सात साल की सजा और एक लाख रूपए का जुर्माना हो सकता है।

बच्चों की पहचान का गोपनीय रहना – कोई भी अखबार, मीडिया, पत्रिका, दृश्य–श्रृव्य माध्यम या संचार के किसी भी साधन के जरिये किसी भी ऐसे बच्चे की पहचान या जांच की प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की जायेगी, जो देखरेख और संरक्षण या फिर विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे की श्रेणी में आता है। उसका नाम, पता, स्कूल का नाम या कोई ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जायेगी, जिससे उसकी पहचान उजागर होती हो। ऐसा होने पर 6 महीने की सजा और 2 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

7. पुनर्वास और सामाजिक व्यवस्थापन

दत्तक ग्रहण (अडाप्शन)

बच्चे को गोद लिए जाने की प्रक्रिया को दत्तक ग्रहण कहते हैं। जब बच्चा अपने जैविक माता–पिता यानी जिनसे उसका जन्म हुआ है, उनसे स्थायी रूप से अलग हो जाता है। तब वह उसे गोद लेने वाले पालकों की कानूनसम्मत संतान हो जाता है। उसे हर वे अधिकार, सुविधाएँ और संरक्षण मिलता है, जो किसी भी जैविक बच्चों यानी अपने कुदरती माता–पिता से जन्मे बच्चों को मिलना चाहिए।

बच्चों को गोद दिए जाने और गोद लिए जाने की एक गंभीर और संवेदनशील कानूनी प्रक्रिया होती है। जिसे पूरा किया बिना दत्तक ग्रहण संभव नहीं है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 56 के मुताबिक दत्तक ग्रहण की अवधारणा वास्तव में हर बच्चे (अनाथ, त्याग दिए गए, या समर्पित कर दिए गए) के परिवार में, परिवार के साथ रहने के अधिकार से जुड़ी हुई है। कोई भी परिवार कानून की प्रक्रिया का पालन करके अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले सकता है, किसी भी धर्म के बच्चे को गोद लिया जा सकता है।

बिना कानून प्रक्रिया के किसी बच्चे को विदेश भेजना या वहां से बच्चे को यहाँ लाना गंभीर कानूनी अपराध है।

कानून के मुताबिक बच्चे को गोद लेने के लिए पालकों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से सक्रीय और स्वस्थ होना जरूरी है।

यदि कोई युगल बच्चे को गोद ले रहा है, तब दोनों यानी पति–पत्नी का सहमत होना जरूरी है।

कोई एकल व्यक्ति या तलाकशुदा व्यक्ति भी बच्चे को गोद ले सकता है।

कोई एकल पुरुष बच्ची को गोद नहीं ले सकता है।

गोद लेने की प्रक्रिया

किसी भी बच्चे को गोद दिए जाने से पहले बाल कल्याण समिति उसे गोद दिए जाने के लिए वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित करते हैं।

भारत में रहने वाला कोई भी परिवार अनाथ, त्याग दिए गए, या समर्पित कर दिए गए बच्चे को गोद ले सकता है। इसमें धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित दत्तक ग्रहण संस्था को आवेदन दिया जाना होगा।

राज्य सरकारें एक या एक से अधिक दत्तकग्रहण संस्था का पंजीयन करती हैं और केन्द्रीय प्राधिकरण को उनके बारे में सूचित करती हैं।

आवेदन मिलने के पश्चात दत्तक ग्रहण संस्था आवेदक के घर का अध्ययन करती करती है।

यदि वह परिवार सक्षम और पात्र होता है तब कानूनी प्रक्रिया से मुक्त किये गए बच्चों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।

सहमति हो जाने के बाद बच्चे को संभावित पालकों को दत्तक ग्रहण पूर्व देखरेख के लिए दिया जाता है और गोद दिए जाने का आदेश पाने के लिए प्रकरण अदालत में दाखिल किया जाता है। अदालत का आदेश मिलने के बाद ही बच्चे को स्थाई रूप से गोद दिया जाता है।

गोद दिए जाने के बाद भी दत्तक ग्रहण संस्था और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से सम्बंधित संस्था यह निगरानी करती रहती है कि बच्चे की देखभाल सही तरीके से हो रही है।

दूसरे देश के परिवार भी बच्चे को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके गोद ले सकते हैं।

कानूनी प्रक्रिया होने के बाद गोद लेने वाले पालक बच्चे के कानूनी माता–पिता हो जाते हैं और बच्चा उनकी कानूनी संतान।

यदि गोद दिए गए बच्चे के नाम पर कोई संपत्ति होती है, तो वह गोद दिए जाने के बाद भी उसी के नाम रहती है।

पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर)

जो बच्चे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले हैं, उन्हें पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) के लिए किसी परिवार के साथ रखा जा सकता है।

पोषण देखरेख के लिए बच्चे या बच्चों के समूह को किस परिवार में रखा जाएगा, इसका निर्णय एक प्रक्रिया के बाद बाल संरक्षण समिति करती है।

जिन परिवारों में बच्चों को पोषण देखरेख के लिए रखा जाता है, उनका निर्धारण परिवार की क्षमता, उनकी मंशा, पात्रता और बच्चों की देखभाल के अनुभव के आधार पर किया जाता है।

गोद दिए जाने की दशा में या किसी अन्य बच्चे की स्थिति में पोषण देखरेख के लिए बच्चे को उसके जैविक माता–पिता या गोद लेने वाले संभावित पालकों के परिवार के साथ नहीं रखा जाता है।

यदि बच्चे भाई–बहन हैं या एक ही परिवार के हैं, तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें पोषण देखरेख के लिए एक ही परिवार में रखा जाए।

जब कोई परिवार अपने बच्चे को रख नहीं पाता है और उन्हें पालने में सक्षम नहीं होता है, उस स्थिति में पोषण देखरेख में भेजे गए बच्चे को देखने और मिलने का अधिकार उसके माता–पिता को होता है।

पोषण देखरेख करने वाले परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और हर तरह के विकास को सुनिश्चित करे।

बाल कल्याण समिति पोषण देखरेख करने वाले परिवार का हर महीने निरीक्षण करती है।

प्रवर्तकता (स्पांसरशिप)

बच्चों के जीवन को सुरक्षित बनाने और उनकी बुनिआय्दी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन बच्चों के परिवारों को मादक करने के मकसद से प्रवर्तकता (स्पांसरशिप) की व्यवस्था की गयी है। कोई भी व्यक्ति, समूह या समुदाय बच्चों के संरक्षण के लिए प्रवर्तक हो सकता है। यानी वह सम्बंधित परिवार, बाल गृह, विशेष गृह में रहने वाले बच्चों की स्वास्थ्य, पोषणयुक्त भोजन, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जरूरी बच्चों की अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

प्रवर्तकता के पात्र और अवधि

1) जब बच्चे की माँ एकल महिला हो, परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो;

2) जब बच्चा या बच्चे अनाथ हों और किसी विस्तारित परिवार में रह रहे हों;

3) यदि बच्चे के पालक किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हों;

4) यदि किसी दुर्घटनावश माता–पिता अक्षम हो गए हों या शारीरिक और आर्थिक रूप से बच्चे के पालन में असमर्थ हों

5) प्रवर्तकता की अवधि उतनी ही होगी, जितनी तय की जायेगी।

पश्चातवर्ती देखरेख संगठन

जब कोई बच्चा 18 साल की उम्र पूरी होने पर किसी बाल गृह या बाल संरक्षण गृह को छोड़ कर बाहर निकलता है, तब समाज में उसे शामिल होने के लिए मदद करने के मकसद से सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

मैदानी कार्य

मुख्य बिन्दु	कार्यवाही क्या हो ?
बच्चों की स्थिति को जानना और देखना	समुदाय से चर्चा करके, संवाद करके, अपने आसपास की स्थितियों और माहौल को देखते–भांपते हुए यह जानने की कोशिश करें कि बच्चों की स्थिति क्या है? मसलन क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? क्या बच्चे श्रम कर रहे हैं? क्या बच्चे भीख मांग रहे हैं? क्या बच्चे दुकानों में, ढाबों में, किसी संपन्न परिवार के यहाँ, कारखाने में, सड़क या इमारत के निर्माण में या कहीं भी श्रम कर रहे हैं? जरा यह जानने की कोशिश कीजिये कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बच्चों की सुरक्षा का नजरिया और दृष्टिकोण विकसित करना	बच्चों के संरक्षण के लिए कोई भी कोशिश एक समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार और समुदाय निरंतरता के साथ यह देखता रहे कि कहीं बच्चों के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं हो रहा है।

बच्चों की सुनें, उनकी बात पर विश्वास करें और तभी शोषण रुकेगा!

कई बार यह भी होता है कि बच्चे अपने साथ घट रही घटनाओं के बारे में बताते हैं या बताना चाहते हैं, किन्तु परिवार के वयस्क सदस्य या अन्य लोग उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, नजरंदाज कर देते हैं और बच्चों को खारिज करके चुप करा दिया जाता है। अक्सर शोषण परिचत व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, तब परिवार के अन्य सदस्य बच्चों को समझा देते हैं कि वह परिचित व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकते हैं या वे तो तुम्हे यूँ ही छेड़ रहे होंगे आदि आदि! हमें सबसे पहले बच्चों के साथ जिम्मेदार सम्बन्ध बनाना होंगे ताकि वे अपनी बात हमसे साझा कर सकें। इसके बाद उनके परिजनों से मिल–बैठ–बात करके उन्हें यह समझने के लिए तैयार करना होगा कि बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है। उसकी बात सुनी जाना चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शोषण करने वाले व्यक्ति के हौसले और बुलंद होंगे और शोषण बढ़ता जाएगा।

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को पहचानना

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन से बच्चे देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैंय हम अपने समुदाय और क्षेत्र में उन्हें पहचानने की कोशिश करें।

समुदाय और ग्राम सभा में चर्चा करना

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के बारे में आपने जो देखा और जाना, उन तथ्यात्मक जानकारियों के आधार पर ग्रामसभा और समुदाय के साथ बैठक करके बच्चों की स्थिति के कारणों को जानने की कोशिश करें। हमें कोई तत्काल कोई आक्षेप नहीं लगाना है; हमें पहल करने से पहले सच्चाई को जानना और समझना है।

विधि विवादित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन से विधि विवादित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं; हम अपने समुदाय और क्षेत्र में उन्हें पहचानने की कोशिश करें।

समुदाय और ग्राम सभा में चर्चा करना

विधि विवादित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में आपने जो देखा और जाना, उन तथ्यात्मक जानकारियों के आधार पर ग्रामसभा और समुदाय के साथ बैठक करके बच्चों की स्थिति के कारणों को जानने की कोशिश करें। हमें कोई तत्काल कोई आक्षेप नहीं लगाना हैय हमें पहल करने से पहले सच्चाई को जानना और समझना है।

बच्चों के संरक्षण के लिए बनी व्यवस्थाओं और कानूनी प्रावधानों में बारे में समुदाय और ग्राम सभा में चर्चा करना

एक व्यापक अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि बच्चों के संरक्षण के बारे में समुदाय/गांव/बस्ती में कौन से वास्तविक चुनौतियां हैं? अब सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख कर यह पहल करें कि बच्चों के संरक्षण की कोशिशें की जाएँ और उन्हें सफलता के साथ लागू किया जा सके।

यह देखें कि गांव/बस्ती/समुदाय में सबसे गरीब परिवार कौन से हैं, और उन परिवारों में बच्चों की स्थिति क्या है?	इनमें एकल महिला, विकलांगता से प्रभावित महिला, परित्यक्त महिला, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर या भूमिहीन परिवार हो सकता है। इन चुने और पहचाने हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से मुक्ति के लिए समुदाय के साथ मिलकर एक व्यवस्था बनाएँ।
स्कूल से बाहर के बच्चे	यह देखें कि कहीं कोई बच्चे स्कूल से बाहर तो नहीं हैं, कोई बच्चे भीख मांगने का काम तो नहीं करते हैं, बच्चे बाल श्रम में तो नहीं लगे हुए हैं। ऐसे बच्चों को पहचानते हुए उनके परिवारों से संवाद करें और यह जानकार कि बच्चों के इन स्थितियों में होने के क्या कारण हैं समुदाय के साथ उन चुने हुए बच्चों के संरक्षण की पहल करें।
बच्चों से संवाद और कार्यवाही	बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं और किशोर न्याय अधिनियम पर स्थानीय स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद करें। यह जानने की कोशिश करें कि कहीं बच्चों के साथ शारीरिक शोषण तो नहीं होता है? कहीं बच्चे बंधुआ मजदूरी में तो नहीं हैं? यह भी देखें कि कौन से बच्चे स्कूल से बाहर हैं? ऐसे बच्चे शोषण के ज्यादा शिकार होते हैं। उनके साथ सहृदय संवाद करें।
ब्लाक और जिला स्तर के प्रशासन से संवाद	आपने अपने मैदानी काम से जो जाना और समझा, उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाईये और ब्लाक–जिला स्तर पर बाल संरक्षण अधिकायों/प्रशासन से संवाद कीजिये। हमें किसी बच्चे यह परिवार की शिकायत करने से पहले बहुत सोच–विचार कर लेना होगा कि उसके क्या परिणाम होंगे?
बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित कानूनी संस्थाओं से संवाद	अपने जिले के किशोर न्यायिक बोर्ड, बाल कल्याण समिति और विशेष किशोर पुलिस इकाई के बारे में जानकारी इकठ्ठा करें, उनसे मिलें, और मैदानी वास्तविकताओं से उन्हें अवगत करवाएं।